Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ६] द्वितीय विधान सभा के नवम् सत्र, १९६० का आठवां दिवस [संख्या ५

सोमवार, २९ अगस्त, १९६०

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ८ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

———

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

———

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा, उद्योग, खनिज-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या १७४

श्री भैरोंसिंह (१४)

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १७५

श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १७६

श्री सूरजमल।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १७७

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १७८

श्री सूरजमल।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह।

तहसील देवली और उनियारा में भूमि-हीन काश्तकारों को किया गया भूमि का अलॉटमेंट

१७९. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न-लिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान में

Page No.2

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

कृषि योग्य भूमि वितरण के लिये कई कमेटियां बनाई गई हैं ?

(२) अगर हां, तो उनमें कौन कौन से सदस्य नामजद किये गये हैं ?

(३) क्या भूमि वितरण इन कमेटियों द्वारा ही करना अनिवार्य है या इनकी अनुपस्थिति में कोई सरकारी अफसर भूमि वितरण कर देते हैं ?

(४) सन् १९५९ और १९६० की अवधि में तहसील देवली और तहसील उनियारा में किन किन भूमिहीन काश्तकारों को भूमि दी गई और कौन कौन सी तारीखों को और किन किन सदस्यों की उपस्थिति में ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी हां। कमेटियां तहसील स्तर पर बनाई गई हैं।

(२) निम्नांकित सदस्य नामजद किये गये हैं। (क) क्षेत्र राज्य विधान सभा के सदस्य जिसमें भूमि स्थित है। (ख) क्षेत्र पंचायत समिति का प्रधान जिसमें भूमि स्थित है अथवा पंचायत समिति द्वारा नामजद व्यक्ति। (ग) ग्राम पंचायत का सरपंच जिसके क्षेत्र में भूमि स्थित है। (घ) सम्बन्धित ब्लॉक डेवलपमेन्ट ऑफिसर।

उपनिवेषन क्षेत्र के लिये भी अलग समिति है जिसके विकरण की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) भूमि वितरण तहसीलदार द्वारा किया जाता है जिसके लिये सलाह लेना अनिवार्य है। उपनिवेशन क्षेत्र में उक्त परामर्शदात्रि समितियों को, 'उपनिवेशन तहसीलदारों को, भूमिहीन काश्तकारों को भूमि का आंवटन करने की सिफारिश करने में सहायता देने के लिये ही नियुक्ति की गई है। यह आवश्यक नहीं कि इस समिति की राय होने पर ही अलॉटमेंट किया जावे परन्तु राय उनकी अवश्य ली जाती है।

(४) पूरे विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची अति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

रावराजा श्री सरदारसिंह : मन्त्रीजी ने फरमाया कि विधान सभा के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य व पंचायत के सरपंच समिति के सदस्य हैं और उनकी राय लेना अनिवार्य है और बाद में फरमाया कि उनकी राय लेना लाजिमी नहीं है कि उनकी राय लेकर ही जमीन दी जावे। तो यह कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे होता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह कॉन्ट्राडिक्टरी बिलकुल नहीं है। आप उपनिवेश क्षेत्र का मायना जानते हैं कि उसका मतलब कोलोनाइजेशन है। तो इस तरह अलग अलग दो क्षेत्र हैं; एक लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत आता है और दूसरा कॉलोनाइजेशन एक्ट के अन्तर्गत आता है और इस हिसाब से एलोकेशन होता है। अब इनके लिये तहसीलदार की तरफ से इन सदस्यों को सूचना देना अनिवार्य है और अगर सूचना पर उपस्थित होकर अपनी राय जाहिर करें तो राय लेना भी अनिवार्य है, पर उस तारीख पर या जो पंचायत समिति के प्रधान हैं या उनका

Page No.3

(श्री दामोदरलाल व्यास)

प्रतिनिधि हैं, एम. एल. ए. हैं या सरपंच हैं, नहीं पहुंचें तो इसका यह मतलब नहीं कि भूमि का आवंटन बन्द कर दिया जाय। वे पहुंचेंगे तो उनकी सलाह अवश्य ली जावेगी, नहीं तो उनकी अदम मौजूदगी में भी यह आवन्टन किया जावेगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह तो ठीक है कि अगर नहीं पहुंचें इत्तला देने पर भी, लेकिन जिसको इत्तला ही नहीं मिले और न प्रधान मौजूद हो और न एम० एल० ए० मौजूद हो, न बी० डी० ओ० हो और फिर उनके नोटिस में अगर जमीन दे दी जाये तो उसके लिए क्या सरकार ऐसा उचित समझती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : किसी तहसीलदार के खिलाफ यह जानकारी मालूम हो कि उसने जान बूझकर किसी को इत्तला नहीं दी तो उसके खिलाफ जरूर कार्यवाही की जाती है और सूचना देना उसके लिए अनिवार्य है और माननीय सदस्यों का उपस्थित होना भी लाजिमी है, लेकिन यह उनकी मर्जी पर है कि वे जायें या न जायें।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मर्जी की बात नहीं है। माननीय मंत्री महोदय के पास और कलेक्टर के पास इस तरह की शिकायतें हुई हैं कि मीटिंग की जो तारीखें होती हैं उनके बारे में कोई इत्तला माननीय सदस्यों को दी जाती है और डाक में चिट्ठी डाल दी जाती है लेकिन वह सूचना कमेटी की तारीख के भी चार दिन बाद मिलती है।

श्री दामोदरलाल व्यास : कभी कभी ऐसा होता है कि माननीय सदस्य अपना पता बदल देते हैं ; वह हैं तो उनियारा के लेकिन रहते हैं जयपुर में। लेकिन उनको सही पता देते रहें तो अच्छा रहे।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह उचित है कि कमेटी के मेम्बर्स तहसील में पहुँच पाते हैं और उनकी बिना राय के भूमि अलॉट कर दी जाती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो ऐसा है कि किसी के अनुपस्थित होने पर जमीन का अलॉटमेंट बन्द नहीं हो सकता। जो अलाटमेंट कमेटी के मेम्बर्स हैं उनको समय पर पहुंचना चाहिए, अगर उनको इत्तला दे दी जाती है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने फरमाया इसके लिए तो ठीक है कि सदस्य अपना पता बदल देते हैं लेकिन मुझे तो पता नहीं है कि आपकी मौजूदगी में तो पता एक ही रहेगा। मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि वहां का प्रधान माना गया है और जो बी० डी० ओ० है उसको इत्तला नहीं देने की वजह से ऐसी गलतियां होती हैं। तहसीलदार सरपंच के कहने से ही जमीन अलॉट कर देता है और उसके झगड़े होते हैं तो इसको रोकने के लिए क्या सरकार उचित कदम उठायेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने जवाब अर्ज कर दिया है कि ऐसी सूचना प्राप्त होने पर तहसीलदार के खिलाफ अवश्य कार्यवाही की जायेगी बशर्ते कि सूचना दी जायेगी कि किस मेम्बर को सूचना उसने नहीं दी।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : ऐसी कमेटी

(श्री रामचन्द्र)

की मीटिंग में कोरम वगैरह का भी ध्यान रखा जाता है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं।

श्री गोरधनसिंह केन (बयाना–सु०) : माननीय अध्यक्ष, ऐसा देखा गया है कि जैसे कमेटी की मीटिंग कल है और सदस्य पहुँचते हैं और उस दिन ५० बीघा जमीन का अलॉटमेंट किया जाता है और फिर दूसरे-तीसरे दिन ही, बिना मेम्बरों के बुलाये ही भूमि और अलॉट कर दी जाती है और बाद में कोई मीटिंग नहीं बुलाई जाती है न सूचना दी जाती है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं जवाब अर्ज कर चुका हूं कि दूसरी मीटिंग की अलग से सूचना नहीं दी जाती, वह तो उसी रोज की मीटिंग में कह देते हैं।

श्री गोरधनसिंह केन : पहली मीटिंग में जब जमीन अलॉट कर देते हैं तो उसी वक्त कह देते हैं: अब कोई जमीन नहीं रही है और जमीन को इस तरह छिपाया रखा जाता है और फिर बाद में चुपके से बिना किसी प्रकार की सूचना के अलॉट कर दी जाती है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो बहुत ही सीरियस मामला है। अगर ऐसा किसी तहसीलदार ने किया है और उसकी सूचना आप देंगे तो मैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करूंगा।

प्रश्न संख्या १८०

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) अध्यक्ष महोदय, मैं और कहना चाहता हूं। माननीय सदस्य उनियारा से जो आये हुए हैं उन्होंने काफी लम्बा-चौड़ा स्टेटमेंट मांगा था और उसके लिए एक सवाल पूछा था, that statement has covered about 20 foolscape size pages, but the Hon'ble Member has not been able to put a single question out of that list.

सांचोर हायर सेकिन्डरी स्कूल भवन का शीघ्र निर्माण

१८१. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :–

(१) जिला जालोर के सांचोर हायर सेकन्डरी स्कूल भवन बनाने के हेतु शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृति कब प्राप्त हुई ?

(२) क्या यह सत्य है कि इस स्वीकृति के प्राप्त हुए करीब १० माह का अर्सा हो चुका है मगर अभी तक स्कूल भवन का कार्य शुरू नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक शुरू करने का विचार है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) दिनांक ५–१२–५६ को।

(२) कुछ वर्क का ठेका दे दिया गया है। लाइम वर्क का ठेका अक्टूबर में फाइनलाइज़ किया जायेगा।

Page No.5

प्रश्न संख्या १८२

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री लादूराम सुलाणियां ।

आंतेला, तहसील बैराठ में हायर सेकिन्डरी स्कूल खोलना

१८३. श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू—सु०) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सच है कि आंतेला, तहसील बैराठ की जनता गत २ वर्ष से वहां हायर सेकन्डरी स्कूल खोलने की मांग कर रही है तथा जनता ने वहां ४ कमरों का निर्माण भी करवा दिया है व ४ कमरों का कार्य चालू है ?

(ख) क्या यह सही है कि संचालक, शिक्षा विभाग ने आश्वासन दिया था कि इस जगह इस वर्ष हायर सेकन्डरी स्कूल खोल दिया जायेगा ? यदि हां, तो सरकार आंतेला में कब तक हायर सेकन्डरी स्कूल खोलने का विचार रखती है ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) जी हां । आंतेला, तहसील बैराठ की जनता ने चार कमरे '१८×२२' फीट के बना दिये हैं तथा राज्य सरकार द्वारा प्राप्त १०,०००) रु० की धन राशि से तीन कमरे '२०×१५' फीट पूर्ण करवा दिये हैं ।

(ख) जी नहीं । यदि यह स्कूल भी सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति करता होगा तो ऐसे दूसरे स्कूलों के साथ बजट को ध्यान में रखते हुए इस स्कूल को भी उच्चतर माध्यमिक शाला में परिवर्तित करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

श्री लादूराम सुलाणिया : इस पर कब तक विचार किया जायेगा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अगले वर्ष मैंने निवेदन किया है ।

प्रश्न संख्या १८४

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम ।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह ।

कस्बा दूनी से ग्राम आवा, तहसील देवली तक सड़क निर्माण

१८५. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कस्बा दूनी से आवा ग्राम, तहसील देवली तक सड़क का सर्वे होकर मन्जूरी हो चुकी है ? अगर हां, तो कब और इस कार्य का क्या एस्टीमेट है ?

(२) यह कार्य कब तक शुरू हो जाने की आशा है और उसमें तैयारी की अवधि क्या रखी गई है ?

(३) क्या ठेका दिया जा चुका है ? अगर हां, तो किसको ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र): (१) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न संख्या १८६

श्री अध्यक्ष: श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री लादूराम सुलाणियां।

अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के व्यक्तियों को नोकरी हेतु वसूल किये जाने वाले परीक्षा शुल्क में दी जाने वाली छूट का मामला

१८७. श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू-सु०): क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या सरकार अनुचित जातियों और जन जातियों के व्यक्तियों को नोकरी के लिए वसूल किये जाने वाले परीक्षा-शुल्क में छूट देती है? यदि हां, तो कितनी?

(२) परीक्षा-शुल्क में छूट देने के आदेश प्रथम कब जारी किये गये थे?

(३) क्या नोकरी के परीक्षा-शुल्क की छूट को कभी कम या ज्यादा किया गया? यदि हां, तो कब और कितना?

(४) क्या कभी भारत सरकार के अनुसूचित जातियों, जन-जातियों और पिछड़े वर्ग के आयुक्त को भी इस बारे में सरकार की ओर से कोई रिपोर्ट भेजी है? यदि हां, तो कब और क्या?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी हां, लगभग ५० प्रतिशत।

(२) सर्व प्रथम सन् १९५४ में बनाये गये कुछ सेवा नियमों में इस प्रकार की छूट का उल्लेख है।

(३) विभिन्न सेवा नियमों में उल्लिखित छूट को कभी कम या ज्यादा नहीं किया गया।

(४) इस प्रकार की रिपोर्ट भेजे जाने का का कोई उल्लेख नहीं मिला।

श्री लादूराम सुलाणिया: ये ५० प्रतिशत के आंकड़े उनके पास हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास: आंकड़ों के आधार पर ही तो बताया है।

श्री लादूराम सुलाणिया: क्या यह छूट दी जाती है या ५० प्रतिशत हटाये जाने के आदेश फरमाये जाते हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास: मैंने कहा कि सर्व प्रथम सन् १९५४ में बनाये गये कुछ सेवा नियमों में इस प्रकार की छूट का उल्लेख है। विभिन्न सेवा नियमों में उल्लिखित छूट को कभी कम या ज्यादा नहीं किया गया।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर): तो जो छूट उल्लिखित हैं वे दी भी जाती हैं या केवल उल्लेख की जाती हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : उल्लेख जब है तो उस पर अमल भी किया जाता है।

श्री लादूराम सुलाणिया : मैं निवेदन कर रहा था कि क्योंकि माननीय मन्त्रीजी ने कहा कि ५० प्रतिशत छूट दी जाती है तो मैं जानना चाहता हूं कि किन किन व्यक्तियों को, किस किस आदमी को कितनी कितनी छूट दी गई? इसी के लिए पूछा था कि इसके कोई आंकड़े हैं क्या?

श्री दामोदरलाल व्यास : इतनी डिटेल जानना चाहते हैं कि ५४ से आज तक कितनी छूट दी गई, इसके लिए तो अलग से प्रश्न पूछें तो मैं उसको सूचना दे सकता हूं।

श्री लादूराम सुलाणिया : १६५३–५४ में कुछ छूट दी, उसके बाद में किसी को नहीं दी गई और यह जो सरकार ने उत्तर दिया है उससे कोई सन्तोष नहीं होता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already said that he can put a particular question and I can give that information.

श्री अध्यक्ष : वह तो आप नोटिस में भी लिख देते होंगे कि इतनी फीस ली जाती है।

श्री दामोदरलाल व्यास : I would read out the order. There are various orders allowing various concessions to Scheduled Castes & Scheduled Tribes. जो आॅर्डर हुआ है १६५४ में उसमें "The various posts in the State services have been classified in the following four categories..." उसमें यह आॅर्डर हुआ है कि किस तरह से छूट दी जायेगी उसकी कम्पलायेन्स नहीं हुई है तो the Hon'ble Member can put a specific question regarding that, so that it may be easy for me to take up that complaint. Let the House have the information about it. This is a general question. He wanted to know about the provisions in the rules and I said, these are the rules and no change has been made in these rules.

श्री लादूराम सुलाणिया : मैं यह निवेदन करूंगा कि जैसे भारत सरकार ने ५० प्रतिशत छूट दी है लेकिन राजस्थान में कोई छूट नहीं दी गई। ५४ में कुछ छूट दी गई उसके बाद में बिल्कुल नहीं दी गई और कितने ही लोगों से तो पूरी फीस ली है। अगर माननीय मन्त्रीजी कहें तो मैं उनको सबूत देने के लिये तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : जो भी परीक्षायें होंगी नौकरी के लिये उन सारी परीक्षाओं में आधी फीस ली जायेगी, अगर उसका उल्लंघन हुआ है तो मन्त्री महोदय के और सदन के नोटिस में ला दें।

डॉ० चन्द्रकला : आधे लोगों से फीस ली जायेगी और आधों से नहीं ली जायेगी, ऐसा आप समझा रहे हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं तो ठीक समझा रहा हूं। आप मुझे गलत समझने की कोशिश मत कीजिए।

Page No.8

श्री लादूराम सुलाणिया : फीस ली जाती है, अगर उसकी जानकारी चाहें तो मैं निवेदन कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : जी हां, आप दे दीजिए।

प्रश्न संख्या १८८

श्री बेनाराम गहलोत।

(विराम)

श्री मोगजी भाई।

बांसवाड़ा जिले में कार्य करने वाले मैट्रिक की ग्रेड वाले अध्यापकों का फिक्सेशन

१८६. श्री मोगजी भाई (बांसवाड़ा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) ३१–३–५० को बांसवाड़ा जिले में कितने अध्यापक मैट्रिक की ग्रेड की पोस्ट पर कार्य कर रहे थे व उनमें से कितने अध्यापक मैट्रिक उत्तीर्ण थे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) क्या यह सत्य है कि शिक्षा विभाग, बांसवाड़ा द्वारा मैट्रिक की ग्रेड वाले अध्यापकों का फिक्सेशन १–४–५० को किया गया था ? यदि हां, तो फिक्सेशन महालेखापाल कार्यालय द्वारा स्वीकृत क्यों नहीं हुआ ?

(ग) क्या यह सत्य है कि शिक्षा विभाग द्वारा ऐसा कोई आदेश जारी किया गया था कि अध्यापकों का पोस्टिंग उनकी योग्यतानुसार ग्रेडों में किया जाय ? यदि हां, तो तत्संबंधी क्या कार्यवाही हुई ?

उप मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है। अगले सप्ताह में दिया जायेगा।

श्री मोगजी भाई : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर दिया जाना जरूरी है। यह क्वेश्चन पहले भी दिया गया था और उत्तर नहीं मिला था।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न जरूरी है अतः इसका उत्तर शीघ्र दे दिया जाय।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, पहले भी यही जवाब दिया गया था कि जल्दी कार्यवाही होगी और अब भी यही उत्तर है कि अगले सप्ताह में देंगे।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अगले सप्ताह में दे दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री लादूराम सुलाणिया।

सुरसरा ग्राम, तहसील रूपनगर में अलॉटमेंट कमेटी द्वारा प्रदत्त भूमिहीन काश्तकारों को अधिकार दिलाना

१६०. श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू-सु०) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सुरसरा ग्राम, तहसील रूपनगर में कितनी गोचर भूमि है ?

(२) क्या यह सही है कि सेटलमेंट

Page No.9

(श्री लादूराम सुलाणिया)

विभाग ने ग्राम के पश्चिम में गोचर भूमि घोषित की है ?

(३) क्या यह सही है कि ७५७ बीघा की एक गोचर भूमि ग्राम के पूर्व में भी है ?

(४) क्या यह सही है कि बिना नाप भूमि में से अलॉटमेंट कमेटी ने भूमिहीन काश्तकारों को ३६१ बीघा भूमि काश्त करने की मन्जूरी दी हैं ?

(५) अगर हां. तो इन भूमिहीन काश्तकारों को भूमि पर अधिकार दिया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) १,७६१ बीघा १८ बिस्वा।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) जी हां।

(५) जिन भूमिहीन काश्तकारों को जमीन अलॉट की गई उस पर उनका अधिकार होकर काश्त हो गई थी। मंजूर शुदा चरागाह के नम्बर की फहरिश्त जिलाधीश से प्राप्त होने पर भविष्य में इन नम्बरान को काश्त न करने की काश्तकारान को सूचितकिया गया है व सूचना पंचायत को भी दी जा चुकी है।

श्री लादूराम सुलाणिया : इस वक्त वह किस पोजीशन में है, आया गोचर भूमि है या अलॉट हुई भूमि ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कलेक्टर, अजमेर के ऑर्डर से इस वक्त वह गोचर भूमि है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : ऐसा क्यों हुआ कि एक बार तो काश्त के लिये भूमि अलॉट कर दी गई और फिर गोचर भूमि बना दिया गया ? जो गोचर भूमि बना दिया गया तो क्या हरिजनों की भूमि की समस्या हल हो गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो चरागाह का मसला है वह तो था ही। कलेक्टर ने यह सोचा था कि जमीन पड़त न रहे और जब तक फैसला हो तब तक उस पर काश्त हो जाय, इसलिये आरजी तौर पर बता दी गई। जो भूमिहीन लोग थे उनको दूसरी जमीन दे दी गई।

प्रश्न संख्या १९१

श्री अध्यक्ष : श्री लच्छूराम।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १९२

श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

जिला जालोर के भाव ग्राम पंचायत द्वारा दिए गए खसरा नं० १०१ व १०६ को आबादी में परिवर्तित करने के सुझाव पर की गई कार्यवाही

१९३. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सत्य है कि जिला जालोर की भाव पंचायत द्वारा खसरा नं० १०१ व १०६ आबादी में परिवर्तित करने हेतु सुझाव जिलाधीश, जालोर व स्थानीय एस. डी. ओ. व तहसीलदार के पास आया है ? यदि हां, तो कब व उस पर क्या कार्यवाही की जा

Page No.10

(श्री लक्ष्मीचन्द)

रही है और अब तक आबादी में परिवर्तित न करने के क्या कारण हैं ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : जी हां, प्रस्ताव कलेक्टर कार्यालय में ६-८-६० को प्राप्त हुआ है। भूमि आबादी में परिवर्तित किये जाने की कार्यवाही दर पेश है।

श्री लक्ष्मीचन्द : यह इस समय कह पर है, कलेक्टर के पास है या सरकार के पास आ गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह शायद कलेक्टर के पास है।

श्री लक्ष्मीचन्द : डेफीनिट कहिए ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, मैं डेफीनिट ही अर्ज कर रहा हूं कि दिनांक ६-८-६० को कलेक्टर के कार्यालय में पहुंचा है और उसके बाद कार्यवाही की गई है।

श्री लक्ष्मीचन्द : किस स्टेज पर कार्यवाही चल रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं स्टेजेज़ अर्ज नहीं कर सकता। कानून में कई स्टेजेज़ होती हैं, कई फिगर्स इकट्ठे करने पड़ते हैं। यह बात निश्चित है कि कन्वर्शन की कार्यवाही कलेक्टर के सामने इसी महीने की ६ तारीख यानि ६-८-६० से ही दर पेश है।

प्रश्न संख्या १६४

श्री अध्यक्ष : श्री लच्छूराम ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १६५

श्री भैरोंसिंह (१४)

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री मोहब्बतसिंह ।

सरूपगंज-कोटड़ा-सड़क का निर्माण कार्य

१६६. श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : Will the Public Works Minister be pleased to state:—

(1) Whether construction of Sarupganj-Kotra Road entrusted to the Superintending Engineer, P.W.D. B. & R. Udaipur was contemplated to be completed by the end of the Second Five Year Plan ?

(2) If so, uptil now what is the progress on this work ?

(3) By what time it is likely to be completed ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (1) No.

(2) Question does not arise.

(3) By early years of the 3rd Five Year Plan.

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ।

सांचोर तहसील के केरीया पटवार सर्कल में गैर खातेदारी की भूमि काश्त करनेवाले काश्तकार

१६७. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) :

(श्री लक्ष्मीचन्द)

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) जिला जालोर के सांचोर तहसील के एरिया पटवार सकल में कितने ऐसे काश्तकार हैं जो १५ अक्टूबर, १६५५ के पहले से गैर खातेदारी की भूमि काश्त करते हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) उन काश्तकारों में से कितनों को खातेदारी अधिकार तहसील द्वारा दिए जा चुके हैं और कितनों को नहीं दिये गये हैं ? उसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या यह भी सत्य है कि उन काश्तकारों पर जुर्माना भी लगाया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) अभी तक किसी को भी खातेदारी हक नहीं दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(सूची अति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री लक्ष्मीचन्द : यह क्या नहीं दिया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके कारणों की जांच की जा रही है कि क्यों नहीं दिया ! बहरहाल मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ तो मामले डिस्प्युटेड हैं और अभी जांच होने पर तहसीलदार द्वारा अलॉटमेंट में जो अनियमिततायें पाई गई उनके खिलाफ कार्यवाही करने के ऑर्डर्स दिए जा चुके हैं।

श्री लक्ष्मीचन्द : अध्यक्ष महोदय, यह लिखा था कि एक्ट के फोर्स में आते ही कलेक्टर को ऑटोमेटिक खातेदारी राइट देने के अधिकार प्राप्त होंगे, तो वह क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अभी अर्ज किया कि कुछ केसेज़ तो डिस्प्युटेड थे, कुछ केसेज़ में संवत् २०११ और २०१२ में ऐसा है कि कुछ लोगों ने सरकारी जमीन काश्त कर ली। उनके खिलाफ ट्रेंसपासेज़ के केसेज़ बनाए गए और ये केसेज़ चल रहे हैं और जब तक उन पर अंतिम निर्णय न हो, ये केसेज़ एस० डी० ओ०, जालोर की कोर्ट में चल रहे हैं। जब केसेज़ चल रहे थे उस समय कलेक्टर ने इजेक्टमेंट के लिए स्टे ऑर्डर दे दिया। अब ये केसेज़ टिनेंसी एक्ट के सेक्शन फिफटीन से कवर्ड हैं और कवर होने से उनके खिलाफ ट्रेंसपासर्स के केसेज़ बनाए गए और अब वे एस० डी० ओ०, जालोर की कोर्ट में पेंडिंग हैं दूसरी बात यह है, कुछ गल्तियां रेवेन्यू अधिकारियों की भी हो सकती है और भूलें हुई हैं उनके लिए ऑर्डर दे दिया गया है कि जांच की जाकर सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री रामचन्द्र (डग–सु०) : क्या इस कानून के तहत झालावाड़ में भी कोई कार्यवाही चल रही है ?

Page No.12

श्री दामोदरलाल व्यास : कार्यवाही तो सभी जगह चल रही है। झालावाड़ के लिए आप अलग से प्रश्न पूछिए, मैं जवाब दे दूँगा।

शिक्षा विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों कोप्रमाण पत्र जल्द प्रदान करना

२००. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) शिक्षा विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विभाग की ओर से प्रमाण-पत्र कब तक दे दिए जाते हैं?

(ख) क्या यह सच है कि १९५८ की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को अब तक भी प्रमाण पत्र नहीं दिए गए हैं?

(ग) क्या सरकार अब ऐसी व्यवस्था कर रही है जिससे कि छात्रों को प्रमाण–पत्र जल्दी मिल जाया करें?

उप मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) सधारणतया १ साल की अवधि में प्रमाण-पत्र दे दिए जाते हैं।

(ख) जी नहीं, सन् १९५८ की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रमाण–पत्र पहले ही भेजे जा चुके हैं।

(ग) सरकार ऐसे आदेश कर रही है जिससे प्रमाण-पत्र अधिक शीघ्रता से भेजे जा सकें।

डॉ० चन्द्रकला : जब प्रमाण–पत्र समय पर दे दिए गए हैं तो फिर यह आदेश देने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि समय पर दे दिए जायं?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : और जल्दी करने के लिए आदेश दिए गए हैं जिससे जल्दी प्रमाण-पत्र मिल सकें।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार यह महसूस करती है कि प्रमाण–पत्र देने का समय जो साधारणत: एक वर्ष का रखा है वह अधिक है और इसको कम करना चाहिए।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अभी मैंने कहा कि कोई समय नहीं रखा गया है, एक साल के भीतर भीतर प्रमाण-पत्र दे दिए जाते हैं।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू–सु०) : क्या यह सही है कि समय पर प्रमाण–पत्र नहीं मिलने से उनको नोकरी नहीं मिलती।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने आपसे निवेदन किया कि एक साल के भीतर ही प्रमाण–पत्र दे दिए जाते हैं।

प्रश्न संख्या २०१

श्री अध्यक्ष : श्री भैंरोसिंह (१४)।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २०२

श्री किशनाराम।

(अनुपस्थित)

डॉ० चन्द्रकला।

Page No.13

बीकानेर डिविजन में पट्टा प्रणाली समाप्त करने की की गई घोषणा पर पुनर्विचार करना

२०३ डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सच है कि बीकानेर डिविज़न में कमिश्नर ने पट्टा प्रणाली समाप्त करने की घोषणा की है ? यदि हां, तो आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर प्रस्तुत करने की कृपा करें ।

(ख) इस व्यवस्था को समाप्त कर दूसरी कौनसी वैकल्पिक व्यवस्था सरकार लागू करने जा रही है ?

(ग) पट्टा प्रणाली में ऐसी क्या कमियां दिखाई पड़ीं जिससे सरकार को इसे बदलने की आवश्यकता प्रतीत हुई ?

(घ) क्या जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का इरादा रखती है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जी हां । आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) राजस्थान स्टाम्प्स, रजिस्ट्रेशन व ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट के अनुसार अब कुछ कार्यवाही होगी ।

(ग) राजस्थान में मौजूदा कानून में पट्टा प्रणाली का कोई प्रावधान नहीं है । अब राजस्थान में प्रचलित अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करना जरूरी है ।

(घ) अब सब जगह एकसा कानून का ही व्यवहार होना चाहिए, अतः सरकार ऐसा कोई विचार नहीं रखती ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

डॉ० चन्द्रकला : प्रश्न के भाग २ में मैंने पूछा था कि इसकी जगह दूसरी कौन सी वैकल्पिक व्यवस्था सरकार करना चाहती है, इसका उत्तर दिया गया है कि प्रोपर्टी एक्ट के तहत अब कुल कार्यवाही होगी । लेकिन क्या सरकार इस स्थिति में नहीं है कि वे बता सकें कि पट्टा प्रणाली खत्म करने के आदेश तो दे दिए गए हैं लेकिन उनकी जगह कौन सी प्रणाली किस तरह लागू होगी वह काश्तकार अपने हकूक साबित कर सकें ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अभी अर्ज किया कि इसके लिए तीन कानून हैं, राजस्थान स्टाम्प्स एन्ड रजिस्ट्रेशन एक्ट, दूसरा ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट और तीसरा राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट। इन तीनों कानूनों के अन्दर पूरा २ विवरण दिया हुआ है कि पट्टा प्रणाली की क्या स्थिति होगी । माननीय सदस्या उसको देख सकती हैं कि उनमें पट्टा प्रणाली का प्रावधान है कि किस तरह कौन ऑथरिटी देगा और पट्टे के नियम लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत बने हुए हैं । इसलिए अलग से पुराने बीकानेर राज्य की पट्टा प्रणाली की आवश्यकता नहीं है । यह बात अवश्य है कि कुछ ज्यादा चल गई, यह गल्ती जरूर हुई है ।

डॉ० चन्द्रकला : लेकिन बिना पट्टे के उसके पास अपने हकूक साबित करने के आधार क्या हैं ? ये जितने दूसरे कानूनों का

Page No.14

(डॉ० चन्द्रकला)

माननीय मन्त्री महोदय ने हवाला दिया है वे सब तो नए हैं लेकिन जिनके पुराने हकूक हैं पट्टा प्रणाली समाप्त हो जाने से उनके पास अपने अधिकार सिद्ध करने, अपने हकूक साबित करने के आधार समाप्त हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी मेरी बात को समझे नहीं हैं। मैं इतना जानना चाहती हूं कि पट्टा प्रणाली खत्म हो जाने से जिनके पास पट्टे हैं अपनी जमीनों के उनके हकूक का आधार क्या रहेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय अध्यक्ष, मैंने अर्ज किया कि पट्टा प्रणाली की अब आवश्यकता नहीं रह गई है क्योंकि उसकी व्यवस्था नए कानूनों में कर दी गई है।

डॉ० चन्द्रकला : माननीय अध्यक्ष, मैं यह पूछ रही हूं कि पहले जब राज्यों में लोगों को जमीनें दी जाती थीं तो उसके साथ उनको पट्टे दे दिए जाते थे। यह जो पट्टे की प्रणाली थी वह राजा-महाराजा लोग पट्टे दे दिया करते थे; यह रजिस्ट्रेशन वगैरह तो पीछे होने लगे हैं। तो जिन लोगों के जमीनों पर हकूक हैं, जयपुर में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके जमीनों पर हक हैं लेकिन अब पुराने कागज मिलते नहीं हैं तो अपने हकूक साबित करने के जो आधार हैं, पट्टा प्रणाली समाप्त करने से उसका सुबूत सरकार कैसे मानेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं बड़े अदब के साथ माननीय अध्यक्ष, अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय सदस्या ने बीकानेर की पट्टा प्रणाली को समझा ही नहीं है। असलियत में बात यह है कि वहां की जो जो दिक्कतें महसूस हो रही हैं उनका प्रोविज़न ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट और राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के अन्दर कर दिया गया है; माननीय सदस्या उसको देखेंगी तो सारी व्यवस्था उनको उसमें मिल जायेंगी, उनको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल।

विजयसागर ब्रह्मचर्याश्रम संस्कृत पाठशाला तालाबगांव (लालसोट) के अपूर्ण भवन को शीघ्र पूर्ण करवाना

२०४. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या विजय सागर ब्रह्मचर्याश्रम संस्कृत पाठशाला तलाबगांव (लालसोट) सरकारी निर्मित भवन अपूर्ण है ?

(२) क्या उक्त भवन के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने के लिये एग्ज़ीक्युटिव इन्जीनियर, भरतपुर ने दिनांक ३१-८-५६ को २२,७००) का तखमीना स्वीकार करके डाइरेक्टर, संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर को स्वीकृति हेतु भेजा है ?

(३) क्या यह सच है कि उक्त कार्य की स्वीकृति के लिये डाइरेक्टर, संस्कृत विभाग ने समस्त कागजात डाइरेक्टर, शिक्षा विभाग, बीकानेर को जनवरी के प्रारम्भ में स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दिये थे ?

(४) क्या यह सच है कि उक्त कार्य

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

की स्वीकृति इस लम्बी अवधि में भी अभी तक नहीं हुई है ?

(५) क्या यह सच है कि प्रशासनिक विलम्ब के कारण राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि या बजट के अनुदान लैप्स हो जाते हैं ?

(६) क्या सरकार यथाशीघ्र उक्त कार्य को पूर्ण करावेगी ? अगर हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उप मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) वहां सरकार कोई भवन निर्मित नहीं करवा रही है ; वहां की संस्था द्वारा बनवाया जा रहा है ।

(२) जी हां ।

(३) जी हां ।

(४) जी हां ।

(५) जी नहीं ।

(६) सरकार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यथा समय विचार किया जायगा ।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : जब उन्होंने लिखकर सरकार को दे दिया है कि इस पाठशाला का काम सरकार करे तो क्यों नहीं सरकार उसको अपने हाथ में लेले ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने इसका तो अभी निवेदन कर दिया कि यह भवन अभी सरकार के पास में नहीं है ।

जिला जालोर के नमक के मुआवजे के पेन्डिंग बिल्स का शीघ्र भुगतान कराना

२०५. **श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर)** : क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

जिला जालोर के कौन कौन से जागीर के नमक (साल्ट) के कम्पेन्सेशन के किस किस तारीख से बिल्स पेंडिंग हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें । अब तक उनके पेमेन्ट न करने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : जागीर के नमक (साल्ट) के कम्पेन्सेशन का कोई बिल उद्योग विभाग में पेंडिंग नहीं है ।

जयपुर पूर्व में सिलेक्शन ग्रेड से सम्बन्धित एरियर की रकम का अध्यापकों को भुगतान

२०६. **श्री प्रभुलाल पुरोहित (ललिसोट)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) जयपुर पूर्व में सिलेक्शन ग्रेड से सम्बन्धित कितने अध्यापकों के सिलेक्शन ग्रेड के एरियर बिल अब तक नहीं बने हैं ?

(ख) क्या जिन अध्यापकों के एरियर बिल्स बन चुके हैं उनको पास करवाने हेतु भिजवा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) अब तक किन किन अध्यापकों को सिलेक्शन ग्रेड के एरियर की रकम मिल चुकी है ?

Page No.16

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

(घ) उपरोक्त सिलेक्शन ग्रेड सम्बन्धित शेष अध्यापकों को एरियर की रकम कब तक पेमेन्ट कर दी जावेगी ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : अध्यापकों के बिल अभी तक बनाने बाकी हैं।

(ख) जिन अध्यापकों के एरियर बिल बन चुके हैं वे उपाध्यक्ष, शिक्षा विभाग, जयपुर के कार्यालय में अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवा दिये गये हैं तथा कार्यवाही जारी है।

(ग) अब तक २६ अध्यापकों को सिलेक्शन ग्रेड की रकम मिल चुकी है। इसके अतिरिक्त ३ प्राईमरी स्कूल के अध्यापकों के बिल इस कार्यालय में तैयार करके सम्बन्धित विकास अधिकारियों को भेजे जा चुके हैं।

(घ) कोई निश्चित अवधि नहीं दी जा सकती लेकिन जहां तक होगा, बहुत जल्द कार्यवाही करके अध्यापकों को पेमेन्ट किया जावेगा।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर): ५ अध्यापकों के एरियर बकाया हैं, वे क्यों बकाया हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कुछ उनमें कमियां हैं उनके बारे में पूछा गया है। वे सब पूरी हो जायंगी, उसके बाद में लिखा जायगा।

डॉ० चन्द्रकला : कब से बकाया है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह तारीख की सूचना मेरे पास में नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार यह महसूस नहीं करती है कि अध्यापकों के एरियर्स इस तरह से चलते रहते हैं तो उनको असुविधा होती है। अगर कोई कमी है तो जल्दी से पूरी करवाकर बकाया दे दिया जाय।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यही मैं निवेदन कर रहा हूं।

प्रश्न संख्या १७४

श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १७५

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

जोधपुर की फिदूसर की पत्थर की खानों को अलॉट करने से पूर्व ठेकेदारों से जमा कराई जाने वाली धनराशि की वापसी

१७६. श्री सूरजमल [फलोदी-सु०-श्री मनरूपराम परिहार (खारची-सु०) द्वारा पूछा गया] : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) जोधपुर की फिदूसर पत्थर की खानों पर प्रति ठेकेदार से प्रति खान अलॉट करने से पहले दो सौ रुपयों की धनराशि किसलिये जमा कराई जाती है और क्या उक्त जमा कराई गई धनराशि बाद में वापिस

Page No.17

(श्री सूरजमल)

ठेकेदार को दे दी जाती है ?

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रति खान पर चार सौ रुपये की धन-राशि जमा हो जाने पर भी पहले ठेकेदार द्वारा जमा कराई गई धन–राशि वापिस नहीं की जाती है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) दो सौ रुपये खान पर से मलवा हटाने के लिए जमा किये जाते हैं और यह रकम बाद में वापिस नहीं लौटाई जाती है ।

(ख) हां । परन्तु एक खान पर केवल २००) रुपये ही जमा होते हैं ।

प्रश्न संख्या १७७

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

अनुसूचित जाति के काश्तकारों को शेरगढ़ तहसील के अन्तर्गत काश्त योग्य बेकार पड़ी भूमि का आवंटन

१७८. **श्री सूरजमल** [फलोदी–सु०– श्री मनरूपराम परिहार (खारची–सु०) द्वारा पूछा गया] : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(क) शेरगढ़ तहसील के ग्राम डूंगर, आगलोई और तोलेसर की सींव में काश्त करने योग्य कितनी कितनी भूमि बेकार पड़ी हुई है ? तहसील के प्रत्येक गांव से सम्बन्धित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(ख) क्या यह सही है कि उक्त गांवों में बेकार पड़ी हुई काश्त की भूमि को काश्त के लिये अलॉट कराने के लिये अनुसूचित जातियों के काश्तकारों ने प्रार्थना-पत्र पेश किये थे ? यदि हां, तो कब और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) ग्राम डूंगर में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा भूमि आवंटन करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुए, उनको दिनांक ६.७.६० को मौके पर भूमि तहसीलदार द्वारा आवंटन कर दी गई है ।

(ख) ग्राम आगोलाई में १४ अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा भूमि आवंटन करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रेषित हुए उनको दिनांक ६.७.६० को मौके पर भूमि तहसीलदार द्वारा आवंटन कर दी गई ।

(ग) ग्राम तोलेसर पुरोहितान में काबिले काश्त जमीन नहीं है और न किसी भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया ।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू–सु०) : ६ व्यक्तियों को भूमि अलॉट की गई है; क्या उन पर वे काश्त करते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मेरे लिये कहना मुश्किल है; अलॉट कर दी गई है, कब्जा दे दिया गया है । काश्त करते हैं या नहीं, यह मुझे नहीं मालूम है । आइन्दा गश्त गिरदावरी आयेगी तो मालूम होगा । आइन्दा सेशन जनवरी में पूछें ।

श्री लादूराम सुलाणिया : मैं यह

Page No.18

(श्री लादूराम सुलाणिया)

कहना चाहता हूं कि भूमि अलॉट कर दी जाती है, स्लिप्स दे दी जाती है, तहसीलदार उसके नम्बर की भूमि को दे देता है, लेकिन उनको भूमि जोतने नहीं दी जाती है, बड़े झगड़े चलते हैं और बिला काश्त वह पड़ी रहती है।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर): प्रत्येक व्यक्ति को कितने बीघा अलॉट की गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नियम के अन्दर जो १५ बीघा है वही अलॉट की गई होगी।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री मोहरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री किशनाराम।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री बेनाराम गहलोत।

(अनुपस्थित)

श्री लच्छूराम।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री लच्छूराम।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष, इसका (प्रश्न सं० १९५ का) उत्तर दे दिया जाय।

महाराजा कॉलेज, जयपुर में एक क्लर्क श्री राधेश्याम केडिया द्वारा गबन

१९५. श्री भैरोंसिंह [श्री माधोपुर–डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि महाराजा कॉलेज, जयपुर में सन् १९५७–५८ में एक क्लर्क श्री राधेश्याम केडिया ने कुछ रकम का गबन किया था ? यदि हां, तो कितनी रकम का तथा इसकी किसके द्वारा जांच की गई और उसका क्या परिणाम रहा ?

(ख) यह गबन किस प्रकार का था तथा इसके लिये कौन कौन जिम्मेदार हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि चार रसीदों की रकम कैश में वसूल की जाकर कैश बुक के खाना बैंक में दिखाई गई जब कि वास्तव में यह रकम बैंक में जमा नहीं कराई गई ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) महाराजा कॉलेज, जयपुर में सन् १९५७-५८ में श्री राधेश्याम केडिया गेम्स फण्ड की रकम छात्रों से वसूल करते थे जो कि लोकल फण्ड की रकम होती है। दिनांक १५ नवम्बर, सन् १९५७ को उन्होंने रसीद नं० ११११० से १११५ के जरिये ३१ रु० ५४ नये पैसे वसूल किये और कैश बुक में बैंक के खाने में दर्ज किये। वास्तव में यह रकम कैश के खाने में दर्ज करने की थी। कॉलेज की सर्विस छोड़ने पर तारीख २६.५.५६ को श्री केडिया ने उनके द्वारा दी हुई १,०००) रु० की जमानत की वापसी की दर्ख्वास्त की जो लौटाने से पहले कैशियर द्वारा उनका रेकॉर्ड जांच कराया गया तो उपरोक्त गलती का पता चला। उसकी सूचना श्री केडिया को दी गई और उनसे यह रुपया वसूल हो गया।

(ख) वास्तव में यह गबन का केस नहीं था। सद्भावनापूर्ण प्रक्रियात्मक भूल (Bona-fideprocedural mistake) मालूम होती है। इस भूल के जिम्मेदार श्री राधेश्याम केडिया थे।

(ग) जी हां।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री किशनाराम।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

११.३८ म० प०

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (विधान सभा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति (बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी) के पन्द्रहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

पुरःस्थापित विधेयक

राजस्थान स्मारक, पुरातत्व सम्बन्धी स्थान तथा प्राचीन वस्तु विधेयक, १९६०

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप मंत्री, शिक्षा) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मोन्युमेन्ट्स, आर्क्योलोजिकल साइट्स एन्ड एन्टीक्विटीज़ बिल, १९६० को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मोन्युमेन्ट्स, आर्क्योलोजिकल साइट्स एन्ड एन्टीक्विटीज़ बिल, १९६० को पुरः-स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

राजस्थान कृषि उपज विपणि विधेयक, १९६०

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व

(श्री दामोदरलाल व्यास)

मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स बिल, १९६० को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स बिल, १९६० को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं बिल को पुरःस्थापित करता हूं।

मारवाड़ विवाह निधि प्रशासन विधेयक, १९६०

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं मारवाड मैरिज फण्ड एडमिनिस्ट्रेशन बिल, १९६० को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मारवाड़ मैरिज फण्ड एडमिनिस्ट्रेशन बिल, १९६० को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान सरकार विद्युत प्रतिष्ठान (प्राप्य राशियों की वसूली) विधेयक, १९६०

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल अन्डरटेकिंग्स (ड्यूज़ रिकवरी) बिल, १९६० को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल अन्डरटेकिंग्स (ड्यूज़ रिकवरी) बिल, १९६० को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हरिश्चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण की सूची भी सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान न्यायालय शुल्क तथा वाद मूल्य निर्धारण विधेयक, १९६०

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता(स्वास्थ्य मन्त्री):

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कोर्ट फीस एन्ड सूट्स वेल्युएशन बिल, १९६० को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कोर्ट फीस एन्ड सूट्स वेल्युएशन बिल, १९६०

(श्री अध्यक्ष)

को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

कार्य सलाहकार समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन पर विचार

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (स्वास्थ्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कार्य सलाहकार समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

(विराम)

आयुक्त, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिवेदन १९५७-५८ व १९५८-५९ पर

अग्रेतर विचार-विमर्श

श्री अमृतलाल यादव ।

श्री अमृतलाल यादव (जालोर मु०) : अध्यक्ष महोदय, सदन में कमिश्नर, शिड्यूल्ड कास्टस, शिड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेज़ की सन् ५८-५९ की रिपोर्ट पर बहस जारी है । हम राजस्थान सरकार को इस बात का धन्यवाद देते हैं कि इस सदन में पहली बार, यद्यपि यह कमिश्नर की आठवीं रिपोर्ट है लेकिन इस सदन में पहली बार बहस के लिये गवर्नमेंट ने की उपस्थित है । जब उस दिन माननीय सदस्य बोल रहे थे तब कुछ माननीय सदस्यों ने यह मांग की कि इसकी कॉपी हिन्दी में भी हमें मिलनी चाहिये थी । एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि ज्यादातर हरिजन और आदिवासी सदस्य अंग्रेजी नहीं जानते हैं इसलिये उनको हिन्दी की कॉपी की जरूरत है । लेकिन मैं यह कहना चहता हूं कि वे अंग्रेजी को जानने-वाले भी हों तो भी हिन्दी कॉपी की इसलिये जरूरत है कि हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है और राजस्थान राज्य ने घोषित किया है कि हिन्दी को प्रथमिकता देंगे....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : बहुत सुन्दर ।

श्री अमृतलाल यादव : और हमारे इस सदन में जो भी कार्यवाही की जाती है उसमें हिन्दी को ऑथेन्टिक माना जाता है, हिन्दी में ही कार्यवाही रखी जाती है और हिन्दी में ही रखने की कोशिश करते हैं । जब माननीय सदस्यगण यह मांग कर रहे थे तो माननीय मन्त्रीजी, समाज कल्याण विभाग को यह कहते हुए सुना कि इसकी अंग्रेजी प्रतियां ही उपलब्ध हैं, हिन्दी प्रतियां नहीं हैं । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब से कमिश्नर के प्रतिवेदन प्रकाशित होने शुरू हुए हैं तब से हर साल अंग्रेजी के साथ

Page No.22

(श्री अमृतलाल यादव)

साथ हिन्दी में भी प्रकाशित होते हैं और जब यह रिपोर्ट ५८–५६ की अंग्रेजी में है तो उसकी हिन्दी प्रतिलिपियें भी वहां पर हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि हिन्दी प्रतिलिपियां क्यों नहीं उपलब्ध की गई ? इसे गफलत कहा जाय या लापरवाही कहा जाय या जानकारी का अभाव कहा जाय, मैं नहीं समझता। खैर, यह बहुत आवश्यक बात है कि इसकी प्रतिलिपि हिन्दी में अवश्य मिलनी चाहिये थी, मिलती तो अच्छा था । खैर आगे जब भी यह बहस के लिये सदन में आवे तो हिन्दी प्रतिलिपियां अवश्य उपलब्ध की जानी चाहिये ।

अब मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट के सिलसिले में सिलसिलेवार चलना चाहता हूँ । इसका पहला चेप्टर है वह एडमिनिस्ट्रेटिव सेट–अप का है । एडमिनिस्ट्रेटिव सेट–अप के बारे में अध्यक्ष महोदय, कमिश्नर ने यह कहा है :

"The Head of the Department for the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes etc. in each State should be a Senior Administrative officer who should not be transferred from the post before atleast 3 years.

The State Department for Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes etc. should also have senior staff to advise in matters like agriculture, co-operation education, housing etc." अब जो इसमें पहला सुझाव है कि इस विभाग के अधिकारी हों वे सीनियर मोस्ट ऑफिसर हों। मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद देता हूं कि पहले नॉन आर. ए.-एस. इस विभाग के हैड ऑफ दि डिपार्टमेंट होते थे अब आर. ए. एस. होते हैं । मैं चाहता तो यह हूं कि आई.ए.एस. ऑफिसर को हैड ऑफ दि डिपार्टमेंट बनाया जाय। लेकिन सबसे दुःख की बात तो यह है कि यह विभाग जब से स्थापित हुआ तब से न तो कोई स्थाई सेक्रेटरी रहा और न स्थाई संचालक रहा । ये कहते हैं कि कम से कम तीन साल पहले तब्दील नहीं होना चाहिये, लेकिन अतिशयोक्त नहीं होगी यदि मैं कहूं कि एक साल में दो संचालक भी रहे हैं । खास तौर से इसका कोई संचालक स्थाई तौर से नहीं रहा। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हों उनमें इस बात को देखा जाय कि उनमें इस तरह की भावना, क्वालिफिकेशन और इस तरह की मिशनरी जील हो जो वोलेन्टियरी हो। ऐसे ऑफिसरों को तरजीह देनी चाहिये। इसमें लगाने के लिए बेशक अच्छे आदमी चुने गए, अच्छे आदमी हो सकते हैं लेकिन इस बात की तवज्जोह नहीं रही कि इसके डाइरेक्टर स्थाई रहें । इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस सिलसिले में मन्त्री महोदय ने कहा था कि इसमें जो जो रिकमन्डेशन्स की गई हैं उनका ध्यान राज्य सरकार ने बराबर रखा है ।

अब दूसरी बात आती है एडमिनिस्ट्रेटिव सेट–अप की । इसके परिशिष्ट में सब राज्यों की सिलसिलेवार डिटेल्ड रिपोर्ट है और राजस्थान का भी इसमें नक्शा है। मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें जो बताया गया है उसके अनुसार यहां पर स्टाफ बहुत लम्बा–चौड़ा है । लगभग २५ ऑफिसर्स डाइरेक्टर के स्टाफ में हैं; जैसे Assistant Director (HQ), Accounts

(श्री अमृतलाल यादव)

Officer, Research Officer, Social Education Officer, Welfare Officer, Lady Welfare Officer, Special Officer for Rehabilitation of Gadia Lohars, Publicity Officer, Two Assistant Research Officers, Asstt. Statistical Officer, Propaganda Assistant, 2 Welfare Inspectors, Accounts Inspector etc. etc. ये २५ आदमी डाइरेक्टर, सोशियल वैलफेअर डिपार्टमेंट के यहां हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स और डिविज़नल हैड क्वार्टर्स पर इतना ही लम्बा चौड़ा स्टाफ और है । लेकिन जैसा कि शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर ने कहा है उस तरह का सेट-अप होना चाहिये । शिड्यूल्ड ट्राइब्स की मशीनरी के बारे में इसमें कहा है: "The State Department for welfare of Scheduled Castes and scheduled Tribes etc. should also have senior technical staff competent to advise in matters like agriculture, co-operation, education, housing etc." इस दृष्टि से आप देखेंगे तो इसमें कोई भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है । कमिश्नर द्वारा की गई रिकमन्डेशन को बिल्कुल निग्लेक्ट किया गया है । इसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिये । इसको निग्लेक्ट करने से समाज के इतने बड़े अंग को नुकसान पहुंच रहा है ।

दूसरी, इसमें यह बात और रिकमन्ड की गई है; पेज ७ (एफ) में लिखा है: "In my previous reports, I have been stressing upon the State Governments that the Director-in-charge of the Welfare of Backward Classes may be appointed as Ex-officio Joint Secretary or Deputy Secretary of the department concerned, so that delays in sanctioning and execution of the schemes can be avoided." यह बात इसमें कही गई है । यहां इस बात की लगातार कोशिश रही, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक इस सुझाव पर कोई अमल होता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है जिसकी कि बहुत जरूरत है । इस पर अमल होना और इस प्रकार की व्यवस्था करना बहुत जरुरी है ।

इसके बाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सेन्टर में एडवाइज़री बोर्ड है; राज्य सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं कि उसने आदिवासियों के लिये एडवाइज़री बोर्ड बनाया है और हरिजनों के लिए भी एडवाइज़री बोर्ड है । पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी एडवाइज़री बोर्ड थे लेकिन अब सुना है कि उनको एबोलिश कर दिया गया है । इसमें इस बात की रिकमन्डेशन है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बोर्ड होने चाहिये जिसमें सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स और नॉन ऑफिशियल्स रहें जो पूरी तरह से इस बात की देखभाल करें कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या क्या कार्यवाही हो रही हैं और किस तरह से ठीक ढंग से काम चलना चाहिये । इसके बाद, माननीय अध्यक्ष, मैं आपका ध्यान इस चेप्टर में इस ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कमिश्नर ने कहा है : Representation in Parliament, State Legislatures and Territorial Councils. उसमें उन्होंने नीचे लिखा है, १६ में : "In so far as Rajya Sabha is concerned, during the period under

(श्री अमृतलाल यादव)

report, two Scheduled Caste and one Scheduled Tribe members retired, while one scheduled caste member resigned. During the same period, four Scheduled Caste and two Scheduled Tribe Members were elected. Thus the total number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe members in Rajya Sabha increased from 9 to 11." लेकिन मुझे यह कहते हुए दुःख होता है, यह एक बात होती है कि हम लोगों के अन्दर कॉन्फीडेन्स पैदा करने के लिए, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स में, आया हमारे लिए वास्तव में क्या किया जाता है, जिसे कि आपकी इच्छा पर मैं छोड़ देता हूं। जब रिज़र्वेशन का सवाल आता है, यह कहा जाता है कि उस तक यह रिज़र्वेशन क्यों चलायें, अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि समाज में विषमता उठ गई है, अस्पृश्यता अब नहीं है, सब लोगों के दिमागों में आता जा रहा है कि इस प्रकार की छूत-छात नहीं रहनी चाहिए। लेकिन हमको पार्लियामेन्ट में अगर जाने का मौका मिला है, तो क्योंकि आपने रिज़र्वेशन दिया है, इसलिए, हमको विधान सभा में बैठने का मौका मिला है, चूंकि रिज़र्वेशन दिया है, इसलिए ! लेकिन एक बात टैस्ट करने के लिए छोड़ दी है, राज्य सभा में रिज़र्वेशन नहीं रखा है। राजस्थान की पोपुलेशन को देखिये, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स की पोपुलेशन क्या है, तो उससे अन्दाज लगायेंगे कि निश्चित तौर पर राज्य सभा में हरिजन व आदिवासियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए क्योंकि उसके लिए रिज़र्वेशन नहीं रखा गया है, इसलिए हमारा कोई आदमी राज्य सभा में नहीं पहुँचा, यह दुःख की बात है, और मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि यह टैस्ट है, जिससे हमको देखना पड़ेगा कि आपके दिलों में हमारे लिए क्या भावना है। आप हमको रिप्रजेन्टेशन देकर समानता के दर्जे पर लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते हैं, यह एक कसौटी है इस बात की। इस कसौटी पर आप फेल हुए हैं, यह मैं आपको कहना चाहता हूं। तो इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है, यह मैं अर्ज करना चाहता हूं।

तीसरी बात है वैलफेयर स्कीम्स की। इस सम्बन्ध में, माननीय अध्यक्ष, मैं आपके सामने एक बहुत दुःखपूर्ण स्थिति रखना चाहता हूं और इस हाउस के सामने भी जबाये आंकड़े मैं रखूंगा, तो सहानुभूति निश्चित रूप से मेरे हाथ होगी। वैलफेयर स्कीम्स में मैं दूर नहीं जाना चाहता लेकिन मैं ताजा मिसाल, नहीं, ताजे फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की वार्षिक रिपोर्ट, १९५६-५७ की छठवीं रिपोर्ट हिन्दी में मेरे पास मौजूद है। इसके पेज २५ के ऊपर यह दिया गया है, जिसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की जाति और उनकी जनसंख्या और उनके पर्सेन्टेज हैं। मैं मेरी बात कहने के पहले राजस्थान के आंकड़े आपके सामने रख देना चाहता हूं। १९५६ के ऑर्डर के अनुसार राजस्थान में हरिजनों की जनसंख्या २५, ०२, २०२ और कुल जनसंख्या के अनुसार १५. ६७ है। दूसरी आदिम जातियों की जनसंख्या १७, ७४, २७८ है। कुल जनसंख्या के अनुसार पर्सेन्टेज है ११. ११। हरिजनों की जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से सारे

(श्री अमृतलाल यादव)

देश में पंजाब पहला है, जिसमें पर्सेन्टेज है २१.६४ और राजस्थान पांचवा ठहरता है। अनुसूचित आदिमजातियों के प्रतिशत के हिसाब से पहला है लकादीव, मिनीकोय तथा अमिनदिवि, जिसमें परसन्टेज है ६४.११ और राजस्थान सातवां ठहरता है। यह मैंने इसलिए निवेदन किया क्योंकि आप यह देख सकते हैं कि २० एम. एल. एज़. आदिवासी हैं और २८ एम. एल. एज़. हरिजनों के हैं। मैं दिल से चाहता हूँ कि आदिवासी, बैकवर्ड क्लास, विमुक्त जातियां, सभी जो देश के पिछड़े हुए अंग हैं, उन पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए और अधिक से अधिक उनको उन्नत करना चाहिए और अगर वे कुछ कमजोर हैं और कम्पेरिटिवली ज्यादा सहायता की जरूरत है तो ज्यादा सहायता भी दी जानी चाहिए। लेकिन माननीय अध्यक्ष, बिल्कुल इनजस्टिस तो नहीं होनी चाहिए। थर्ड फाइव इअर प्लान हमारे सामने है। उसमें कुल रकम जो रखी गई है, वह मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। तृतीय पंचवर्षीय योजना में कुल प्रावधान आदिवासियों की योजनाओं के लिए २३२ लाख है, जब कि उनकी पोपुलेशन मैंने बताई १७, ७४, २७८ लेकिन हरिजनों की पोपुलेशन २५, ०२, २०२ होते हुए भी उनके लिए ११८ लाख का प्रोविजन है, बिल्कुल रुपये में आधा यानि उनके लिए २३२ लाख और इनके लिए ११८ लाख। आपके सामने मैंने फिगर्स रखे, हरिजनों की पोपुलेशन और आदिवासियों की पोपुलेशन आपके सामने रखी। अब इनका प्रतिनिधित्व इस प्रकार है, २० एम. एल. एज़. आदिवासियों के हैं और २८ एम. एल. एज. हरिजनों के बैठे हैं। २८ के लिए ११६ लाख और २० के लिए २३२ लाख। यदि आप इसको फेवर मानते हैं तो कहना कुछ नहीं है। यदि आप इसको मानते हैं कि इसमें वजन है तो मैं चाहता हूँ कि राज्य सरकार इस पर गौर करे। इतना ही नहीं, इसके आगे मैं बताऊं कि फर्क इतना ही नहीं है, फर्क और भी है। भवन निर्माण को लीजिये। आदिवासियों के लिए १८ लाख है, हरिजनों के लिए है ११ लाख ८० हजार। आगे और बाढ़ के लिए आदिवासियों के लिए हैं २५ लाख और हरिजनों के लिए १५ लाख हैं। कानूनी सहायता के लिए जहां हरिजनों को ज्यादा जरूरत है, अनटचेबिलिटी रिमूवल के सम्बन्ध में वहां एक लाख है, आदिवासियों के लिए और ५० लाख हैं हरिजनों के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए ११०८० लाख है आदिवासियों के लिए और हरिजनों के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है। इसके बाद प्राथमिक पाठशालाओं के सम्बन्ध में बताऊं कि प्राथमिक पाठशालायें आदिवासियों के लिए ८६ हैं और हरिजनों के लिए ५ हैं, सामाजिक शिक्षा केन्द्र आदिवासियों के लिए १७ हैं और हरिजनों के लिए ६८ हैं, बुनियादी स्कूल आदिवासियों के लिए ४७ हैं और हरिजनों के लिए एक भी नहीं है, आश्रम स्कूल आदिवासियों के लिए ६ हैं और हरिजनों के लिए एक भी नहीं हैं, पब्लिक एवं विशेष स्कूल्स की छात्रवृत्ति में आदिवासियों के लिए चार लाख है और हरिजनों के लिए कुछ नहीं है। यह फर्क मैंने आपके सामने रखे हैं और इनसे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि यह कहां तक मुनासिब है ? इतनी बड़ी पोपुलेशन के लिए इतना ज्यादा फर्क ठीक है

(श्री अमृतलाल यादव)

या नहीं ? इनमें आधे से ज्यादा फर्क कर दिया जाय और जहां आवश्यकता हो वहां न किया जाय, इसको मैं आपके सामने एक योजना के द्वारा रखने का प्रयत्न करूंगा। आश्रम स्कूल वह चीज है, जिसके अन्दर विद्यार्थी २४ घंटे गुरुजनों के निरीक्षण में रह कर वहां खायें पीवें, वहां रहें और वहां पढ़ें। इसका मतलब यह है कि उस एटमोस्फियर को छोड़ कर अच्छे एटमोस्फिअर में रहें और उनकी उन्नति हो, उनका चरित्र निर्माण हो। आज अन्दाज लगा सकते हैं कि क्या इसकी आदिवासियों को ही जरूरत है, केवल आदिवासी ही इसके अधिकारी हैं ? हरिजनों को इसकी जरूरत है या नहीं, इस सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करूं, माननीय अध्यक्ष, हमारा लड़का, जो होस्टल में नहीं रहता है और वह लड़का मैट्रिक में पढ़ता है, लेकिन घर पर आकर वह चीथड़े की गुदड़ी में सोता है। हमारा लड़का कॉलेज में पढ़ता है लेकिन वह गरीब और मजबूर, जब कॉलेज के वातावरण से निकल कर आता है तो घर पर आकर देखता है, मच्छर और मक्खियां भनभनाया करती हैं, बुरी सडांद आ रही है, सूअर भौं-भौं करते हैं, चिथड़ों में छेद हो रहे हैं और झोंपड़ी में से पानी टपक रहा है। यह हालत होती है,

(१२. म० प०)

तो उन लोगों के लिये जिनको कि ऐसी गंदी बस्तियों के वातावरण में रहना पड़ता है उनके बच्चों के लिये राज्य सरकार ने किन कारणों से जरूरत नहीं समझी, जिसकी बहुत जरूरत है। इतना ही नहीं, मैं आपसे और अर्ज करूंगा कि शिक्षा की बहुत जरूरत है। आज शिक्षा की दृष्टि से आप देखेंगे तो आदिवासियों के लिये २२ छात्रावास हैं जहां हरिजनों के लिये केवल १४ ही हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि कम से कम २६ जिले राजस्थान के हैं। कम से कम हर जिले में हरिजनों के लिये एक छात्रावास तो रखना चाहिये था। अगर सरकार हर जिले में एक एक छात्रावास हरिजनों के लिये रखती तो कम से कम उससे भी हम संतोष कर सकते थे। लड़कियों के लिये आप ताज्जुब करेंगे कि आदिवासियों के लिये दो छात्रावास हैं और हरिजनों के लिये कोई छात्रावास नहीं। अब सुना गया है कि लड़कियों के लिये जोधपुर में एक छात्रावास है। मैं यह कहूंगा कि जोधपुर में रखने का क्या क्राइटेरिया है ? अगर जोधपुर हरिजनों की लड़कियों के लिये छात्रावास इसलिये रखा जाता है कि जोधपुर एक डिविजन है तो यहां पर ५ डिविज़न्स हैं और पांचों स्थानों पर एक एक छात्रावास होना चाहिये। अगर राज्य सरकार एक ही जगह छात्रावास लड़कियों के लिये रखना चाहती है तो इसके लिये बैस्ट जगह जयपुर ही हो सकती है जहां सब जगह से हरिजनों की लड़कियें आ सकती हैं और यह राज्य की राजधानी भी है। जब कि कन्या शिक्षा पर जोर ज्यादा देने की आवश्यकता है वहां पर हम देखेंगे कि अगली पंचवर्षीय योजना में कोई भी प्रावधान इसके लिये नहीं रखा गया है। इन पांच वर्षों में हिन्दुस्तान और दुनिया कितनी बदल जावेगी और राजस्थान की लड़कियें और हरिजनों की लड़कियें उस विकास से वंचित रह जावेंगी। अगर राज्य सरकार को यही करना है तो ठीक है। राज्य सरकार के लिये तो सभी राज्य के अंग बरा-

(श्री अमृतलाल यादव)

बर होने चाहिये और जो अंग कमजोर होता है उसकी तरफ ज्यादा तवज्जोह देनी चाहिये। इसलिये माननीय मंत्रीजी अपने सामने जो प्रश्न रखा गया है उस पर विचार करें और अगर इसमें कोई वजन है तो आप इस पर गौर फरमावेंगे।

चौथी बात मुझे निवेदन करनी है वह लीगल एड की है। एक मेरे मित्र ने, एक भाई ने उस दिन कहा था, उन्होंने बताया था आंकड़े बता कर कि राजस्थान में कितने केसेज़ हुए और उनका उन्होंने वर्णन किया। कमिश्नर की रिपोर्ट में साफ लिखा है :

"It is desirable that attention of the Courts should be drawn to the delay in the disposal of cases registered under the Act and if necessary a direction may be given for an expeditious disposal of such cases. Until adequate steps are taken by the State Governments the Act will not succeed in securing to the Harijans the protection afforded by the Act or instilling among them a sense of confidence and assurance."

यह कमिश्नर की रिपोर्ट में लिखा है। इस पर राज्य सरकार ने कहां तक अमल किया है और क्या किया है यह मुझे मालूम नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगा कि इस बारे में वे फरमावें कि इस पर क्या कार्यवाही राज्य सरकार की तरफ से की गई है?

अब माननीय अध्यक्ष, सबसे बड़ा प्रश्न जो हो सकता है हरिजनों और आदिवासियों की उन्नति के लिये जिसके बारे में इस रिपोर्ट की भूमिका में कमिश्नर ने बहुत अच्छी तरह से कहा है। मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं, उसमें उन्होंने कहा है कि :

"Uptodate data concerning the distribution of agricultural land to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes and correct information regarding the percentages of reservation in services reached by these communities so far in different States is not, however, still available with a number of them. It is desirable, that this important data is collected by all the State Governments for keeping their relevant records up to date so as to convince the country of their efforts to allot as much agricultural land as possible to the landless amongst the Backward Classes Tribes and to reach the targets of percentages fixed in Government posts and services for them. These two important problems, if tackled timely and properly will create confidence in the Backward Classes paving the way for doing away with the special provisions made in the Constitution for these people."

यह शिड्यूल्ड कास्ट के कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। अब मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको अर्ज करूं कि भूमि का प्रश्न हरिजनों और आदिवासियों के लिए महत्वपूर्ण है। जिस तरह से रोटी और रोजी का प्रश्न प्रमुख है उसी तरह से नौकरी के साथ साथ स्टेन्डर्ड का भी प्रश्न है। मैं भूमि के सम्बन्ध में आपसे अर्ज करूं। मुझे ताज्जुब है कि यह जो एपेन्डिक्स है इसमें एक फिगर दिया हुआ है जो स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है और इसका

(श्री अमृतलाल यादव)

मैंने हिसाब लगाया है । स्टेट गवर्नमेंट ने इसमें भूमि वितरण के लिए इस एपेन्डिक्स ३० में बताया है कि हरिजनों को राजस्थान में ७ लाख ६५ हजार १४० एकड़ जमीन दी गई है। गौर कीजिये कि राजस्थान सरकार ने ७लाख ६५ हजार १४० एकड़ जमीन दी है । इसका हिसाब लगावें । अगर एक फेमिली को १५ एकड़ भूमि मिले तो हमारे यहां ५१, ००६ परिवारों को यह जमीन मिलती है ।

श्री अध्यक्ष : एक फेमिली को १५ बीघा मिलती है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अलॉटमेंट तो १५ बीघा का करते हैं ।

श्री अमृतलाल यादव : लेकिन इसमें एकड़ का हिसाब था इसलिए मैंने एकड़ से ही हिसाब लगा लिया । मैं मोटी बुद्धि का आदमी हूं । इससे मैंने १५ का भाग देकर निकाल दिया। इसमें मैंने पाया कि इससे इतनी फेमिलीज़ रीहेबिलेट हो सकती हैं । अलॉटमेंट के लिए स्टेट एडवाइज़री कमेटीज़ बनी हुई हैं । कई एम. एल.एज़. में से सदस्य उसमें मौजूद हैं वे जानते हैं। और वे भी इसके लिये प्रेस करते हैं । हमें मालूम नहीं कि कब हमारी सरकार ने ७॥ लाख एकड़ भूमि हरिजनों को दी और यह रिपोर्ट कमिश्नर के पास कैसे पहुंची ? मैं इसका सोर्स जानना चाहता हूं । माननीय मंत्रीजी को जानने में दिक्कत हो रही होगी ....

श्री रिखबचन्द धारीवाल : कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री अमृतलाल यादव : तो ठीक है । इसमें उन्होंने जो लगा दिया है और उसमें यह लिखा है कि दिस इन्फार्मेशन जो मैंने ऊपर कही, ७ लाख वाली; this information does not pertain to the whole of the State and the period for which the information has been made available is not informed for all the districts. यह इसके साथ पढ़ लीजिये । इससे मालूम होता है कि यह सारे डिस्ट्रिक्टों के फिगर्स शामिल नहीं हैं । अगर यह जमीन दी गई है तो बड़ी खुशी की बात है । अगर माननीय मंत्री महोदय बतावेंगे कि यह जमीन दी गई है तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा । इसके अतिरिक्त मैंने राजस्थान केनाल के बारे में भी एक प्रश्न पूछा था और स्पेसिफिकली कहा था कि आपकी पॉलिसी क्या है ? मैंने बोर्ड में भी चाहा था कि अगर केनाल के कन्सट्रक्शन में लेबर नहीं मिलने के कारण से डिले होती हो तो मैंने एश्योरेन्स दिया था कि अगर लैन्डलैस हरिजनों को आप लैन्ड देने का निश्चित रूप से डिक्लेरेशन करें ताकि एक फेमिली को एक मुरब्बा ५ सदस्यों की फेमिली को मिलेगा तो आप देखिये कि कितने लोग वहां पर काम करने के लिए आते हैं । मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कई भाषणों में कहा है कि हम निश्चित रूप से जमीन हरिजनों को देंगे और मैं इस बात को भी मानता हूं कि वे जरूर उनका ध्यान रखेंगे । मैं जानता हूं कि राजस्थान केनाल में लेबर नहीं मिलने के कारण इतनी डिले हो रही है और भारत सरकार का तकाजा है और राजस्थान की बहबूदी और उन्नति भी इस पर निर्भर है । इसमें आप क्यों नहीं पॉलिसी डिक्लेअर करते ? आप साफ कह दीजिये कि निश्चित तौर से उन

(श्री अमृतलाल यादव)

लोगों को जमीन मिलेगी जो लेबर करेंगे। अगर यह कर दिया जावेगा तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की भी सेवा होगी और हरिजन और आदिवासी भी उन जमीनों पर काबिज हो जावेंगे और उनको रोटी-रोजी मिल जावेगी। मैं इस बात को मानता हूं निश्चित रूप से हरिजनों को जमीन मिली है। लेकिन भाखरा में रूल्स के मुताबिक जितनी जमीन उनको मिलनी चाहिये उतनी नहीं मिली है। इसके लिए इतने क्लिअर रूल्स हैं मगर इतने क्लिअर रूल्स होने के बावजूद भी उनके एग्ज़िक्युशन में जो लाभ हरिजनों को मिलना चाहिये नहीं मिलता है। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि वे देखें और हमें इस बात का गर्व है कि राजस्थान सरकार की लैन्ड रिफॉर्म की जो नीति है वह भारत के अन्य राज्यों से अच्छी है और उन्नत और प्रगतिशील नीति है।

उस नीति को देखते हुए हम हमारी स्टेट पर गर्व कर सकते हैं। लेकिन उसके परिणाम और उसके एक्ज़ीक्युशन में जो हरिजन और आदिवासियों को वास्तविक लाभ पहुँचना चाहिये उस दृष्टि से अगर देखें तो, माननीय अध्यक्ष, मैं यह कहने के लिए मजबूर हूँ कि उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। भाखरा केनाल में जो जमीन अलॉट हुई उसमें काफी गड़बड़ी हुई। हरिजनों को जिस तरह से जमीन मिलनी चाहिये थी वह इनको नहीं मिली और अन्य इरि-गेशन प्रोजेक्ट्स में भी उनको जमीन नहीं मिली। यह एक अहम सवाल है और उस पर मैं चाहता हूं कि राजस्थान सरकार कोई क़िस्म की एक कमेटी बैठाये जो उसको देखे और असेस करे। केन्द्रीय पार्लियामेन्ट की एस्टीमेट कमेटी ने भी सुझाव दिया कि इस समस्या को हल करने के लिए सोचा जाय, किस हद तक यह समस्या हल हुई है, नहीं हुई है, इसको देखा जाय और निश्चित समय और तरीके से इसको हल कर दिया जाय। माननीय अध्यक्ष अब तो, वह सिफारिश भी नहीं रहती है। भारत सरकार के, पं० पंतजी के गृह विभाग ने राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि फौरन इसका अमल होना चाहिये। अब तो यह आदेश हो गया और उस पर अमल होना निहायत जरूरी है। मैं मानता हूँ कि अब तो राज्य सरकार उस पर गौर करेगी ही और यह माननीय मंत्री महोदय अपने उत्तर में बतावेंगे।

अब मैं सर्विसेज़ के लिए अर्ज करना चाहता हूं। मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने अच्छा ऑर्डर निकाला कि जिसके तहत कोई ऐसी बात नहीं रखी कि जिससे कि हरिजन और आदिवासियों को लाभ न पहुंचता हो। ऑर्डर है; जयपुर, फरवरी २७, १९५८। मेरे देखने में ऐसी किसी अन्य राज्य सरकार को ऐसा कोम्प्रिहेन्सिव और क्लियर ऑर्डर नहीं आया। यह लम्बा-चौड़ा ऑर्डर है। लेकिन संक्षेप में जो बात कही गई है वह यह है कि जो रिज़र्वेशन हरिजन और आदिवासियों के लिए है उस कोटे को पूरा करने के लिए, अगर एक साल में वह पूरा नहीं होता है तो उसको दूसरे साल में पूरा किया जाय और दूसरे साल में नहीं होता है तो उसका तीसरे साल में भी इन्तजार किया जाय और तीसरे साल में भी नहीं होता है तो दूसरी वेकेन्सीज़ से उसको भरा जाय। इस तरह से पांच साल की लिमिट दी गई है। क्वालिफिकेशन्स के

(श्री अमृतलाल यादव)

लिए भी, माननीय अध्यक्ष, सहानुभूति पूर्वक देखने के लिए कहा गया है । एग्ज़ीक्युटिव में १२।। पर्सेन्ट है और मिनिस्टीरियल क्लास में १५ पर्सेन्ट का है । मिनिस्टर्स की नाक के नीचे सेक्रेटेरियेट में क्लास ४ के लोग तीन तीन साल से नौकरी कर रहे हैं, कोई दफ्तरी का काम करते है, कोई चपरासी का काम करते हैं, उनको अब तक कन्फर्म नहीं किया गया है । कोटा पूरा नहीं किया गया है । कन्फर्म किनको किया गया है? जो भंगी हैं ? उनको जरूर कर दिया गया है । यह कहां का इन्साफ है, मुझे यह तो बता दीजिये ? भंगी तो अपना काम करेगा ही । भंगी को एम्प्लोय किया, दूसरी जाति के एक आदमी को ले आइये, जो नौकरी करते हैं, यह काम नहीं करेंगे; गंदा समझेंगे । कन्फर्म न करें । दुख-दर्द के लिए आवें तो एसेन्शियल सर्विस घोषित कर देते हैं । किसी के शान-सम्मान, किसी के मनुष्यत्व का इससे बढ़ कर क्या अपमान हो सकता है ? एक भंगी मैला उठा कर सिर पर रख कर चूता हुआ ले जावे और आप उसको अच्छा समझें । क्या कोई दूसरा देश बर्दाश्त कर सकता है कि जहां पर कि एक मनुष्य इस प्रकार से टट्टी उठा कर जाता है, चूता हुआ उठा कर जाता है और उसको लोग देखें । राज्य सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना; दूसरी, तीसरी पंचवर्षीय योजना और कितनी ही योजनाएं बन जायं लेकिन एक मनुष्य के सिर पर गू की चितरी सिर पर चूती हुई रहेगी और टट्टी ले जाते हुए को सब देखेंगे । अगर आपकी इन्सानियत कबूल कर रही है, अगर प्रजातन्त्र के हामी हैं, प्रजातन्त्र को मानते हैं, प्रजातन्त्र में इन्सान की इन्सानियत कायम रखी जायगी, यदि आप यह कहते हैं और मानते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि चाहे आप सब प्रोविज़न्स को दूर कर दीजिये, हमारे लिये मकान मत बनाइये, हमको शिक्षा मत दीजिये हम चाहे मूर्ख रहना ही पसन्द करेंगे, मकान के बिना खुले आसमान और धरती ही हमारे लिए काफी रहेगी लेकिन एक भाई यदि जलालत की जिन्दगी बर्दाश्त करता है तो उसको उससे छुटकारा दे दीजिये । इसके लिए इसमें कोई प्रोविजन नहीं है; इसको देख कर मुझे बड़ा दुख हुआ । सर्विसेज़ के मामलों में मैंने इस पर कहा । उनके हितों का संरक्षण करने वाली सरकार की ओर से एजेन्सी कौन है ? सोशियल वैलफेयर डिपार्टमेंट । सोशियल वैलफेयर डिपार्टमेंट का लम्बा-चौड़ा खरीता बताया गया : दो सौ के करीब आदमी हैं । लेकिन माननीय अध्यक्ष, बाड़ ही खेत को खाये और राजा होकर अन्याय करे तब लोग कहां जायं ? मैं कहता हूं कि उस डिपार्टमेंट को क्या हक है दूसरे डिपार्टमेंट्स को यह कहने का कि हरिजनों और आदिवासियों को १२।। प्रतिशत रिज़र्वेशन दें जब कि उस डिपार्टमेंट में ही, खुद में १२।। पर्सेन्ट हरिजन आदिवासी नहीं हैं? मंत्री महोदय इसका स्पेसिफिक जवाब दें और यह

(विरोधी पक्ष द्वारा करतल-ध्वनि)

बतायें कि जब से यह डिपार्टमेंट बना है तब से यहां पर कितनी वेकेन्सीज़ हुईं, कितनी भरी गयीं और उनमें हरिजन और आदिवासियों का कितना पर्सेन्टेज है और नहीं है तो क्यों नहीं है, नहीं रखा गया तो किस कारण से उनको नहीं रखा गया और दूसरों को क्यों रखा गया ? जब आपने ही यह नहीं

(श्री अमृतलाल यादव)

किया तो आप दूसरे डिपार्टमेंट से पूछने का क्या हक़ रखते हैं ? इसके लिए कमेटी बैठाये सरकार, क्वार्टरली उसकी मीटिंग हो। इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष, मैं चाहूंगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन और राज्य सरकार के उच्चाधिकारी, कोई एक उच्चाधिकारी इस बात के लिए मुकर्रर कर दिया जाय, उनकी एक कमेटी मुकर्रर कीजिये, वह यह देखे कि सोशियल वैलफेयर डिपार्टमेंट में किस तरह का फेवर किया गया है, किस तरह से लैस क्वालिफाइड लोगों को रखा गया और हरिजन और आदिवासियों को किस प्रकार से निग्लेक्ट किया गया और उनको पोस्ट्स नहीं दी गईं। इस प्रश्न पर आप गौर फरमायेंगे और मुझे इस बात के लिए बतायेंगे। तो, जहां तक सर्विसेज़ का सवाल है मैंने आपसे इस बारे में निवेदन किया।

अब मैं आपको टैम्पल एन्ट्री के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। इस रिपोर्ट में जो लिखा गया है उसको पढ़ना मैं नहीं चाहता क्योंकि इसमें समय ज्यादा लग जायगा, और भी माननीय सदस्यों को बोलना है। हम तो अपना दुःख सुनायेंगे ही किन्तु अन्य माननीय सदस्य जो आदिवासी और हरिजन नहीं हैं वे भी इस पर प्रकाश डालेंगे। इसलिये मैं संक्षेप में ही निवेदन करूंगा।

टैम्पली एन्ट्री के बारे में मैं यह निवेदन कर दूँ उससे पहले मैं इस बात के लिये राज्य सरकार एवं राज्य सरकार के मुख्य मन्त्री महोदय को बधाई देना चाहता हूँ और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रसिद्ध जगदीश के मन्दिर को हरिजनों के लिए खुलवाया और शायद राज्य सरकार में हमारे पहले साहसी और हिम्मत वाले मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने अपनी हिम्मत और कार्य कुशलता से उदयपुर के प्रसिद्ध जगदीश । मन्दिर को हरिजनों के दर्शनार्थ खुलवाया इसके लिये मैं और हमारे हरिजन भाई उनके बहुत आभारी रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं यह कहे बिना नहीं रहूँगा कि राजस्थान मन्दिरों के मामले में बहुत गौरवशाली रहा है। हिन्दुस्तान में वैष्णवों का प्रसिद्ध मन्दिर नाथद्वारा में है जो स्टेट मैनेज्ड टेम्पल तो नहीं है लेकिन जिसका मैनेजमेंट एक प्राइवेट कमेटी द्वारा होता है। फिर भी स्टेट का उसमें दखल है, कितना बड़ा दखल है यह सभी जानते हैं। हम लोग यदि इस बात की आशा करें कि वह मन्दिर भी हरिजनों के लिये खुले तो यह अनुचित आशा नहीं होगी। इस तरफ भी राज्य सरकार द्वारा प्रयत्न किया जाना चाहिये।

इसके अलावा राजस्थान सरकार द्वारा जो नोन ऑफिशियल एजेन्सीज़ का संचालन होता है; जैसे हरिजन सेवक संघ, आदिम जाति सेवक संघ, खादी सेवा संघ आदि जो नोन ऑफिशियल संस्थायें जिनमें सरकार मदद देती है, मुझे अध्यक्ष महोदय, इस बात के लिये क्षमा किया जाय, मैं इनकी सर्विसेज़ के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। खादी सेवा संघ के सिलसिले में निवेदन कर दूँ, ये संस्थायें सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हैं। चरखा संघ इनकी रीढ़ की हड्डी है। जिस प्रकार म्युनिसिपल बोर्ड की रीढ़ मेहतर होता है उसी प्रकार इसकी बुनकर है। इसके अलावा आप यह भी देखेंगे कि बुनकरों का इतना बड़ा जाल है कि राज्य सरकार और भारत सरकार इनको सहायता प्रदान

(श्री अमृतलाल यादव)

करती है, इनको सब्सिडीज़ देती है, ग्रान्ट भी देती है लेकिन दूसरी तरफ इसके मैनेजमेन्ट की ओर आप आप दृष्टि डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें भी पर्सेन्टेज़ पूरा नहीं है ! यहां तक कहा जाता है कि चमड़े का काम चमार ही कर सकते हैं लेकिन इसमें हम देखते हैं कि हमारे यहां के एम. एल. ए. श्री जयचन्द रेगर, जिनके चमड़ा रंगते रंगते नख भी रंग गये हैं लेकिन उनके लिये भी स्थान नहीं। काम किस तरह से रंगा जाता है और किस तरह से काम किया जाता है ? एक शिक्षार्थी वर्धा से गांधीजी के आश्रम से वहां की छाप लगवा कर आये हैं लेकिन उनको भी राजस्थान सरकार इस विभाग में नौकरी नहीं दे सकी । आप इसके मैनेजमेंट को देखिये आपको मिलेंगे शर्मा साहब मैनेजर, वर्मा साहब और सेल्स मैन आपको गुप्ता साहब मिलेंगे। इस तरह से इस विभाग में हद हो रही है। हमारा पुश्तैनी धन्धा है जिसके अन्दर भी यही हालत है। आज भी वहां हम मजदूर की तरह ही रहे। इसके अलावा दूसरी तरफ हमें कहीं भी गुंजाइश नहीं है। इसलिये मेरा राज्य सरकार से यही निवेदन है कि जिन संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा मदद दी जाती है उनमें भी निश्चित तौर से पर्सेन्टेज कायम किया जाना चाहिये। गांधीजी के नज़दीक वे ज्यादा बनते हैं, कहते हैं कि पहले बेटे हम हैं लेकिन हम टेस्ट करना चाहते हैं । आप कम से कम चमड़े का काम जहां होता है वहां पर तो चमारों को लगाकर बताइये आखिर कहीं तो हमारा बाहुल्य होना ही चाहिये ।

अब मैं टैम्पल एन्ट्री के सवाल पर आता हूं। इसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, देवस्थान विभाग के मन्त्री महोदय उपस्थित नहीं है। मैं हमारे समाज कल्याण विभाग के मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे मेरी बात उन तक पहुंचा दें और कुछ हिम्मत वे नहीं करें तो इतनी हिम्मत तो वे कर सकते हैं कि जिन मन्दिरों को राजस्थान सरकार का देवस्थान विभाग मैनेज करता है उन मन्दिरों को कम से कम हरिजनों के दर्शनों के लिए खुलवा दें। इतना ही नहीं तो कम से कम एक झूठी सच्ची तख्ती ही लगा दीजिये कि इस मन्दिर में कोई भी बिना किसी भेदभाव के दर्शनों के लिए आ सकता है। मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा है कि मैं डिग्गी के कल्याणजी के दर्शन करूं, मेरी हार्दिक इच्छा है गोविन्ददेवजी जो जयपुर में विराजमान हैं उनके दर्शन करूं ।

एक माननीय सदस्य : क्या अब तक दर्शन नहीं किये आपने ?

श्री अमृतलाल यादव : मैंने तो अभी तक नहीं किये किन्तु मेरी पत्नी ने तो दर्शन जरूर कर लिये हैं। अगर वह कहती कि मैं मशहूर अमृतलाल यादव हरिजन की पत्नी हूँ तो शायद उसके लिए भी दर्शन करना सम्भव नहीं होता । अच्छी साड़ी पहिनकर वह तो दर्शन कर आयी।

एक माननीय सदस्य : आपको भी दर्शन करवा दिये हैं।

श्री अमृतलाल यादव : नहीं। यदि देवस्थान विभाग के मंत्रीजी डिग्गी के कल्याण-जी के दर्शन करवाने को तैयार हों तो मैं चैलेन्ज अपना वापिस ले सकता हूं।

एक माननीय सदस्य : जब वोट लेने होंगे तो आयेंगे ।

श्री अमृतलाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था तो मैं इसकी सीरियसनैस और गंभीरता को जानता हुआ निवेदन कर रहा था । यह मैं भी मानता हूं कि हमारी पॉलिसी अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी जो होनी चाहिये वह इस प्रकार की होनी चाहिये कि किसी पर दबाव डाल कर नहीं होनी चाहिये, किसी पर बल प्रयोग द्वारा नहीं होनी चाहिये । हमारे राष्ट्रपिता बापूजी ने भी यही बताया था कि अस्पृश्यता निवारण हृदय परिवर्तन से सम्बन्ध रखता है । जब आप मुझे तहे-दिल से अपनायेंगे तो वह आपका और हमारा मिलन स्थायी होगा । मेरी शिकायत केवल यही है कि कम से कम इसके आसार तो नजर आने ही चाहिये । इस दिशा में क्या प्रयत्न हो रहा है, यथा संभव जितना भी प्रयत्न इस ओर किया जा सकता है किया जाना चाहिये । आज के समय में भी इस प्रकार का वातावरण नहीं हो सकता तो फिर कौनसा समय आयगा और यह कब तक चलेगा ? आखिर इसके लिये कोई मियाद तो होनी चाहिये । आज हम यह तो देखते हैं कि हम एम० एल० ए० जो गांवों में जाते हैं, मीटिंग आदि करते हैं वहां किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता, ग्राम पंचायतों में सदस्यों के नाते जो हरिजन आदि जाते हैं वे बराबर उसी जाजम पर बैठते हैं, उन्हीं कुर्सियों पर बैठते हैं जहां दूसरे लोग बैठते हैं और एक ही गिलास से पानी भी पीते हैं। कहीं कहीं अभी भेदभाव भी चलता हो, यह मैं नहीं कहता । लेकिन इससे यह पता चलता है कि परिवर्तन जरूर होता जा रहा है । आखिर यह परिवर्तन लाने से तो हुआ है।। इसलिये मैं आपसे यही चाहता हूं कि इस तरफ आपको निश्चित तौर से हम यह नहीं कहते कि यह सवाल एक दिन में ही हल हो जाय लेकिन इस ओर निश्चित अवधि तो मुकर्रर होनी चाहिये और इसके साथ साथ यह भी हमें मालूम होना चाहिये कि यह हमारी कोशिश है ।

अब आता है ड्रिंकिंग वाटर वैल का, कुओं का प्रश्न । बहुत से कुए खोदे गये । एक बोर्ड बना था ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : मैंने प्रश्न किया था उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें तो ठीक हो ।

श्री अमृतलाल यादव: मैं अर्ज करूंगा, तो बहुत से कुए हैं । आज समाज कल्याण विभाग का मैं आभारी हूँ कि उसने ग्यारह लाख का प्रोविज़न इसके लिये रखा है । यह रकम मैं कम जरूर मानता हूं, पर फिर भी रखा है प्रोविजन, इसके लिये धन्यवाद देना चाहता हूं । पर प्रोविजन से ज्यादा इस बात की ओर मैं जोर देना चाहता हूं कि क्या इस प्रोवीजन से यह समस्या हल हो जावेगी या यह समस्या और स्थायी हो जावेगी ? आज अलग कुए बनाने की जरूरत नहीं । पर जो बने हुए हैं उनमें पानी भरने की सहूलियत देने की जरूरत है । अगर समाज को यह भी नहीं बता सकते कि जिस कुए पर कुत्ते, बिल्ली आदि जानवर तक चढ़ सकते हैं उन कुओं पर आज के जमाने में भी हरिजन पानी नहीं ले सके तो फिर किस जमाने में ले सकेंगे ? तो आज यह होना चाहिये । इसके लिये पुरजोर कोशिश होनी चाहिये । जितने सार्वजनिक अथवा राज्य के कुए हों उनमें सब पर हरिजन को पानी पीने की और लेने की इजाजत होनी चाहिये और

Page No.34

(श्री अमृतलाल यादव)

मैं जिला बोर्ड के संचालक को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने फार्म में इस बात को रखा था कि इस पर हरएक इन्सान को पानी भरने और पीने का हक होगा । कई जगह पत्थर भी लगाये । पर बाद में ऐसा नहीं देखा गया । आज वहां जाकर देखने की आवश्यकता है कि वहां से पानी उनको लेने दिया जाता है या नहीं । अगर नहीं पीने दिया जाता है तो इस प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिये । यह मेरा आपसे निवेदन है ।

एक अर्ज और करना चाहता हूं कि मैंने जैसे कहा पहले भी कि आदिवासियों में जयपुर के मीणे भी शामिल हुए और शिड्ल्ड कास्ट कमीशन जब यहां आया तो काका कालेलकर को रिप्रेजेन्टेशन दिया तो हमने इसके लिये कुछ नहीं कहा । हमने कोई शिकायत नहीं की । वास्तव में जो पिछड़ा समूह है और उसे उठाने का कोई प्रयत्न हो तो हमें इसमें क्या ऐतराज हो सकता है ? पर माननीय अध्यक्ष, वह लाभ उनको मिला और इस के लिये बताया गया कि हरिजनों से डबल उनको प्रावधान भी मिला । पर मेरा रोना यह है, माननीय अध्यक्ष, कि डबल प्रावधान रखने के बावजूद जयपुर जिले के मीणे, सवाई माधोपुर जिले के मीणे, टोंक के मीणे, बूंदी के मीणे आज हरिजनों के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं । उनकी औरतों को कड़ियां और जेवर तक नहीं पहिनने देते, कुओं से पानी नहीं भरने देते । तो उनको यह रुपया देकर अस्पृश्यता का निवारण हो रहा है या उसकी स्थापना हो रही है ? यह मैं देखना चाहता हूं कि कम से कम उनको इस बात की तो तवज्जोह की जावे कि वे कम से कम हरिजनों को न सतावें और अस्पृश्यता को भूल कर उनको भी अपने बराबर का भाई मानें । भाई से भाई मिलते हैं तो बल बढ़ता है और कमजोरी दूर होती है । पर दुख की बात है कि हम अपने भाइयों के हाथों ही सताये जा रहे हैं । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस ओर बराबर तवज्जोह दी जानी चाहिये और अगर यह नहीं हुआ तो इस बात पर गौर करना बहुत लाजिमी हो जावेगा ।

अब मैं आपके सामने, वॉलन्टरी एजेन्सीज़ को जो रकमें दी जाती हैं अस्पृश्यता निवारण के लिये, इसके लिये मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें एक वॉलन्टरी संस्था है, एक जो कि, जिसको सहायता हमारे समाज कल्याण विभाग से मिलती है, वह है राजस्थान हरिजन सेवक संघ । उसकी इस अपेन्डिक्स में यह एक संक्षिप्त रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने यह बताया है माननीय अध्यक्ष, कि उन्होंने उसमें उनके सेक्रेटरी के साथ २३ सेवक हैं और २० दूसरे वर्कर हैं और एक्सटेन्सिव टूर उन्होंने को और उसमें ४३ मन्दिर हरिजनों के लिये खुलवाये, २७ कुएं खुदवाये, ३२ होटल और २५ बारबर शॉप्स खुलवाई । इसके अलावा ८६ मीटिंगें कीं और इसके अलावा उन्होंने लाइट और ड्रिंकिंग वाटर के लिये प्रयत्न किया । मैं चाहता हूं कि यह जो कुछ काम उनका है उसको देखा जावे और इसको चैक किया जावे और ४३ टेम्पल कौनसे हैं जो उन्होंने हरिजनों के लिये खुलवाये हैं और अगर ये खुलवाये हैं तो निश्चय ही वे धन्यवाद के पात्र हैं और उनको और अधिक रकम दी जानी चाहिये, पर अगर यह कोरी कागजी कार्यवाही है तो इसको देखा जाना चाहिये

Page No.35

(श्री अमृतलाल यादव)

और अगर यह असल और सही है तो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये और उसको ज्यादा रकम दी जानी चाहिये और इसके जरिये से अधिक से अधिक काम कराया जाना चाहिये।

इसके अलावा भी और भी कई वॉलन्टरी एजेन्सियां हैं और वे अच्छा काम करना चाहें तो उनको भी सहायता दी जानी चाहिये, इसका भी प्रावधान रखा जाना चाहिये।

इसके बाद मैं अर्ज करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने अभी हमारी असेम्बली में जो एक म्युनिसिपल एक्ट पास किया, उसके अन्दर हरिजन और आदिवासियों के लिये जनसंख्या के अनुपात से स्थान सुरक्षित रख दिये, यह सन्तोषप्रद और सुखद बात है और इसके लिये हम राजस्थान सरकार के और सब के आभारी हैं। पर मैं चाहता हूँ कि यह जो प्रोविजन है आगे भी बढ़े। पंचायत और पंचायत समितियों में भी यह प्रावधान होना चाहिये। इसकी तरफ विभाग एग्ज़ामिन करे क्योंकि इससे बल बढ़ेगा और मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो डेमाक्रेटिक डी-सेन्ट्रलाइजेशन का प्रयोग किया गया है और जिसकी पिछले अक्टूबर से शुरूआत की गई है उसके प्रसंग में बलवन्तराय मेहता से मेरी बात हुई थी, आबू में मीटिंग में भी कहा और उन्होंने मन्जूर किया कि गांवों में जैसी आॅरथोडोक्सी चलती है और जैसा कट्टरता का वातावरण है और वहां हरिजन जिस वातावरण में आज भी रह रहे हैं वहां इस बात की जरूरत है कि वहां भी जैसे और जगह अस्पृश्यता निवारण के लिये केन्द्र की देखरेख है उसी तरह से उनके ऊपर भी राज्य सरकार की देखरेख, नियन्त्रण रहे और अगर आप इस बात की आवश्यकता नहीं महसूस करते हों तो मैं अर्ज करना चाहूंगा कि इस डीसेन्ट्रलाइजेशन से अब तक जितना काम हुआ है उसकी जांच करने के लिये एक कमेटी बैठावें और देखें कि इसमें हरिजनों को कितना लाभ पहुंचा है। हरिजनों को कितनी तकाबियां दी गई हैं, कितनी स्कॉलरशिपें दी गई हैं और कितनी जमीनें दी गई हैं, आदिवासियों को कितनी दी गई हैं और इनके साथ कितना इन्साफ किया गया है। मैं डेमोक्रेटिक डी-सेन्ट्रेलाइजेशन का हामी हूं और नुकसान और खामी उठा कर भी इसकी ट्रेडीशन पड़े; इसको मैं चाहता हूं और हमारे समाज का भी नुकसान होकर भी अगर यह पनपता है तो मैं यह चाहता हूं कि देश में इसकी सही परम्परा पड़े। अगर सही परम्परा पड़ी तो आज नहीं, सही, कल जाकर हम भी सुखी होंगे। तो आज नुकसान उठा कर भी हम इसे कायम करना चाहते हैं। पर हम एक सेम टाइम यह भी चाहते हैं कि आप हमारा प्रोटेक्शन करते हैं, आप जिम्मेदार हैं तो आपको देखना चाहिये कि अगर कोई सरपंच साहब हरिजन को सता रहा है तो आप नहीं देखेंगे तो फिर और कौन देखेगा? ऐसे इन्स्टान्सेज़ हैं कि एक सरपंच ने एक मेघवाल को कह दिया : 'अरे तू ओ चमड़ा को खारकून अठे गांव रे बीच में कोई लगा राख्यो है, अठा सूं परो उठा कर दूर लेजा, मांने बड़ी दुर्गन्ध आवे है, नाक सिड़ा दियो है। उठा परो अठा सूं। नहीं तो उठवा कर फिकवा देवांगा।' 'अच्छा बावजी, हुकम हो गयो आपरो तो इसान ही करूंगा।' और उस बेचारे का

(श्री अमृतलाल यादव)

खारकून वहां से उठा दिया। पर दूसरी जगह उसको रीहेबिलिटेट नहीं किया। एक ही बात का ताज्जुब है कि आज दिन तक तो वे उसे बर्दाश्त करते रहे और आज अधिकार मिला तो अपने उस अधिकार का नशा उस निर्बल पर ही उतारा। आज ही नाक में बदबू आने लगी कि जिससे उसे वहां से हटा दिया। तो हटा दिया तो कम से कम सरकार यह तो देखे कि और कहीं रीहेबिलिटेट किया गया है या नहीं। एक जगह से जब अपरूटेड़ किया है तो दूसरी जगह रीहेबिलिटेट भी करें; यह तो सरकार देखे। तो ऐसे कई नमूने हैं। इनको राज्य सरकार देखे कि ऐसी ज्यादती इस डेमोक्रे-टिक डीसेन्ट्रलाइजेशन से न हो।

इसके अलावा रहने के मकानों के लिये भी और खेती के लिये, जमीन के लिये भी राहत देने की बात सरकार देखे। कन्सोलि-डेशन होल्डिंग्स में भी हरिजनों के साथ यह हो रहा है कि सरदार लोग पहुँच जाते हैं और अच्छी से अच्छी जमीन इधर से उधर जोड़ दी जाती है। कानून अच्छा बना, पर इस अच्छे कानून का प्रोविजन वीकर सेक्शन को लाभ नहीं पहुंचाता। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरफ भी आप तवज्जोह दें और डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन के पीछे जो हो रहा है उसको भी देखें।

एक बात और है जिसके लिये राज्य सरकार को धन्यवाद न दूं या बधाई का पात्र न समझूं तो मैं गल्ती करूंगा। मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे बड़ी खुशी है कि राज्य सरकार ने एक व्यवस्था यहां पर मद्रास, बम्बई की लाइन पर की है और आपको सुनकर खुशी होगी कि वह व्यवस्था यह है कि:

"With a view to recognise the services of village community as a whole and other Social Workers including Government Servants who have rendered meritorious services for the removal of untouchability the Government have decided to award the following prizes:—

Block level:—

1. Best village in the block:—
   1st. prize-Rs. 200/-cash.
   2nd. prize-Rs. 100/-cash.
2. Individual at Block Level:—
   1st. prize-Gold medal of Rs.60/-
   2nd. prize-Gold medal of Rs. 40/-

District Level:—

1. Best village in the District:—
   1st prize-Rs. 400/-cash.
   2nd. prize-Rs. 200/-cash.
2. Individual at District level:—
   1st. prize Gold medal of Rs.70/-
   2nd. prize Gold medal of Rs.50/-

Evaluation of the work will be made by the Standing Committee of the Panchayat Samities for the Block Level Prizes and Sub-Committee of the Zila Perishad for the District level. The prize winners will also be presented to prominent visiting dignitaries.

(श्री अमृतलाल यादव)

तो मैं राजस्थान सरकार को लाख, लाख बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने यह निश्चय किया और इन निश्चित कामों का एक परिणाम आयेगा और इससे निश्चिततया अस्पृश्यता निवारण में असर पड़ेगा और इसकी जितनी प्रशंसा की जाये उतनी थोड़ी है और इसमें मुझे यही बात ऐसी मिली है कि जिसकी मैं भरपेट प्रशंसा करूंगा और जिसकी प्रशंसा करते नहीं थकता। लेकिन यह बात आयेगी कि बॉम्बे में जैसे हो रहा है, मद्रास में जैसे हो रहा है और वहां पर इसके लिए ऑफिसर्स भेजे जायें और वे वहां जाकर देखें कि कैसे हो रहा है। इसको एन्करेज करें तो यह बहुत बड़ी चीज़ है जो राजस्थान सरकार ने की है और इसके लिये मैं उसको धन्यवाद देता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष, मैं बहुत जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : और भी कई माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे। आप उनको मौका दें तो उचित रहेगा।

श्री अमृतलाल यादव : अच्छी बात है। माननीय अध्यक्ष, मैं १० मिनट में खत्म करने की कोशिश करूंगा।

इसके बाद माननीय अध्यक्ष, मैं आपसे यह निवेदन करूं कि जो प्रावधान इसमें रखा गया है उसके लिये मुझे ज्यादा नहीं कहना है। स्केवेन्जिग के सिलसिले में अर्ज करना चाहता हूं कि उसमें एक कमेटी सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइन्ट की और उसने वहां दौरा किया। उसके बारे में कमिश्नर ने जो कहा है उसी पर मैं स्ट्रेस करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष, सेन्ट्रल एडवाइज़री बोर्ड फोर हरिजन्स ने यह रिकमन्ड किया था कि 'ट्रेड एण्ड लाइसेन्स फैसिलिटी टू शिड्यूल्ड कास्ट्स' इसके एक्शन टेकन में राजस्थान सरकार ने जो जवाब दिया है वह महत्वपूर्ण है....

श्री अध्यक्ष : हैंडबरोज़ खरीदने के लिये ५६ प्रतिशत भी ग्रान्ट देते हैं।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : काफी बड़ी रिपोर्ट है।

श्री अमृतलाल यादव : मैं बड़ी रिपोर्ट नहीं पढ़ूंगा। मुझे कोई खास बात निवेदन करनी है। माननीय अध्यक्ष, वह यह है Trade and license Facilities to Scheduled Castes...यह रिकमन्डेशन सेन्ट्रल एडवाइज़री बोर्ड फोर हरिजन वेलफेयर है इसका पेज ४७ है इसमें सातवां क्वेश्चन है वह यह है 'ट्रेड एण्ड लाइसेन्स फेसिलिटीज़ टू शिड्यूल्ड कास्ट्स, अब इसके लिए मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि हमने भी अपने एडवाइज़री बोर्ड में इसको रखा था और माननीय मंत्रीजी के सामने भी रखा था। उन्होंने हमको भी यही कहा कि "It is not possible to provide such special concessions for the present and as such this recommendation of the Central Advisory Board for Harijan Welfare could not be implemented.' अब माननीय अध्यक्ष, मैं और स्टेट्स के बारे में नहीं कहना चाहता लेकिन जो हमारी पड़ौसी स्टेट है पंजाब, उसका उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारी राजस्थान सरकार ने तो यह जवाब

Page No.38

(श्री अमृतलाल यादव)

दिया और पंजाब सरकार ने यह जवाब दिया है Regading contracts in the Forest Deptt. यह ४६ पेज पर है : "Contracts in the Forest Department are sanctioned generally after holding open auction and sometimes by inviting tendors. The highest bidder in case of sale of forest produce and the lowest in execution of works normally gets the contract. जिसके लिए बहुत कहा गया। हमारी सरकार ने साफ मना कर दिया लेकिन पंजाब सरकार ने ट्रान्सपोर्ट के लिए कहा है

"It has already been decided by Government that while considering applications for the grant of permits on new and Kuchha routes 19%quota be reserved for Harijans and they should be encouraged to form them Selves into Co-operative Societies.

"P.W.D.,B. & R. Harijans shoul form Co-operative Societies and avail of the concessions which are already being enjoyed by Labour and Constructions Co-operative Societies."

माननीय अध्यक्ष, जहां तक तीसरी बात का सवाल है वह हमारे राजस्थान में भी है और जिसके लिए मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद देता हूं। दूसरों का जहां तक सवाल है वह भी हमारे आदिवासी एरिया के हैं, वह भी हमारे भाई हैं, लेकिन।दूसरी बात के लिए कहता हूं कि जो पंजाब में सम्भव हो सका वह राजस्थान में क्यों सम्भव नहीं हो सका, इसको देखना चाहिये। जब वह कहते हैं "It has already been decided by Goverenment that while considering applications for the grant of permits on new and kachha routes 19% quota be reserved for Harijans and they should be encouraged to form themselves into Co-operative societies." एक रिकमन्डेशन हाथ गाड़ी के लिए अर्ज करना चाहता था। मैं जरा समय की वजह से गड़बड़ा गया हूं। मैं आपको फिगर्स अर्ज करता कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने ६७ हजार रुपया राजस्थान सरकार को १६५७-५८ में दिया हाथ गाड़ियों के लिए। उन्होंने इसमें से रकम कुछ यूज़ की लेकिन उसके लिए कमिश्नर ने यह रिपोर्ट दी है जिसके लिए माननीय मंत्रीजी मुझे जवाब देंगे कि यह असल में रुपया दिया गया था इसलिए कि जो भंगी सिर के ऊपर मैला ढोकर ले जाते हैं उससे बचें और वह हाथ की ठेला गाड़ी खरीदें। म्युनिसिपैलिटी ने अपने इम्प्लीमेंट्स खरीद लिए लेकिन भंगियों को हाथ गाड़ी नहीं मिली और आज भी वह बांस की टोकरी में मैला ढोते हैं। इसको कोई देखने वाला नहीं है। कोई इस रकम को देखने वाला होना चाहिये कि म्युनिसिपैलिटी ने उसका उपयोग किया है या नहीं। यदि स्वायत्त संस्थाओं का यही रवैया रहा तो क्या यह स्वायत्त शासन इसी तरह का रहेगा? मुझे दुख है कि इस साल तो कोई प्रावधान ही नहीं है। अब पता नहीं इसके लिए कौन जिम्मेदार है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट की गफलत से है या राजस्थान सरकार की गफलत से है? माननीय मंत्री महोदय इसका जवाब दें कि क्यों नहीं इस साल इसका प्रोविज़न है जब कि हमारे सौराष्ट्र के मंत्री माननीय पंतजी का मैं बहुत आभारी हूं और राजस्थान के और सारे हिन्दुस्तान के भंगी आभारी हैं ...

रावराजा श्री सरदारसिंह : जगजीवन-राम जी का तो नाम लिया करो।

श्री अमृतलाल यादव : वह तो हममें से एक हैं। तो उनके नाम का सवाल नहीं पड़ता। वह तो हमें अपने मार्गदर्शन में ही चलाते हैं। आप डिवाइड एण्ड रूल की बात न करें। एक बहुत बड़ी मलकानी कमेटी बनाई और राजस्थान सरकार ने कमेटी बनाई लेकिन उसके लिए कॉन्क्रीट सजेशन क्या है? मैं अर्ज करूं कि इन्दौर के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का अध्यक्ष मेहतर जाति का बन गया और आपने कल-परसों के पत्र में पढ़ा होगा कि उसने एक ही झटके में हाथ गाड़ियां चला दीं। आज की जो म्युनिसिपैलिटी की गाड़ियां हैं उनको भी चलाने के लिए ड्राइवर कालेखां होगा, वहां पर भी भंगी ड्राइवर नहीं होगा। कम से कम मोटर का व्हील पकड़ने के लिए इतना मौका तो दें कि वे अपनी मैला गाड़ी का व्हील तो पकड़ें। और उसके ऊपर आपको तवज्जोह देनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि उनके पास प्रोविजन नहीं है तो और प्रोविज़न्स को काटें और इस प्रोविजन में निश्चित रूप से रकम रखें।

इसके बाद दो-तीन मोटी २ बातों के बारे में आपसे अर्ज करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष, मैं तो मोटी बुद्धि का आदमी हूं। आपका पहला प्लान बना, दूसरे प्लान का आखिरी साल चल रहा है और तीसरा प्लान भी बन कर तैयार हो गया है लेकिन मुझे तो अगले पांच सालों में भी अंधकार नजर आ रहा है। मैं तो मोटी बुद्धि का हूँ और मोटी बुद्धि से ही बात समझना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि जिन जमीनों पर जो हरिजन रहते हैं उन जमीनों के वे मालिक बन गए हैं क्या? कम से कम एक प्लान में नहीं तो दूसरे प्लान में सही, दूसरे प्लान में भी नहीं तो तीसरे प्लान में तो इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिए कि जिन जमीनों पर हरिजन रह रहे हैं उनका पट्टा उनको मिले। और नहीं तो कम से कम जयपुर में, जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है जयपुर के जो हरिजन हैं और जयपुर के हरिजनों में भी जो जयपुर के भंगी हैं कम से कम उनको तो पट्टे मिलें। राजस्थान सरकार यह कहने की स्थिति में तो हो कि कम से कम राजस्थान के सारे कस्बों और नगरों में एक नगर जयपुर तो ऐसा है कि जहां हरिजनों की ४४ जातियों में से केवल एक जाति को तो पट्टे कर दिए गए हैं कि इनको जमीन से नहीं हटायेंगे। एक बात और माननीय अध्यक्ष, इतना बड़ा प्लान बन गया, लाखों रुपयों का, लेकिन हरिजन बस्ती में अंधेर है! आज हरिजन बस्ती में पानी का अभाव है माननीय अध्यक्ष, तो कम से कम फर्स्ट फाइव इयर प्लान बन गया, सैकिंड फाइव इयर प्लान बन गया और अब थर्ड फाइव इयर प्लान भी बन रहा है तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार इस स्थिति में तो हो कि कम से कम मिनिमम फैसिलिटी हरिजन बस्तियों को और स्विपरों की बस्तियों में दे दी गई है। आप सवर्णों की बस्तियों को खूब जगमगाइए, वहां रोशनी खूब रखें लेकिन सौ घरों के मोहल्ले में कम से कम एक लाइट तो दीजिए। सौ घरों की बस्ती में एक टेप तो पानी का दीजिए कम से कम। इस बात की इयोरिटी तो हो राजस्थान के इम्पोर्टेंट कस्बों में....

Page No.40

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य बतायें कि जब वे मिनिस्टर थे तो अपने समय में उन्होंने क्या किया ?

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू-सु): वे हरिजन मिनिस्टर नहीं थे ।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय अध्यक्ष, मैं इस बात का निवेदन करना चाहता हूं कि जो असेंशियल चीजें हैं और बहुत मामूली चीजें हैं कम से कम लाइट की और कम से कम पानी की, इन दो चीजों का प्रबन्ध तो वहां पर हो।

इसके बाद माननीय अध्यक्ष, जैसा मैंने अर्ज किया कि आज कुल चौदह हरिजन छात्रावास हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम प्रत्येक जिले में एक छात्रावास तो हो जाना चाहिए । अब सवाल है मिक्स्ड होस्टल्स का । माननीय अध्यक्ष, होता है कि पेठा छुरी पर गिरे तो भी पेठा कटता है और छुरी पेठे पर गिरे तो भी पेठा कटता है । इसी तरह की हालत इन मिक्स्ड होस्टल्स की हैं । यह व्यवस्था की गई है कि अगर पच्चीस शिड्यूल्ड कास्ट के स्टूडेंट्स हों तो उनमें से तीन या पांच स्थान सवर्णों के लिए भी सुरक्षित कर दीजिए । अगर आदिवासियों का कोई होस्टल चलता है और उसमें चालीस स्थान नियत हैं तो उनमें दो स्थान सवर्णों के लिए रख दिये । इन मिक्स्ड होस्टल्स के लिए मैं कहूं कि महाराज जयपुर के होस्टल में कम से कम अगर सौ सीटें हैं तो कम से कम बीस सीटें हरिजनों के लिए सुरक्षित कर दें ताकि इस बात का कॉन्फिडेंस हो सके, विश्वास हो सके और यही मिक्स्ड होस्टल के लिए होना चाहिए । इन हरिजन होस्टल्स के लिए वैसे ही कम रकम रहती है । जो कुछ आप देते हैं वह वैसे ही कम है और उसमें से भी दूसरों के लिए कट कर देते हैं । मैं एक बात और कहूँ कि जैसा कि जयपुर में होता है कि कई मनचले हरिजनों की बस्तियों या भंगियों के मोहल्लों में चले जाते हैं और कहते हैं कि लाओ चाय पिलाओ और मिठाई खिलाओ, हम तो छूआछूत नहीं मानते । उनको खानी तो होती है मिठाई और पीनी होती है चाय और इसके लिए यह कहते हुए चले आते हैं कि हम तो छुआछूत नहीं मानते । फिर भी हम तो उनका स्वागत करते हैं । हम चाहे बाजरे की रोटी खाते हों लेकिन उनको मिठाई खिलायेंगे और खिलाई है । मैं अर्ज करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कि होना यह चाहिए कि जो आम सवर्णों के, आम पब्लिक स्कूल्स के जितने होस्टल्स हैं उनमें स्थान सुरक्षित कर दीजिए । मैं तो यहां तक कहूंगा कि आप हरिजन होस्टल्स बन्द कर दीजिए और जितने सवर्णों के होस्टल्स हैं, हाई स्कूल्स और कॉलेजेज़ के साथ अटेच होस्टल्स हैं उनके अन्दर जन संख्या के हिसाब से पर्सेंटेज फिक्स कर दीजिए । आखिर इसमें क्या दिक्कत है ? हरिजन होस्टल्स जितने हैं उनको बन्द कर दीजिए कोई हरिजन शिकायत नहीं करेगा इसके लिए ।

अब हाउसिंग का सवाल आता है । मैं, स्टेट मिनिस्टर्स कान्फेंस में डिसिज़न लिया गया और हमारे राज्य के मन्त्री भी उसमें शामिल हुए, उनको बधाई देना चाहता हूं । उन्होंने निर्णय किया कि जिस सोसाइटी में हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में हरिजन मेम्बर हों, आदिवासी मेम्बर हों; हरिजन

(श्री अमृतलाल यादव)

मेम्बर हों उनको प्राथमिकता दी जायगी। मैं इसके लिए बधाई देता हूं लेकिन माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह प्राथमिकता जो आप उनको देंगे लेकिन सौ मेम्बरों की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली और दिखाने के लिए एक हरिजनों और एक आदिवासियों का सदस्य रख लिया तो उनको प्राथमिकता मिल जायेगी, लेकिन इस प्राथमिकता से उनको जितना जितना लाभ पहुंचना चाहिए उतना लाभ नहीं पहुंचता। एक ओर तो लो ग्रुप हाउसिंग स्कीम है, मिडिल क्लास हाउसिंग स्कीम में तो ये लोग आते नहीं हैं उनको लोन मिल सकता हैं तो वह लो ग्रुप हाउसिंग स्कीम से ही, लेकिन इसके लिए भी जब जाते हैं तो कह दिया जाता है कि तुम्हारे लिए तो अलग से समाज कल्याण विभाग है। यह सोशियल वैलफेयर डिपार्टमेंट जो है यह अलग ही पाकिस्तान हो गया है। कुछ भी रकम लेने के लिए जायं तो कह दिया जाता है कि तुम्हारा तो सोशियल वैलफेयर डिपार्टमेंट है। यह डिपार्टमेंट तो एक खास वीकनैस को निकालने के लिए है, एक कमजोर बीमार है उसको लकड़ी दीजिए तब तक के लिए जब तक कि वह पुन: स्वस्थ न हो जाय, लेकिन वह लकड़ी उसकी शोभा नहीं है। मैं पूरे जोर के साथ कहना चाहता हूं कि हरिजनों को अलग से रहने में कोई सुख नहीं है, यह असमानता रखने में हमारी शोभा नहीं है, हम सुखी नहीं हैं, हम भी असमानता के इस कलंक से परेशान हैं, हम इस अपमान को खुद पसन्द नहीं करते। लेकिन पहले समाज में वह स्थिति तो पैदा कीजिए, समाज में उनको वह स्थान तो दीजिए, जब तक वह नहीं होता तब तक उनको विशेष संरक्षण तो रहेगा ही। तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि केन्द्र के एक एम० पी० हैं जो महिला एम० पी० हैं उन्होंने एक सजेशन दिया है और मैं भी उससे सहमत हूं कि जो न्यू बिल्ट कॉलोनीज़ हैं उनमें २५ प्रतिशत स्थान हरिजनों के लिए रिज़र्व कर दिए जायं। यह जाहिर है कि इसमें मुसीबत होती है। इसी वजह से मैं सजेस्ट करना चाहता हूं और जैसा कि हाउसिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में भी सजेशन दिया गया है उसी के अनुसार मैं निवेदन करना चाहता हूँ राज्य सरकार को कि पच्चीस प्रतिशत स्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में रिज़र्व कर दिए जायं। यह रिज़र्वेशन कर दिया जाय कि unless and until twenty five percent members इसके हों तब ही उसको विशेष प्राथमिकता दी जाय और इससे हाउसिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में जो बहुत बड़े सवाल को हल किया है उसको आप कार्य रूप में परिणत कर सकेंगे। इसके साथ ही जो कार्य आप कर रहे हैं उसका वेल्युएशन आप कराइए।

इसके अलावा स्लम्स क्लियरेंस की बात है। हमारे राष्ट्रनायक पंडितजी नेहरूजी भी इसके लिए कीन हैं और हर हिन्दुस्तानी को इसके लिए कीन होना चाहिए कि जो स्लम क्लियरेंस का सवाल है वह जल्दी से जल्दी पूरा किया जाय। माननीय अध्यक्ष, इसके लिए जो ग्यारह लाख रुपया रखा गया है वह बहुत थोड़ा है। मैं माननीय मन्त्रीजी को आपके द्वारा कहना चाहता हूँ कि कुछ रुपया निकालिए तो मोटी ग्रान्ट आपको सेंटर से मिलेगी। आप सात लाख रुपया रखेंगे तो सात लाख वह देगी। यदि आप ही पैसा नहीं निकालते हैं तो फिर आपको पैसा कहां से मिलेगा ? आप एक अठन्नी निका-

(श्री अमृतलाल यादव)

लेंगे तो एक अठन्नी आपको वहां से मिल जायेगी और अगर आप अठन्नी नहीं निकालते हैं तो वह अठन्नी भी आपको नहीं मिलेगी। इसलिए आप मेहरबानी कीजिए, हमारी उन्नति के लिए कम से कम अठन्नी को तो कहीं से ढंढिए; तो दूसरी अठन्नी आपको मिल जायेगी।

एक बात और मैं निवेदन करना चाहूँगा और वह यह है कि जितने पब्लिक स्कूल्स हैं हमारे राजस्थान में स्टैंडर्ड की दृष्टि से बहुत ही ऊंचे और महत्वपूर्ण हैं। हमारे यहां के पब्लिक स्कूलों में जैसे मेयो कॉलेज, अजमेर है, पब्लिक स्कूल बीकानेर, सेंट जेवियर स्कूल जयपुर एम० जी० डी गर्ल्स स्कूल जयपुर और सेंटमैरी स्कूल आबू, आदि के जो पब्लिक स्कूल्स हैं उन स्कूलों में रिज़र्वेशन की कुछ शुरुआत तो राज्य सरकार ने की थी और इसके लिए वह बधाई की पात्र है लेकिन इससे ही हमें संतोष नहीं होगा। इस प्रकार की स्कूलों के अन्दर कम से कम दस सीटों का प्रोविज़न तो आप हम लोगों के लिए कर दीजिए। जैसे मेयो कॉलेज है, हरिजनों के चरित्र निर्माण का सवाल है, उस कॉलेज में, उस कॉलेज की देखरेख में यदि हमारे बच्चे पढ़ें और उनका चरित्र निर्माण हो तो वह भविष्य की आशा बन सकते हैं। माननीय अध्यक्ष, इसी प्रकार दो-चार रुपयों की जो छोटी मोटी स्कॉलरशिप दी जाती है उस जगह अगर हमें कोई पाठ्य सामग्री दे दी जाय और इन पब्लिक स्कूलों में सीट्स रिज़र्व कर दी जायं तो उचित होगा। अगर आज सीट रिजर्व की जाय तो भी अगले सेशन में भी स्थान मिलनेवाला नहीं है फिर भी शुरूआत हो जाय तो बहुत अच्छी बात है।

अब मैं जो एजुकेशन की बात है उसकी ओर तवज्जोह दिलाना ....

(१ म० प०)

तो मैं इस बात पर तवज्जेह दूंगा।

माननीय अध्यक्ष, मुझे क्षमा करेंगे। अजमेर डिस्ट्रिक्ट जो कि पहले स्टेट थी उसमें ३ बैकवर्ड क्लासेज़ में थी, अहीर, माली और जाट....

श्री दलीपसिंह (बारां) : जाट भी हैं?

श्री अमृतलाल यादव : जी हां, जाट भी। बैकवर्ड क्लासेज़ में शिड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेज़ हैं। शेड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का रिज़र्वेशन तो पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर्स और सर्विसेज़ में है और अदर बैकवर्ड क्लासेज़ वे चूंकि एज्युकेशनली और इकोनोमिकली बेकवर्ड हैं इसलिये केवल एक फेसिलिटी दी है कि उनको स्कॉलरशिप मिले, लेकिन होता क्या है कि सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेंट की अगर आप लिस्ट देखें तो उस लिस्ट के अन्दर आप देखेंगे कि अजमेर जो कि पहले स्टेट थी अब डिस्ट्रिक्ट हो गया है, उसमें अब भी वही प्रेसीडेन्ट्स ऑर्डर चल रहा है और उन कॉम्युनिटीज़ को फेसिलिटी मिलती है स्कॉलरशिप की, लेकिन वह कहीं कहीं नये ज़िलों में भी इस बात के नाम से इस घपले में से वह स्कॉलरशिप ले जाते हैं। तो इस बात को देखा जाना चाहिये। डिपार्टमेंट की तरफ से अगर इस बात को तवज्जोह नहीं हुई है तो कम से कम उनका पूरा कोटा उन्हें मिले और उनको इस बात

(श्री अमृतलाल यादव)

की सहूलियत मिले, जिस डिस्ट्रिक्ट में है उस डिस्ट्रिक्ट में मिले। असेम्बली में एक-दो बार यह सवाल भी आया था कि जो डिज़र्विंग लोग थे उनको नहीं मिला और दूसरों को मिल गया। यह बहुत बड़ा सवाल है जिसको देखा जाना चाहिये !

मैं, माननीय अध्यक्ष, आभारी,हूं आपका, सदन का, राज्य सरकार का और माननीय मन्त्रीजी का कि मुझको इतना वक्त दिया और आप लोगों ने और माननीय मन्त्रीजी ने गौर से सुना। मैं हृदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ मैंने आपसे निवेदन किया है, मैंने अपने हृदय के उद्गार आपके सामने रखे हैं ; मैं किसी के वास्ते प्रेज्युडिस्ड नहीं हूँ और न किसी के लिये मेरे मन में दुर्भावना है। मेरा जो दुख–दर्द था आपने मौका दिया, मैंने रखा। जहां मैं अपना दुःख–दर्द रखता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये, हाउस को, सरकार को और राजस्थान की जनता को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम अपने कर्त्तव्य के प्रति जागरूक रहना चाहेंगे और हमारा जो कर्त्तव्य समाज के प्रति है उसका पालन करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे ; अपने कर्त्तव्य से विमुख नहीं होंगे। केवल यही चाहता हूँ कि बहुत संत्रस्त रखा है, बहुत दूर रखा है, बहुत तिरस्कृत रखा है और आज के जमाने में, विज्ञान के युग में दुनिया से जाति और इस तरह का भेद-भाव, विषमता यह सब मिटती चली जा रही है और हमारे देश से भी तेजी से मिटती चली जा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि राजस्थान में जहां और बातों में नाम कमाया है मेरा राजस्थान इस बात में भी नाम कमाये कि अस्पृश्यता सबसे पहले हिन्दुस्तान में राजस्थान में समाप्त हुई। यही मेरी भावना है और हमारी तरफ से पूरा सहयोग सरकार को देंगे, और सरकार से भी यही आशा हम करते हैं। बस, इन्हीं शब्दों के साथ माननीय अध्यक्ष, अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री लादूराम सुलाणिया।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि यह बहस चार बजे तक चलेगी और उसके बाद माननीय मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू-सु०) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन–जातियों की जो रिपोर्ट है वह दो दिन से सदन में विचारार्थ है। यह जो रिपोर्ट है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि शिड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर ने इस रिपोर्ट को एकत्रित करके लिखने की मेहनत की है और उसके ऊपर शिड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर का नाम छपवाने का श्रेय लिया है। यह मैं मानने के लिये तैयार हूं। पर यह रिपोर्ट शिड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर ने नहीं तैयार की है, क्योंकि शिड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर ने जो राज्यों से रिपोर्ट प्राप्त की है उसी आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार कर प्रकाशित किया है और इस रिपोर्ट में शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर का कोई कार्यक्रम या उनके कर्त्तव्य या उन्होंने शिड्यूल्ड कास्ट्स जातियों के लिए क्या क्या विशेषताएं रखीं या जो कुछ किया है वह इसमें नहीं है, और न ही उन्होंने किया है। यह रिपोर्ट सिर्फ इस सदन

(श्री लादूराम सुलाणिया)

में पेश हुई और माननीय मन्त्रीजी ने यह मौका दिया कि राजस्थान का हिस्सा जो इस रिपोर्ट में है उस पर कुछ विचार लिये जायं। इसका तो मैं मेरी ओर से माननीय मन्त्रीजी का आभारी हूं, पर मेरा विशेषकर निवेदन यह है कि यह रिपोर्ट शिड्यूल्ड कास्ट कमीशनर की नहीं है। राज्य सरकारों ने जो रिपोर्ट्स अपनी अपनी लिख कर सेन्टर को भेजी है उसी का कुछ हिस्सा तोड़ जोड़ कर इसमें छाप दिया है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि रिपोर्ट पर बहस करते समय जो रिपोर्ट की कमियां हैं वे सदन के सामने आयें और उन पर विचार हो। विशेषकर इसमें जो कमियां हैं वे बहुत अधिक हैं और इतनी गलत रिपोर्ट है कि अगर इसके ऊपर किसी कमेटी को बैठा कर विचार किया जाय और अच्छी तरह डिस्कशन किया जाय तो मैं निवेदन करूंगा कि इसमें करीबन एक प्रतिशत भी सही नहीं आयेगी रिपोर्ट। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समाज कल्याण की अन्य रिपोर्टें जो आप लोगों के सामने समय समय पर प्रकाशित करके पहुँचाई जाती हैं उनके अन्दर जो आंकड़े आते हैं और उस पर जितने भी सरकार के कार्यक्रम बनाये हुए लिखते हैं वे सिर्फ इसलिये छाप देते हैं कि सरकार की प्रगति जनता को, माननीय सदस्यों को और अन्य जो बाहर से दूसरे देशों से टूरिस्ट्स लोग आते हैं उनको यह मिले और यह जान कर इस बात की खुशी मानें कि हिन्दुस्तान में जो हरिजन हैं और जितने पिछड़े हुए लोग हैं उनको आगे लाने में सरकार बहुत काम कर रही है। सिर्फ इसी एक मकसद को लेकर सारी रिपोर्टें छापी जाती हैं। इनका एक ही लक्ष्य है।

जहां तक इस रिपोर्ट का प्रश्न है अभी मेरे से पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि यदि इसको हिन्दी में प्रकाशित किया जाता तो बहुत अच्छा था। इसके अन्दर मैंने यह पाया है कि इसको हिन्दी में नहीं छापने का एक बहुत बड़ा कारण है ...

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : हिन्दी में छपी है।

श्री लादूराम सुलाणिया : हिन्दी में छपी है तो मिली नहीं है। उसका कारण यह है कि यह रिपोर्ट बाहर के मुल्कों में भेज रहे हैं और यह दिखाया जाता है कि हमारे देश में इतनी प्रगति हो रही है और उस देश के लोग हिन्दी बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं इसलिये महज इसी कारण से अंग्रेजी में छापी जाती है और यह भी बात है कि हरिजनों के पक्ष के लोग अधिक इतने नहीं मिलेंगे कि वे अंग्रेजी में अपनी रिपोर्ट पढ़ लें और दुख–दर्द सरकार के सामने रखें और सदन के सामने रख सकें। तो मैं, माननीय अध्यक्षजी, यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट का, जैसा कि पहले किया जाता रहा है कि रिपोर्ट सदन में पास हो और उसकी अंग्रेजी की प्रति के ऊपर बहस होने के पश्चात् भी हिन्दी में छपवाकर सदस्यों को बांटी गई, इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इसको भी जल्दी से जल्दी हिन्दी में छपवा कर डिस्ट्रिब्यूट किया जाय।

तो मैं, माननीय अध्यक्षजी, यह निवेदन करूंगा कि इस रिपोर्ट में जो शिक्षा के विषय में आंकड़े दिये हैं, इस पर मैं मेरी तरफ से यह अर्ज करूंगा कि १९५७–५८

(श्री लादूराम सुलाणिया)

की जो रिपोर्ट है उसकी पृष्ठ संख्या १८१ में अनुसूचित जातियों की प्रगति के बारे में ४.५२ दिखाया गया है। दूसरे समय की रिपोर्ट की पृष्ठ संख्या २५ पर २५-६७ प्रतिशत बताया गया है, और जनसंख्या के फीगर्स हैं वह भी ६, ७ दिये हैं। यह सब इस प्रकार का डिस्कशन दिया है कि यह सब एक बनावटी सी बात मालूम होती है। जो शिक्षा के अन्दर फीगर्स दे दिये और बता दिये, लेकिन उसकी अगर जांच की जाय और उसके आंकड़ों को देखा जाय तो, माननीय अध्यक्षजी, मैं यह निवेदन करूंगा कि बिल्कुल उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आज भी गांवों के अन्दर जितने स्कूल्स सरकार की ओर से चलते हैं, मिडिल स्कूल्स, हायर सेकन्डरी स्कूल्स और कॉलेजेज़ हैं, उनमें जितने परिगणित जातियों के लड़के पढ़ते हैं उनमें पूरी फीस ली जाती है और सरकार के सामने यदि किसी बात की शिकायत भेजें तो वह कहती है कि नहीं-नहीं, आधी ली जाती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान की किसी भी स्कूल में मन्त्रीजी मेरे साथ चलें और देखें कि वहां के हरिजन लड़कों से पूरी फीस ली गई है या नहीं। हर स्कूल में पूरी फीस ली जाती है। जो आधी फीस रखी गई है उससे किसी को फायदा नहीं होता है! इसका नतीजा यह होता है कि हरिजन लड़कों को विद्या पढ़ने का मौका नहीं मिलता और वे आगे अध्ययन नहीं कर सकते और उनका आगे का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता।

इस रिपोर्ट के अन्य भागों में शिड्यूल्ड कास्ट के लिए जो विशेषताएं दिखाई हैं उनके बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि अभी जो छात्रवृत्ति के बारे में समाज कल्याण विभाग ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसे तमाम सदस्यों को बांटा है और उसमें दिखाया है कि हमने हरिजनों के कितने लड़कों को कितने रुपये दिये हैं। उसमें नामवार और जातिवार आंकड़े दिये हैं। लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि वह छात्रवृत्ति दी किसको है। जैसी कि एक मिसाल है कि "आंधा बांटे सीरनी फिर फिर घर कों को दे।" इसमें भी इसी तरह की बात है। छात्रवृत्ति दी गई है विजयसिंह अहीर, रामनारायण साधु। मैं यह निवेदन करूंगा कि कहीं साधु भी कोई जाति होती है? साधु कोई जाति नहीं होती है, आप एक एक गांव में जाकर देखिये कहीं भी आपको साधु जाति नहीं मिलेगी। अहीर जाति होती है लेकिन यदि उनको कोई कहे कि तुम शिड्यूल्ड कास्ट के हो तो वे सौ कोस दूर भागेंगे। यदि उनको यह कहें कि तुम इस केटेगरी में हो तो वे कदापि एग्री नहीं करेंगे। लेकिन यदि छात्रवृत्ति का प्रश्न होगा तो कहेंगे कि हमें भी हरिजन मानलो, हरिजनों से नीचे भी रखलो; पर छात्रवृत्ति दे दो। रघुसिंह और रघुनाथसिंह जाट। नाम रघुनाथसिंह, यह नाम राजपूत का होना चाहिये। जो राजपूत नहीं होते हैं वे सिंह नहीं लगाते हैं ...

श्री दलपतसिंह (आबू) : हम तो आपको भी अलाउ कर देंगे, आप भी लगाइये।

श्री लादूराम सुलाणिया : रघुनाथसिंह जाट। मैं इस बात का विरोध नहीं करूंगा कि जाट हरिजनों की श्रेणी में न आवें। मैं कहूंगा कि जाटों को हरिजनों में लावें;

(श्री लादूराम सुलाणिया)

खुशी की बात है, विधान सभा पूरी की पूरी हरिजनों की लिस्ट में आवे। लेकिन जहां लड्डू बांटें चाहे जूठे हों, फिर भी खाने को तैयार और कहेंगे जूठे नहीं मीठे हैं, हम उनको खा जावेंगे, लेकिन जब काम करने के लिये कहें कि म्युनिसिपैलिटी में नौकर हो जावो, हरिजन हो वे तो कहेंगे कि टट्टी नहीं उठायेंगे। इसी तरह से छात्रवृत्ति दी गई है हरफूलसिंह को, किशनसिंह जाट को, रामनारायणसिंह राजपूत को। राजपूत भी कहीं शिड्यूल्ड कास्ट के होते हैं ? इस लिस्ट को देखिये उठा कर, यदि यह लिस्ट झूठी है तो आप बताइये। रामसिंह गूजर। यदि गूजरों को कहो कि तुम हरिजन क्लास में हो तो वे लाठी मार कर सिर फोड़ देंगे। अगर छात्रवृत्ति लेनी है तो वे कहेंगे कि हम पिछड़ी जाति के हैं, भेड़-बकरी पालते हैं इसलिए हमको छात्रवृत्ति मिलनी चाहिये। और उनको छात्रवृत्ति देता कौन है जो उनके चाचा-ताऊ हैं। लिस्ट में और देखिये। रामनारायणसिंह, राजेन्द्रसिंह, धूमसिंह, बिसनसिंह, रूपसिंह, हिम्मतसिंह, प्रतापसिंह..,

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग मन्त्री) : आप वह लिस्ट पढ़ रहे हैं जो शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब व अदर बैकवर्ड क्लासेज़ के लड़कों को छात्रवृत्ति देने की है। केवल शिड्यूल्ड कास्ट की नहीं है। इसलिए आपको गलत फहमी हो रही है।

श्री लादूराम सुलाणिया : मुझे मालूम है कि वह पूरी लिस्ट शिड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेज़ की है, लेकिन ये जातियें तीनों में ही नहीं आती हैं। इसलिये मैं इसका विरोध कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : लिस्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री लादूराम सुलाणिया : हमारे समाज कल्याण विभाग ने ३२,८०६ रुपयों की धनराशि बांटी है जो किसी भी हरिजन को न मिलकर सवर्ण लोगों को मिली है। अहीर दूध बेचते हैं....

श्री दलपतसिंह : इसमें 'सिंह' नाम से जो लड़के आये हैं वे रावणा राजपूत होंगे, जो बैकवर्ड क्लासेज़ में शामिल हैं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जिनके इसमें नाम हैं वे बेकवर्ड क्लास में शामिल हैं।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु०) : राजस्थान में हरिजनों....

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह लिस्ट शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेज़ के लड़कों की छान-बीन करके बनाई गई है जो छात्र इन जातियों में आते हैं उन्हीं को छात्रवृत्ति दी गई है। राजपूतों को, दूसरों को दी गई है; यह कहना गलत है।

श्री लादूराम सुलाणिया : मैं तो पहले से ही बता चुका था। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियां और बैकवर्ड क्लासेज़ की तो लिस्ट मन्त्रीजी के पास है वही मेरे पास भी है। मेरे पास नहीं हो; ऐसी बात नहीं है। जांच कराई जाय कि छात्रवृत्तियां जितनी दी हैं वे पक्षपात से दी गई हैं। यदि पक्षपात से नहीं दी हैं तो पिछले साल जो दी गई हैं उनको देखिये। हरिजन जिनको चमार मानते हैं उस जाति का एक लड़का बी. ए. में सप्लीमेंन्ट्री से

(श्री लादूराम सुलाणिया)

पास हुआ और छात्रवृत्ति के लिए उसका फॉर्म समाज कल्याण विभाग में पहुँचा, लेकिन डाइरेक्टर साहब ने यह कह कर उसको छात्र-वृत्ति नहीं दी कि तुम सप्लीमेन्ट्री में पास हुए हो। दूसरे लड़कों को दे दी....

श्री अध्यक्ष : यह बहस रिपोर्ट पर हो रही है। ऐसी कोई नीति की बात हो जिसका सब पर असर पड़ता हो तो बताइये। हरएक व्यक्तिगत केस को लेकर चलेंगे तो न तो आपको उत्तर मिलेगा और न संतोष होगा। इस बारे में आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया ?

श्री लादूराम सुलाणिया : मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

श्री अध्यक्ष : समय आप अवश्य लीजिये लेकिन ऐसे तथ्य रखें जो सबसे सम्बन्धित हों और जिनका रिपोर्ट में दाखिला हो।

श्री लादूराम सुलाणिया : मैं इसलिये कह रहा हूं कि शिक्षा के ऊपर बहुत बड़ा ढकोसला बना कर थोपा है........

श्री अध्यक्ष : इस तरह के शब्दों का उपयोग न करें तो अच्छा होगा। और भी ऐसे शब्द हैं जिनसे आपका मतलब भी हल हो सकता है और जो सदन के लिये भी उप-युक्त हों।

श्री लादूराम सुलाणिया : अध्यक्ष महोदय, जो ५७,००० रुपये शिक्षा पर व्यय किये हैं आगे चलकर ५१,२०० रुपयों का प्रावधान रखा है। रिपोर्ट में जो आगे का प्लान दिया है वह बहुत कम दिया है। इससे क्या होगा कि जितने लड़के पिछले कई वर्षों से पढ़ लिख कर आगे आये हैं उनको आगे जो सहायता मिलनी चाहिये वह नहीं मिलेगी क्योंकि बहुत कम धन-राशि रिपोर्ट के आंकड़ों में है। जो धन-राशि आंकड़ों में रखी गई है उसको गौर से देखा जाय और उस पर विचार किया जाय, ऐसा मेरा सुझाव है और सरकारी स्कूलों में जो फीस ली जाती है उसके बारे में मेरा कड़ा विरोध है। वह फीस नहीं ली जाय, पूरी माफ करनी चाहिये। सरकार ऐसा सर्कूलर भेजे जिससे लड़के आधी फीस देकर विद्याध्ययन कर सकें। सर-कारी सहायता प्राप्त करने के लिए, जो शुरू से ही आमदनी में कमी है, वह सरकार पूरी करे। सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में जो फीस ली जाती है इसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि जितने भी स्कूल सरकारी सहायता से चलते हैं उनके लिए सरकारी अधिका-कारियों ने भी यहां तक कह दिया है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं और जिनको ७५ प्रतिशत सहायता सरकार देती है, वे फीस माफ नहीं करते हैं तो उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं। मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, कि उन स्कूलों में, जिनको सरकार एड देती है, हरिजन छात्रों से फीस ली जाती है, वह नहीं ली जानी चाहिए। इसके लिए एक सर्क्युलर भिजवा दीजिये जिससे हरिजन छात्रों की फीस माफ हो सके और हरिजन छात्रों को विद्याध्ययन के लिए सहायता मिल सके।

दूसरी बात, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि छुआ-छूत के अपराधों की संख्या पृष्ठ संख्या १०२ पर बताई है कि १९५७-५८ में १०४ केसेज़, ७० पुलिस में आये हुए केसेज़ हैं जो दर्ज हुए हैं, जिनमें से ४० में राजी-

(श्री लादूराम सुलाणिया)

नामे की कार्यवाही हुई है और ६ केसेज़ में बरी कर दिये गये हैं, यह कह कर कि तुमने छुआ-छूत नहीं की है और ४१ केसेज़ को झूठा बता कर छोड़ दिया गया है। आज हजारों केसेज़ ऐसे होते हैं कि जिनमें लोगों के साथ छूआ-छूत बरती जाती है, दुर्व्यवहार किया जाता है और जो मनुष्यता का नाता है, वह कतई नहीं बरता जाता है। जैसे आज आम तौर पर बाजारों के अन्दर, सड़कों के ऊपर, गलियों के अन्दर जो प्याऊ लगाई जाती हैं उनमें इतनी इतनी बड़ी नालियां लगाते हैं, जिनमें तीन फीट ऊपर से पानी डालते हैं और तीन फीट नीचे पानी वे लोग पीते हैं........

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : यह पुरानी बात हो गई, अब कहीं नालियां नहीं लगाते हैं।

श्री लादूराम सुलाणिया : मैं निवेदन करूंगा कि अगर माननीय सदस्या को इस बात का शौक है तो वे कल से मेरे साथ चलें, मैं पचासों नालियां बता दूं तो मान लें, नहीं तो नहीं।

मैं निवेदन करूंगा कि जहां १२-१३ वर्ष पहले भारत आजाद हुआ, तो भारत की आजादी में हमको क्या मिला? क्या इस देश के रहने वाले हर मनुष्य को स्वतंत्रता मिली है, समान अधिकार मिला है? सब स्वतंत्रता के साथ और समान अधिकारों के साथ अपना जीवन बितायें, पर दुर्भाग्य की बात सबसे बड़ी यह है कि हमारे देश में आम तौर पर तो यह है, लेकिन राजस्थान के अन्दर अधिक है कि बराबर के अधिकार तो रहे अलग, बराबर के अधिकारों से सौ मील पीछे की बात है वह हमारे हरिजनों को मिली। मैं आपको यह निवेदन करूं कि अगर राज्य सरकार हरिजनों पर यह अहसान करना चाहे कि हम करोड़ों रुपये की सहायता देकर आगे लाने की कोशिश करते हैं; यह बात गलत है। आज के पिछले युग में, जो गुजर गया है, हरिजन जाति के लोग हैं वे अपने कर्म, अपने कर्त्तव्य और अपनी सच्चाई में पीछे नहीं रहे। मिसाल के तौर पर द्वापर में कृष्ण भगवान का अवतार हुआ, वे नंगे पैर अपने भक्त चेता की देख-भाल करने दौड़े जाते थे। आज उन्हीं के मन्दिर में हरिजनों को नहीं घुसने देते। जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने बताया, मेरी स्त्री घुस गई और मुझे नहीं घुसने दिया, जो राजस्थान के भूतपूर्व मंत्री रह चुके हैं, वे नहीं जा सकते और जब कि हमारे यहां पर कानून बना हुआ है, उसके अनुसार कोई दंड नहीं दिया गया, किसी व्यक्ति को जेल में नहीं भेजा गया, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है राज्य सरकार के लिए? मैं क्या अर्ज करूं, इन हरिजनों के साथ कितनी कठोरता बरती गई है, यह देखने की बात है। इसके अलावा मैं निवेदन करूं, अध्यक्ष महोदय, जो छुआ-छूत का मामला है, वह हमारे देश में इन हरिजनों के लिए नहीं है। अगर कोई भाई, कोई माननीय सदस्य या कोई माननीय मंत्री महोदय, राज्य सरकार का कोई अधिकारी यह कहे कि हम हरिजनों पर अहसान करते हैं तो मैं कहूँगा कि चाहे आप दुगुनी छुआ-छूत करें, फिर देखें कि क्या आप दूसरे देशों के सामने सिर ऊंचा रख सकते हैं? उनके सामने नीची नाक लेकर जा सकते हैं क्योंकि वे लोग कहेंगे कि इस देश में छुआ-छूत को लोगों

(श्री लादूराम गुलाणिया)

ने इस तरह पल्ले से पकड़ा हुआ है। मैं निवेदन करूं कि हमारे देश के बड़े लीडर, जो देश के बाहर गये हुए थे, उनका भाषण मैंने सुना, उन्होंने कहा था कि मुझे पंडितजी का तार मिला, जब मैं विलायत में था, उस तार में लिखा था कि भारत आजाद हो गया है, फौरन चले आओ। तो वे हवाई जहाज से, पानी के जहाज से बम्बई पहुँचे और बम्बई से दिल्ली आ गये। तो गाड़ी में जिस डिब्बे में वे बैठे थे, वहां एक भंगी आया और उसने कहा कि आप अपनी सुराही उठा लें तो मैं झाड़ू लगा दूं। उन्होंने कहा कि झाड़ू लगा दो सुराही हटा कर। उसने कहा कि मैं भंगी हूं। उन्होंने भाषण में कहा कि मैंने सोचा कि मैं भारत से लौट जाऊं क्योंकि आज भी यहां ऊंच-नीच का भेद है। उनका भाषण है, उनकी प्रोसीडिंग्स हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम कहें कि छुआ-छूत को जल्दी मिटा दीजिये, आज मिटा दीजिये तो आज नहीं मिटने वाली है, हम कहते रहेंगे और सरकार सुनती रहेगी, इसका अफसोस नहीं, अफसोस तो इस बात का है कि जो कार्य शुरू हुआ है, वह पूरा नहीं हुआ। अगर वह पूरा नहीं हुआ तो वह कार्य शुरू क्यों किया गया? अब या तो उसको बन्द कर दीजिये, अगर यह राज्य सरकार के बस की बात नहीं है या जो छुआ-छूत को मिटाने का कानून बना हुआ है उसको समाप्त कर दीजिये। इसके लिए सरकार कोई कार्यवाही न करे तो हरिजनों को संतोष होगा कि हमारे लिए कोई कानून नहीं है। इसलिए जितने दुःख-दर्द और आपत्तियां हैं उनको झेलते रहें। अगर कानून है तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। मैं आपसे यह अर्ज कर रहा था कि केसेज़ की जो लिस्ट दी है उसको कहां तक सही मान लें और इस रिपोर्ट से कहां तक संतोष किया जाय? इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसी रिपोर्ट से हम चाहें कि हमारे राजस्थान में जितने बसने वाले, डेढ़ दो करोड़ आदमी हैं उनका भला हो जाय, तो यह नहीं होने वाला है।

तीसरी बात यह है कि राजधानी में जो आज इस बात की दुहाई दी जाती है, कि हृदय परिवर्तन करके इस काम को पूरा कर लें। हमें यह संतोष दिलाया जाता है बड़े बड़े अधिकारियों द्वारा और सरकार के माननीय मंत्रियों द्वारा कि इसकी जल्दी न करें, हम इसके लिए हृदय परिवर्तन कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूंगा कि हृदय परिवर्तन करने में, एक दिन, दो दिन, तीन दिन एक आदमी के लिए लग सकते हैं, मगर यह नहीं कि एक युग-१२ साल बीत जायं और एक व्यक्ति का भी हृदय परिवर्तन न हो। मैं मिसाल के रूप में बताऊं कि हरिजन सेवक संघ जयपुर में चल रहा है, जो हरिजनों का कल्याण करना चाहता है। वह यह श्रेय लेना चाहता है कि हम हरिजनों की प्रगति में सबसे पहले कदम रखते हैं। एक दिन बम्बई विधान सभा के एक एम० एल० ए० जयपुर शहर देखने के लिए आये। राजस्थान की विधान सभा देखने आये और उन्होंने यहां के हरिजनों की प्रगति भी देखी। वे यहां हरिजन सुधार सेवक संघ के ऑफिस में भी गये और वहां के मंत्री महोदय से बातचीत की। बातचीत के दौरान में उन्होंने मंत्री महोदय को कहा कि मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीना चाहता हूं। उसी कमरे में इतना बड़ा घड़ा, बिल्कुल ठंडे पानी का भरा हुआ रखा था टेबल पर।

(श्री लादूराम सुलाणिया)

उसके ऊपर एक पीतल का गिलास रखा था। मंत्री महोदय ने इधर उधर देखा और उत्तर न दिया। उन्होंने तीन दफा कहा कि मुझे जोर से प्यास लग रही है, किसी चपरासी से पानी मंगवाइये। मंत्री महोदय कहने लगे कि कांच का गिलास नहीं है, इसलिए मैं मजबूर हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर): कौनसे मंत्री थे?

श्री लादूराम सुलाणिया: हरिजन सेवक संघ के मंत्री कौन हैं? मैंने मंत्री कहा है। नाम जानने का ज्यादा शौक है तो हाउस के बाहर पूछ लें।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय से मतलब मिनिस्टर से नहीं है, हरिजन सेवक संघ के मंत्री से है।

श्री लादूराम सुलाणिया: तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारी बिल्ली और हमसे ही म्यांऊ-म्यांऊं, यह शर्म की बात है। जिनके पैसों के बल पर दफ्तर चलता है और वहां पर पानी नहीं मिले जब कि वहां पर पानी मौजूद है। इसके लिये उन्होंने मिनिस्टर को लेटर लिखा, अखबारों में भी खबर छपी होगी और पढ़ी होगी और उसके मंत्री थे उनके पास रिपोर्ट हुई। मुझे इस बात का दुःख है कि पानी होते हुए भी पानी नहीं पिलाया गया। मैं यह नहीं चाहता कि देश की पिछड़ी हुई जातियों के लोगों को छुआ-छूत मिला कर उनको आसमान में भेज दें और चन्द्र लोक में भेज दे। मगर मैं यह अवश्य कहूंगा कि सरकार को चाहिये कि इस बीमारी को जल्दी से जल्दी रोकें। यदि सरकार ने शीघ्रातिशीघ्र इस बीमारी को हटाने की तरफ ध्यान नहीं दिया और इसको मिटाने की तरफ विशेष कदम नहीं उठाया तो यह छुआछूत की बीमारी जो एक प्रकार से तपेदिक की बीमारी है, बहुत बढ़ जावेगी और अगर उसके बढ़ने के बाद प्रयत्न किया गया तो वे प्रयत्न असफल होंगे। अगर आपने बाद में कोई प्रयत्न किया तो जिस प्रकार तपेदिक की बीमारी से आदमी मर जाता है उसी प्रकार इसका भी हाल होगा और जो जागृति पैदा हुई है वह रहनेवाली नहीं है। और वह एक दिन ठीक तपेदिक की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की तरह मर जावेगी। तो इन शब्दों के साथ मैं यह प्रार्थना करता हूं कि यह जो बीमारी फैली है उसको मिटा कर सरकार की ओर से विशेष सुविधा प्रदान की जावे।

१.३१ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसके अलावा जो आर्थिक और भूमि का प्रश्न है, इसके लिये मैं यह कहूंगा कि खेती के लिये पेज ८४ पर दिया हुआ है उसको देखने से मालूम होता है कि कुछ भी प्रावधान नहीं रखा है। वह क्यों नहीं रखा है? आप देखेंगे कि अभी तक जितनी जमीन अलॉट की गई है उसके लिये सरकार की तरफ से आदेश मिले हैं कि भूमिहीन हरिजनों को भूमि दी जावे। इस आदेशानुसार कुछ ही भूमिहीन हरिजनों को

(श्री लादूराम सुलाणिया)

भूमि मिली है। जिस प्रकार के आंकड़े इसमें दिये हैं उनके माफिक भूमि नहीं मिली है। ये आंकड़े जो दिये हुए हैं वे तो बिल्कुल गलत हैं। इन आंकड़ों के अनुसार जमीन नहीं मिली है, लेकिन कुछ भूमि मिली जरूर है और इस भूमि से कुछ लोगों का सुधार यानि उद्धार अवश्य हुआ। लेकिन आगे जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना है और हमारे शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट है उसके पेज ८४ में साफ लिखा है कि हरिजनों के लिये कोई विशेष प्रावधान जमीन लेने के लिये नहीं है! कई दफा तो लोगों ने यहां तक कह दिया कि हरिजनों को जमीनें नहीं देनी चाहिये क्योंकि हरिजन काश्तकार नहीं हैं। मगर उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने खेती करने वाले और काश्तकार हैं वे या तो परिगणित जाति के लोग हैं या बैकवर्ड क्लॉस के लोग हैं या हरिजन। इनके अलावा जितनी भी जातियें बच जाती हैं वे खेती नहीं करती होंगी; यह इस रिपोर्ट में कहा गया है। अगर इस रिपोर्ट में यह प्रावधान किया जाता कि आदिवासी और परिगणित जातियों के अलावा भूमि किसी को नहीं दी जावे तो मैं उसका स्वागत करता। लेकिन उन्होंने इसका उल्टा लिख दिया है। इसका नतीजा यह होगा कि इन लोगों को अब भूमि नहीं मिलेगी। तहसीलदार और नायब तहसीलदार यही कह देंगे कि हम आपकी अर्जियों पर विचार नहीं करते हैं। इसके लिये सरकार ने कोई प्रावधान नहीं रखा है। इसलिये उनको जमीन नहीं मिलेगी और जमीन नहीं मिलने से पैदावार नहीं बढ़ने वाली है। यह रिपोर्ट के पेज ८४ पर दिया हुआ है और यह ८४ पेज पर लिखा हुआ हरिजनों के लिये बाधक बन गया है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : यह आप कह रहे हैं, कौनसे सन् की रिपोर्ट है?

श्री उपाध्यक्ष : बाद में बता देंगे। बाद में बात कर लेना।

डॉ० बहादुरसिंह : इस सम्बन्ध में दो रिपोर्टें हैं, कौनसी रिपोर्ट का यह पेज़ ८४ है?

श्री उपाध्यक्ष : दोनों रिपोर्टों को मिला कर बोल रहे हैं।

श्री लादूराम सुलाणिया : इसके अलावा जो धन-राशि दी जाती है वह भी जनगणना के आधार पर नहीं दी जाती है। सन् १९५६-५७ की रिपोर्ट है उसके पेज़ संख्या २५ पर जनगणना के आंकड़े दिये गये हैं। उससे भी मुझे संतोष नहीं है कि जो आकड़े दिये गये हैं वे सत्य हो सकते हैं। अगर इसके आधार पर भी देते तो बहुत कुछ हरिजनों को मिलनेवाला है। राजस्थान में परिगणित जाति के लोग हैं २४ लाख, कुछ हज़ार यानि यह १५.८७ पर्सेन्ट है। अगर इस हिसाब से जो धनराशि दी जाती तो वह धनराशि उस काम में आती कि लोग उससे काश्त करते और खेती की उपज़ को बढ़ाते और अधिक अन्न सस्ता मिलता और खाद्य समस्या है वह सुधरती और देश को फायदा मिलता। मगर यह नहीं हो रहा है। शिड्यूल्ड कास्ट के लोग १७ लाख, ७४ हज़ार के करीब हैं और वह ११.६ प्रतिशत बनता है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां १७ लाख का प्रश्न है वहां ६ लाख रुपया और

(श्री लादूराम मुलाणिया)

जहां २५ लाख, कई हज़ार हरिजनों का प्रश्न है वहां कुछ भी नहीं दिया जा रहा है ! आप एक पाई भी नहीं देते। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसी रिपोर्ट, जो सदन के सामने आई हुई है और विचार कर रहे हैं यह संतोषजनक नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगा कि ये आंकड़े ५६-५७ की जनगणना के हैं और अब ६० चल रहा है। अब उनकी जनगणना बहुत अधिक हो गई होगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि हरिजनों की जनगणना जब की जाती है तो बहुत कम की जाती है। जहां पर यह प्रश्न आता है कि यह हरिजन है या शिड्यूल्ड कास्ट का है तो उसके लिए यह सोचेंगे कि इन जातियों को जितने अधिकार मिलने वाले हैं वे पर्सेन्टेज के हिसाब से मिलेंगे और अगर इनकी संख्या ज्यादा होगी तो उनको अधिक अधिकार मिलेंगे। इसलिये उनकी जनगणना कम की जाती है। आज देश में तीन जातियों को छोड़ कर सभी जातियें बैकवर्ड या शिडयूल्ड ट्राइब में आती हैं। अगर उनको सब को चुनाव में रखा जावे तो मैं यह निवेदन करूंगा. कि अधिकतर इन्हीं लोगों का बहुमत होगा। उन लोगों का बहुमत होने के कारण उनको ज्यादा सीटें मिलेंगी और दूसरों को ज्यादा मदद नहीं मिल सकेगी। इसलिए उनकी संख्या गणना के समय कम लिखते हैं और आज आप देखेंगे कि २५ लाख आदिवासियों के लिये २८ सीटें विधान सभा में और १७ लाख के लिए २० सीटें शिड्यूल्ड ट्राइब्स की रखी हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि एक तरफ ४८ सीटें और दूसरी तरफ १२३ सीटें। १२३ सीटें उन लोगों के लिये जिनको हम तीन जाति के मानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: मैं कुछ समय दूसरे माननीय सदस्यों के लिये भी बचाना चाहता हूं।

श्री लादूराम मुलाणिया : माननीय उपाध्यक्ष, मैंने तो अभी शुरू किया है। मैं यह निवेदन करूंगा कि जनगणना के आंकड़ों पर जहां तक सीटों को रखने का प्रश्न है, वह हरिजन जाति पर सबसे बड़ा कुठाराघात है। इसलिये इससे यह होता है कि उन लोगों के जो अधिकार हैं वे उनको नहीं प्राप्त हो सकते हैं और वे अपने सही अधिकारों से वन्चित रह जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो कमिश्नर ने रिपोर्ट पेश की है उसके २०४ पेज पर देखियेगा। ७ लाख, ६५ हजार एकड़ भूमि अनुसूचित जातियों को दी गई है, यह बिल्कुल गलत है। अगर इतनी एकड़ भूमि हरिजनों को दे दी जाती तो मैं यह कहूंगा कि आज हमारे राजस्थान के जो हरिजन हैं जिनको परिगणित जाति के लोग कहते हैं उनकी यह हालत नहीं होती। अभी मैं दिल्ली का दौरा करके आया हूं। वहां का जो नगर उद्योग बना है उसमें स्पष्ट किया गया है कि राजस्थान के आये हुये लोग यहां कितने बसे हुये हैं तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि ७२ हज़ार लोग जयपुर ज़िले के यहां पर मजदूरी करते हैं और....

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न तो पहले भी आपने कहा है।

श्री लादूराम मुलाणिया : जितने भी लोग वहां पर हैं वे जयपुर जिले के आसपास

(श्री लादूराम सुलाणिया)

के गांवों के हैं। अगर उनको जितनी ज़मीन बताई गई है दी गई होती तो वे लोग वहां पर ११।। रुपये में नहीं पड़े रहते और अपने बाल-बच्चों का पोषण करते । आप देखेंगे कि वे झपोड़ियों में, एक सिरकी में पड़े रहते हैं और इस प्रकार से पड़े रहते हैं जिस प्रकार मैं यह कहूंगा कि मुर्गा-मुर्गी पालने वालों के मुर्गा-मुर्गी भी अच्छी हालत में रहते हैं। वे लोग मुर्गा-मुर्गियों से भी बुरी हालत में वहां पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि भूमि का प्रश्न है वह सरकार के सामने बहुत महत्वपूर्ण है और उनको विशेष रूप से अधिक देना चाहिये। विशेषकर यह निवेदन करूंगा कि लोग तो यहां तक कहते हैं कि तुमको रिज़र्वेशन दिया जाता है, रिज़र्वेशन से भूमि दी जाती है। तहसील में भूमि अलॉटमेंट कमेटी बनी है, मैं भी उसका एक सदस्य हूं। डिस्कशन में झगड़े हो जाते हैं और लोग यहां तक कह डालते हैं कि सवाई चक की भूमि है उसमें १५ प्रतिशत भूमि अलॉट करेंगे। मान लीजिये किसी गांव में एक हज़ार बीघा जमीन है सवाई चक की, सवर्ण लोगों को वह जमीन उपलब्ध है, हरिजनों को भूमि नहीं है, वहां पर यदि पचास प्रतिशत भी हरिजन बसे हुये हैं तो उनको कहा जाता है कि तुमको १५ प्रतिशत ही भूमि अलॉट की जायगी । भूमि अलॉट करने का एक अड़ंगा लगा रखते हैं, यह कानून गलत है। जो सरकार ने कानून बनाया है, भारत सरकार के भी कानून बने हुये हैं, स्वतन्त्रता के बाद, देश के आजाद होने के बाद, हमारा संविधान बना, डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया, १५ प्रतिशत से ज्यादा दिया है। १५ आदमी मान लीजिए किसी मेस में खाना खाते हैं। उनको एक छटांक घी मिलता है। उनमें से पांच आदमी कमजोर हैं। यदि उनको कहा जाय कि कल से तुमको एक छटांक घी और आधा छटांक घी और मिलेगा तो बहुत खुश होंगे, लेकिन उनको कहा जाय कि आधा छटांक ही घी मिलेगा और दूसरों को एक छटांक मिलेगा तो वे कहेंगे कि हमको आधा छटांक ही घी क्यों देते हैं और दूसरों को छटांक भर क्यों, आधा छटांक हमको और दो । होना तो यह चाहिये था कि उनको एक छटांक घी और हजम करने के लिए....

श्री उपाध्यक्ष : हजम करने के लिये दिया जाय।

श्री लादूराम सुलाणिया : खैर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि यह मेरा ही दुर्भाग्य नहीं है उन ७० लाख हरिजनों का जो कि राजस्थान में बसे हुए हैं उनका भी यह दुर्भाग्य है । उनमें से मैं भी एक हूं। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि जो हिस्सा है वह तो दूसरे हिस्सेदारों से उनको ज्यादा मिलना चाहिये। जैसे मान लीजिये कि भूमि विधेयक बनाया और उसमें यह किया कि ३० एकड़ भूमि एक परिवार को देंगे और उससे उन हरिजनों को १२।। प्रतिशत अधिक दी जावे तो मैं मानूंगा कि सरकार उनको प्रोत्साहन देती है । अगर वे पीछे रह गये हैं तो उनको आगे लाने में कोशिश होनी चाहिये। यह क्यों हो कि हरिजनों को तो १५ बीघा दी जाये और दूसरे काश्तकारों को ३० एकड़ और इससे भी अधिक ? ऐसा करने से हरिजनों की तरक्की पीछे रहती है। सरकार को तो चाहिये कि उस जमीन

(श्री लादूराम सुलाणिया)

में से हिस्सा देकर उससे विशेषतया हरिजनों को जमीन दें तो रिज़र्वेशन माना जा सकता है। मिसाल के तौर पर मैं निवेदन करूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : एक बात मैं भी अर्ज करूंगा कि मिसालें बहुत दे रहे हैं उससे भाषण विस्तृत होता जा रहा है।

श्री लादूराम सुलाणिया : मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान की दूसरी असेम्बली समाप्त होने जा रही है और तीसरी पंचवर्षीय योजना सरकार के सामने है। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पहली दफा ही यहां पेश हुई है और उस पर वाद-विवाद के लिए दो दिन का समय ही रखा गया है। यह दुर्भाग्य है।

श्री उपाध्यक्ष : यह पहले ही निश्चय हो चुका है।

श्री लादूराम सुलाणिया : हरिजन सदस्य बोलते हैं, उस पर टाइम की पाबन्दी लगाते हैं तो यह मेरा ही दुर्भाग्य नहीं है किन्तु राजस्थान के तमाम हरिजनों का भी दुर्भाग्य है।

श्री उपाध्यक्ष : इस सदन के सब ही माननीय सदस्यों को चाहे हरिजन हों या नॉन हरिजन हों, वाद-विवाद करने का हक है।

श्री लादूराम सुलाणिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सब ही बोलें; मेरा विरोध नहीं है। आपके आदेश से ही बोलेंगे। मैं भी आपके आदेश से ही बोल रहा हूं।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि विशेषता दें।

श्री उपाध्यक्ष : भाषण में कोई विशेषता नहीं होगी, यह मैं विश्वास दिला दूं।

श्री लादूराम सुलाणिया : पृष्ठ २४७ पर ३०० परिवारों को बे-परिवार बताया गया। यह निवेदन करूंगा कि उन परिवारों को जो बेघरबार हो गये थे उनको बसाने में गत दस साल में हमारी सरकार कितनी सफल हुई है। २२० परिवार बे-घरबार हैं और १५८ परिवारों को बसा दिया गया है। जो २२० परिवार बे-घरबार ही हैं आज तक उनको बसाने के लिए सरकार ने दस साल तक विचार ही नहीं किया क्योंकि वे हरिजन पिछड़ी जाति के थे। शरणार्थी लोग उस देश से भाग कर यहां आये उनको बसाने के लिये इतनी फुर्ती की, उनका मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, उनको बसाना चाहिये था लेकिन जो युगों युगों से शरणार्थी बने पड़े हैं यहां, उनकी ओर सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता? हरिजनों की स्थिति को तो देखिये। बाहर से आनेवाले तो शरणार्थी कहलाये। लेकिन राजस्थान के बने शरणार्थी कहां जायं, उनको कौन बसाये? वे सबसे ज्यादा कमायें और सबसे कम खायें; सबसे अधिक मेहनत करें और सबसे कम मजदूरी उनको मिले। ये सब आपको हरिजन लोग मिलेंगे। सबसे कम मेहनत करें, कम कमायें और सबसे ज्यादा खायें; यह सवर्ण लोग मिलेंगे। माफ कीजिये, जो लोग मेहनत करते

(श्री लादूराम सुलाणिया)

हैं उनको फल चाहे भले ही न मिले किन्तु भगवान् के घर देर है....

श्री उपाध्यक्ष : अन्धेर नहीं हैं।

(हंसी)

श्री लादूराम सुलाणिया : पृष्ठ संख्या २५१ ; उसमें बताया गया है कि लोगों को बेदखल नहीं किया जावेगा। उसमें यह है कि जितने भी लोग शहरों में, गांवों में, ढाणियों में या छोटे २ गांव हैं उनमें हरिजन और पिछड़ी जाति के लोग बसे हुए हैं उनको वहां से नहीं उठायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि १९५८ में एक माननीय सदस्य के प्रश्न पर सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जो हरिजन जिन जमीनों पर आबाद हैं उनको वहां से नहीं उठाया जायगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि बाहर न जाकर आप जयपुर शहर के हरिजनों की ही हालत को देखिये। जब जयपुर बसा था, जो रेकॉर्ड है, इन्द्राज है उसमें यह रेकॉर्ड मिलता है कि आमेर से आकर जिस राजा ने जयपुर बसाया था उस टाइम में जितनी जातियां थी उनके साथ ये लोग भी आकर बसे थे। जैसे दरोगा हैं, बेगार करने वाले लोग हैं, चमार हैं, कुम्हार हैं, धोबी हैं कपड़े धोने वाले, वे सब लोग राजा और अन्य जातियों के साथ यहां आकर बसे थे। राजस्थान स्वतन्त्र है, आजाद है और ऐसे कानून बने हैं कि हरिजनों को जमीनों से नहीं उठाया जायगा लेकिन फिर भी हरिजनों को धड़ाधड़ उठाया जा रहा है। प्रेम प्रकाश के पास हरिजन बस्ती थी। वह सारे शहर की सफाई करती थी, उसको उठा दिया। कई प्रार्थना-पत्र दिये, यह आबादी रहने दें लेकिन कौन सुनता है? उनको हर मोहल्लों में से उखाड़ा गया। एक तरफ तो सरकार यह चाहती है कि छुआछूत को मिटाया जाय। देश आजादी के रास्ते पर पहुँचा है यह देश-देश के लोगों के हाथों से ही टिका रहे। काम ऐसा लगता है कि इन लोगों को शहर से निकाला जा रहा है। बहुत ज्यादा प्रलोभन दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम हरिजन बस्ती बसाओ, तुम्हें ७५० रुपये मकान के लिए दिये जाएंगे। इस आश्वासन पर हरिजने घर छोड़ कर बाहर जाकर बस्तियां बसा ली हैं जिनको पांच, सात वर्ष हो गये आज तक उनको एक पैसा भी नहीं मिला है। जिन्होंने मकानों की दीवारें खड़ी कर ली अपने जेवर या कुछ कमाया हुआ था उसको लगा लगाकर जिन्होंने दिवारें खड़ी कर लीं इस आशा पर कि उनको साढ़े सात सौ रुपया मिल जायगा लेकिन आजतक एक पैसा भी उनको मिला नहीं। हम सरकारी रिपोर्ट में प्रावधान देखते हैं तो मालूम होता है कि वह तो केवल ५० घरों के लिये है। लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो सैकड़ों की तादाद में इस आश्वासन पर बाहर जाकर बस गये हैं और जिन्होंने उधार लेकर किसी भी तरह से दीवारें खड़ी कर ली हैं, लेकिन छाया करने के लिए जिनके पास पैसा नहीं उनका क्या हाल होगा उनको इस हिसाब से तो पैसा मिलने वाला नहीं है। क्या वे इसी प्रकार से जीवन बिताते चले जायेंगे? एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम हरिजनों का उद्धार करना चाहते हैं बहुत राशि बताकर उनको आप प्रलोभन देना चाहते हैं कि तुम्हारे लिए १९५९-६० में इतना खर्च कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह खर्च करते जायेंगे, दस साल का और रिज़र्वेशन मिल गया है। मैं

(श्री लादूराम सुलाणिया)

उनसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि वे इन प्रलोभनों में न आवें और अपनी आवाज को बुलन्द करते रहें। आज यह प्रलोभन देकर सरकार चाहती है कि हम इन प्रलोभनों में आजायेंगे और अपने हकों के लिए किसी प्रकार भी कुछ नहीं कहेंगे। यदि हम इसी प्रकार दबते रहे तो राजस्थान में हरिजनों की जो छुआछूत की समस्या है वह कभी मिटने-वाली नहीं है।

अब मैं विशेष तौर से गृह निर्माण योजना की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जिस प्रकार सरकार शरणार्थियों को मकान बना कर देती है क्या हरिजनों को जो इस प्रकार बे-घरबार करते जा रहे हैं क्या उनका भी इस प्रकार का हक नहीं है? मेरा तो सरकार से यही निवेदन है कि इन लोगों के लिए कमेटी का निर्माण करके उनके द्वारा जांच कराई जावे कि आज हरिजनों की बस्ती में उनके निवास की क्या हालत है। माननीय मंत्री महोदय भी जाते हैं, देखते हैं, आज उनकी स्थिति उन शरणार्थियों से भी गई बीती है।

श्री उपाध्यक्ष : यह मुकाबला तो आपने कर लिया शरणार्थियों का और हरिजनों का?

श्री लादूराम सुलाणिया : यह जो योजना हमें दिखाई जा रही है उसमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। इस रिपोर्ट में इस बात की कमी है।

उपाध्यक्षजी, यह भी मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक नौकरियों का सवाल है वैसे तो पहले जो सर्कुलर निकला है उसके अनुसार इनके लिये साढ़े बारह प्रतिशत स्थान रिज़र्व किये गये हैं इसके लिये कुछ हरिजन कार्यकर्ताओं ने प्रयत्न किया और १५ प्रतिशत तक स्थान देने के लिये तय हुआ है। इस तरह से सरकारी कागज़ों में १२॥ से १५ प्रतिशत तक लिखा हुआ है। लेकिन किसी भी ऑफिस को जाकर देख लीजिये उसके अन्दर जो भी स्टाफ होगा यू० डी० सी०, एल. डी० सी० या चपरासी कहीं भी यह प्रतिशत आपको दिखाई नहीं देगा। यदि आप इसको गलत कहें तो मैं अपने शब्दों को वापिस लेने में हिचकिचाहट नहीं करूंगा। इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि यह साढ़े बारह प्रतिशत तो उनको अलावा स्थान मिलने चाहिये, उनके हिसाब से जितने स्थान हैं वे तो मिलने ही चाहियें; उसके अलावा १२॥ प्रतिशत तो अलावा मिलने चाहिये। मान लीजिये असेम्बली के अन्दर १७६ सीटें हैं उसका १५ प्रतिशत हमें हमारे स्थानों के अलावा मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : उसके हिसाब से कितने स्थान होंगे?

श्री लादूराम सुलाणिया : वैसी हालत में पूरी असेम्बली हमारी होगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अपनी स्थिति को समझ लें।

श्री लादूराम सुलाणिया : एक दिन इस देश का भविष्य पलटा उस समय हमने सोचा कि इस देश में बसने वाली आठ करोड़ जनता का शुभ दिन आया है, लेकिन आज दस-बारह साल हो गये आज भी हमारी स्थिति में कोई विशेष प्रकार का सुधार नहीं हुआ है और मैं समझता हूं कि यह असंभव

(श्री लादूराम बुलाणिया)

है, मैं, इसलिये असंभव बताता हूँ कि जितने भी हरिजनों के लिये कानून बनाये हैं उनको काम में नहीं लिया गया है। कमिश्नर ने इस रिपोर्ट में भी यह बताया है कि इतने से ही केसेज़ आये हैं। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, ३,६८० पदों पर गजटेड ऑफिसर्स लिये गये हैं। उनके बारे में निवेदन करूंगा कि एक भी राजस्थानी को, परिगणित जाति के लोगों में से किसी को भी गजटेड ऑफिसर के पद पर नहीं लिया गया है। आखिर गजटेड ऑफिसर्स के पदों में भी हमें प्रतिशत का ध्यान रखना चाहिये। इसके अलावा जितने नोन गजटेड स्टाफ की नियुक्ति हुई है उसमें भी प्रतिशत का ध्यान नहीं रखा है। जहां तक रिज़र्वेशन का सवाल है उसके लिये निवेदन करूंगा कि जो लोग अपने अधिकार चाहते हैं, क्या उनके अन्दर बी० ए० पास व्यक्ति नहीं मिल सकते, क्या उनमें एम० ए० नहीं मिलेंगे ? जो लड़के बी० ए० पास कर लेते हैं उनकी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा सीधी उनकी नियुक्ति की जानी चाहिये। गजटेड पदों पर आखिर रिज़र्वेशन का यही तो मतलब है हमें उनको सीधा लेना चाहिये। शिड्यूल्ड कास्ट के कमिश्नर ने लिखा है कि एक भी राजस्थान में परिगणित जाति का गजटेड ऑफिसर के पद पर नहीं है।

अब आप नोन गजटेड स्टाफ को लीजिये। आज तेरह वर्ष के बाद भी वही स्थिति है। इसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इसकी जांच के लिये एक कमेटी नियुक्त करे और वह इस बात को देखे कि आखिर कितने लोगों को लिया गया है ? उस कमेटी में परिगणित जाति के विधान सभाइयों को लिया जाना चाहिये, जिनका सीधा ताल्लुक हो। वे यह देख सकें कि आखिर यह बीमारी किस इन्जेक्शन से मिट सकती है और फिर जिस उपाय को वे बतायें उसको काम में लिया जाय। यदि इस तरह से किया गया तो राजस्थान में इस जाति के लोगों का भविष्य उज्जवल हो सकेगा और साथ साथ राजस्थान का भी भविष्य उज्जवल होगा।

२ म० प०

इसके अलावा मैं यह निवेदन और करना चाहूंगा कि पृष्ठ संख्या ३७८ पर रोजगार के दफ्तर में ६,३०० बेरोजगारों के नाम लिखाने का उल्लेख है। यह छाप कर मानो हरिजनों पर कोई बहुत बड़ा अहसान किया गया है। इसको रेकॉर्ड में लेने की क्या आवश्यकता थी ? जैसे औरों ने लाइन में खड़े होकर नाम लिखाये उसी तरह हरिजनों ने भी लिखाये हैं। अब यह देखना है कि इन ६३०० में से १७७ को रोजगार दिया। इसका हिसाब ३ प्रतिशत बनता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताऊं कि इन ६,३०० में से १,५०० तो हरिजनों को जितने पर्सेन्टेज़ का हक दिया गया है उस हिसाब से ऑटोमेटिकली ऐसे ही सिलेक्ट हो जाने चाहिये। पर जगह दी गई हैं सिर्फ १७७ को। फिर कहते हैं कि हम बहुत बड़ा फायदा तुम्हें दे रहे हैं। कोरे आश्वासन देकर हमें टालने की बात समझ में नहीं आती। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि पृष्ठ ३८० पर १४,६०० का फिगर राज्य सरकार ने दिया जिसमें केवल १२५ स्थान हरिजनों को मिले। अब इसका कितना पर्सेन्टेज बनता है ? सब खड्डे में, धूल में, मिट्टी में। और दिये कितने लोगों को चान्स ?

(श्री लादूराम सुलाखिया)

१२५ को। इसका क्या प्रतिशत बनता है? आंकड़ा आप निकालिये। कुछ भी नहीं बनता है।

श्री उपाध्यक्ष : ज़ीरो पर्सेन्टेज?

श्री लादूराम सुलाखिया : तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जो रिज़र्व स्थान खाली रखे हैं उनके लिये आश्वासन तो सरकार देती है कि एक साल तक खाली रखेंगे और इसके बाद भर देंगे पर यह भी पूरा नहीं होता और उस साल खाली नहीं रख कर फिर अगले साल खाली रख देते हैं। पर मैं निवेदन करूं कि १० लड़के मैट्रिक पास आज सिर्फ मेरे अकेले के पास रोज फिरते हैं कि इस पर प्रमाणित कर दूं ताकि उन जगहों के लिये एप्लाई कर दें। पर दस लड़के इस महीने में बेकार। तो मैं अर्ज करूं कि १७६ एम० एल० ए० होंगे उनके पास कितने बेकार होंगे? कई हजार बेकार होंगे और हर जगह के लिये तड़फते रहते हैं। जगहें जब खाली हैं तो मिलती क्यों नहीं? या तो वे खाली नहीं, या फिर यह है कि हरिजनों के नाम से खाली हैं, कागजों में दिखा रखा है मगर ऑफिसर लोग उन पर प्राइवेट अपोइन्टमेंट कर लेते हैं। ऑफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट का रिश्तेदार है या मिनिस्टर साहब का टेलीफोन है या और किसी सिफारिश वाले का कोई दोस्त या सम्बन्धी है तो उनको मिल जाती हैं। बाकी के लिये जगह नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि कई अवसरों पर मैंने स्वयं ने जाकर तलाश किया है तो कहते हैं वाह साहब आप खुद देख लीजिये कि एक भी कुर्सी खाली नहीं है। बात तो ठीक है। वे खाली क्यों रखें? रखें तो नौकरी देनी पड़े। तो उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री धर्मपाल पंवार (नोहर–सु) : मिनिस्टरों के पैर पकड़ने पर खाली होती हैं।

श्री लादूराम सुलाखिया : अब डिविज़न का प्रश्न है। कोई भी डिविज़न में हो, फर्स्ट हो, सेकन्ड हो या थर्ड डिविज़न में हो, आपको जगह दे देनी चाहिये। ऐसा मेरा आपसे नम्र निवेदन है। तो उपाध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करना चाहूंगा। आपका समय मैं अधिक नहीं लूंगा। बहुत कम से कम समय में भाषण समाप्त करने वाला हूं।

सबसे ज्यादा दुःख की बात तो यह है कि राजस्थान में एक विकेन्द्रीकरण का ढांचा बनाया और इसके अन्दर पंचायत राज्य कायम हुआ। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया कि राजस्थान में ४२ हजार पंच हैं। रिपोर्ट है शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की, इसमें आंकड़े होने चाहिये थे हरिजनों के, हरिजन पंचों के, पर ज़िक्र है इसके एवज में ४२ हजार पंचों का। मैं निवेदन करूंगा कि अच्छा तो यह होता कि इस रिपोर्ट में उन हरिजन पचों के नाम देते जो पंचायतों में या पंचायत समितियों या जिला परिषदों में हैं। फिर इस पर हम विचार करते कि कुल चार हजार पंचायतों में हमारे चार हजार पंच हैं या नहीं और चार हजार में से १५ प्रतिशत से जो सरपंच बनते हैं वे कितने हैं। अगर ये आंकड़े होते तो मैं इस रिपोर्ट का बहुत बड़ा स्वागत करता। पर दुर्भाग्य है कि हरिजनों के सम्बन्ध में यह रिपोर्ट है, पर

(श्री लादूराम सुजाणिया)

हरिजनों का इसमें उल्लेख नहीं, दूसरे पंचों का है चाहे वे राजपूत हों, ब्राह्मण हों, किसी भी जाति के हों, उनकी गणना दे दी इसमें।

मैं बताऊं इन चार हजार पंचायतों में अधिक से अधिक दो हजार हरिजन पंच होंगे। पर मैं निवेदन करूं कि उनके भी अधिकार छिने हुए हैं। अगर कभी राजस्थान सरकार को यहां प्रश्न के द्वारा पूछ भी लेते हैं तो कह देते हैं कि उस सरपंच का चुनाव जो है गलत हो गया था इसलिये दूसरा चुनाव होने वाला है; उसमें हरिजन पंच को लिया जावेगा और इस तरह तीन साल पूरे हो जाते हैं और हरिजन पंच का अपोइन्टमेंट नहीं होता। मैं निवेदन करूंगा कि विकेन्द्रीकरण से पंचायतों से आप देश को आगे बढ़ाने जा रहे हैं तो देश हरिजनों के अधिकारों को इस तरह छीनने से नहीं बढ़ेगा। उनको भी नागरिकता का पूरा अधिकार मिलेगा तो देश बढ़ेगा और इसके लिये आप प्रयत्न करेंगे तो अधिकार मिलेंगे; नहीं तो जैसे आज तक नहीं मिले, आगे भी नहीं मिलने वाले हैं जैसे कहावत है कि बिल्ली को जलेबी की रखवाली में बैठा दें तो वह न दूसरों को खाने देगी न सुरक्षित ही रहने देगी, वह स्वयं ही सब खा जावेगी। सरकार, केन्द्रीय सरकार करोड़ों रुपया हरिजनों के हितार्थ देती है पर इस कारण उसका पूरा लाभ उनको नहीं मिलता। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस रिपोर्ट पर जो टूटे फूटे विचार आपके द्वारा सदन में मैंने रखे हैं उन पर सरकार गहराई से विचार करेगी! इस रिपोर्ट का कुछ ने स्वागत किया है, मैंने विरोध किया है। तो मैं चाहूंगा कि वे मेरे विरोध को ज्यादा देखे और यह देखे कि क्या गलतियां हुई हैं और आगे उनको कैसे ठीक किया जा सकता है? हमारे इन सुझावों को स्वीकार करके तीसरी योजना में उसके हिसाब से देश को और हरिजनों को आगे बढ़ाया जावे तो ज्यादा अच्छा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा के बारे में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि हरिजनों के बच्चों को आधी फीस माफ है, उसे पूरा ही माफ कर दिया जाना चाहिये। आज आधी फीस लिये जाने की बात बहुत सी स्कूलों के हैड मास्टरों को भी मालूम नहीं; वे पूरी फीस लेने की बात कहते हैं। हम उनको सक्युं लर ले जाकर बताते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास कोई इत्तला नहीं है, हम तो पूरी फीस ही वसूल करेंगे। सरकार इस रवैये के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा कि जितने भी हरिजन कर्मचारी सरकारी कार्यालयों में हैं उनको आगे पढ़ने की छूट दी जावे ताकि वे अपनी तरक्की कर सकें। इसमें विशेष रूप से मैं सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूँ।

तीसरी बात यह है कि हरिजन छात्रवृत्तियां जो हरिजन अध्यापक पद पर हैं उनको दे और सरकार अपने खर्चे पर उनको ट्रेनिंग में भेजे। उनको आज जितनी टर्निंग (ट्रेनिंग) दी जाती है.......

श्री उपाध्यक्ष : देश और विदेश दोनों से टर्मिंग ?

Page No.60

श्री लादूराम सुलाणिया : वह तो शब्द गलत होगा तो शुद्ध कर लेंगे। पर मैं निवेदन कर रहा हूं कि उनको जो भेजा जाता है खुद के खर्चे पर भेजा जाता है। सरकार की तरफ से कोई विशेष सुविधा प्रदान नहीं की जाती। तो सरकार उनको तो कम से कम सरकारी खर्चे पर भेजे ताकि उनको फायदा मिल सके और जिनको हम इतना लम्बा-चौड़ा संविधान बना कर फायदा देना चाहते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके।

स्कूल व कॉलेजों में से हरिजन छात्रों पर से डिविज़न पर से रोक हटा दी जानी चाहिए। जैसे फर्स्ट डिविज़न वालों को पहले लेते हैं और फिर सेकिण्ड डिविज़न वालों को लेते हैं और फिर उसके बाद उनके पास कोई जगह रह जाये तो फिर थर्ड डिविज़न वालों को लेते हैं। इससे क्या होता है कि उनको कॉलेजों में नहीं लिये जाने के कारण वह नौकरी के लिए फिरते रहते हैं और फिर उनको नौकरी भी नहीं मिलती। इसलिए मैं राज्य सरकार से अर्ज करूंगा कि परिगणित जाति के जितने भी लड़के हों उनके लिए यह जो डिविज़न की रोक है वह हटा दी जाये। चाहे वे फर्स्ट डिविज़न हों, सेकिण्ड डिविज़न हों या थर्ड डिविज़न हों उनको उनके नाम से ही कि यह परिगणित जाति का है या जिला मजिस्ट्रेट का कोई उसके पास प्रमाण-पत्र हो कि यह परिगणित जाति का है तो उसको लेना ही चाहिए, यह मेरा सुझाव है। आशा है माननीय मंत्रीजी मेरे सुझावों की तरफ ध्यान देंगे।

छुआछूत के बारे में समाज कल्याण विभाग को ऐसा प्रावधान बनाना चाहिए कि जो छुआछूत होती है उसके लिए जो समाज कल्याण विभाग के डाइरेक्टर्स हैं या अन्य इन्सपेक्टर्स हैं वे जांच पड़ताल करें कि यह क्यों होता है, कैसे छुआछूत को मिटाया जाये, इसकी योजना कराएं, लोगों को समझायें और इसके बारे में अधिक से अधिक जैसी सरकार की हृदय परिवर्तन करने की नीति है वह काम में लायें। मैं यह निवेदन करूंगा कि समाज कल्याण विभाग ने बड़े बड़े फोटो निकाले हैं, करीब ८-१० फीट लम्बाई-चौड़ाई के। वह इतनी बड़ी बल्लियों पर लगाये हैं और उन बोर्डों के बनाने में एक के ऊपर १५० रुपया खर्चा आया होगा। आप ही बतायें कि उसमें क्या चीज़ दिखाई है कि जिससे छुआछूत दूर हो सकती है? कहने को तो कहते हैं कि छुआछूत मिट जायेगी लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस चीज़ का ज्यादा एडवर्टाइज़मेन्ट होता है वह चीज़ ज्यादा बिकती है। डालडा घी हर जगह देखिये, हर घर में देखिये, सिनेमा में उसकी रील दिखाते हैं, लोग बहुत खाते हैं। पहले तो इसके ऊपर टैक्स भी था और अब तो वह भी हटा दिया। अगर आप ऐसे बोर्ड बनवा कर लगायेंगे तो हरिजनों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा उनकी स्थिति सुधरेगी या बिगड़ेगी? मैं यह कहना चाहता हूं कि उन फोटुओं से राजस्थान के हरिजनों के ऊपर बहुत असर पड़ा है। हम देखते हैं कि फोटुओं के प्रकाशित होने के बाद गांवों में अधिक झगड़े हुए हैं और छुआछूत को अधिक प्रोत्साहन मिला है और वह चाहते हैं कि हरिजनों के धन का दुरुपयोग करके छुआछूत को अधिक बढ़ाया जाये फोटुओं के द्वारा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उन फोटुओं की जांच नहीं होती है। जो फोटुएं बनाने का प्लॉन है उसमें हरिजन परिवार के सदस्य नियुक्त नहीं होते हैं.......

श्री उपाध्यक्ष : अब आप दूसरे विषय को ले लीजिए।

श्री लादूराम सुलाणिया : तो माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह कह रहा था कि समाज कल्याण विभाग द्वारा वे काम होने चाहिए जिनसे देश को फायदा मिल सके। मैं यह निवेदन करूंगा कि हरिजन लोग जिस जमीन पर बसे हुए हैं, जिनके लिए पहले भी सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है कि उनको हटाया नहीं जाये पर आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। सरकार के द्वारा एक सर्क्युलर निकाला जाये कि जितने भी हरिजन लोग बसे हुए हैं उनको बसे रहने दिया जाये और उनको हटाया नहीं जाना चाहिए। लेकिन उपाध्यक्षजी, आप जयपुर की ही म्युनिसिपैलिटी के कार्य को देखें। मैं आपको बताऊं कि हरिजनों का एक मन्दिर रामदेवजी महाराज का तोपखाना देश में है, उसका डंडा तुड़वा दिया जाये। जयपुर के राजा-महाराजा के लाये हुए लोग उस वक्त के बने हुए मकानों में और मन्दिरों में रह रहे हैं और उसका डंडा म्युनिसिपैलिटी तुड़वाये। उसी मोहल्ले में लोग बसे हैं, वहां से हटा कर दूर बसाये जायें, रोज मकान तोड़ दिए जायें, यह हालत है। मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे राजस्थान सरकार के मंत्रीजी मौका देखने गये। वहां का कुर्सीनामा पेश किया गया और उसको वहां से हटा दिया गया। यह है यहां के हरिजनों के साथ अन्याय। मैं निवेदन करूंगा कि एक विशेष सर्क्युलर निकाला जाये और उसे हर विभाग में भेजा जाये; ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में भेज दिया जाये कि जो भी हरिजन जिस जगह पर बसे हुए हैं उनको वहां से नहीं हटायें और उनको वही जमीन दे दी जाये, चाहे आप पैसे ले लें; लेकिन उनको उस पर बसने के अधिकार दे दिये जायें।

इसके अलावा रिज़र्वेशन दिया जाये। लेकिन जो आज उनके अधिकार हैं उससे ज्यादा दिया जाये। सरकार उनको धनाढ्य बनाने के लिए या दूसरे लोगों की श्रेणी में लाने के लिए अधिक प्रोत्साहन दे। तो, यह जो रिज़र्वेशन का प्रश्न है इसमें यह भी होना चाहिए कि रिज़र्वेशन अधिक मिलना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि लोकसेवा आयोग में हरिजनों के जितने भी प्रार्थनापत्र आते हैं........

श्री उपाध्यक्ष : आपने विशेष प्रश्न पर खूब रोशनी डाल दी है। आप पुनरावृत्ति कर रहे हैं और इसके ऊपर रोक लगानी होगी।

कुछ माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष, हम सबको समय मिलना चाहिए....

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं। मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वे जल्दी से अपना भाषण समाप्त करें।

श्री लादूराम सुलाणिया : मैं अधिक टाइम नहीं लूंगा। पांच-सात मिनट में ही समाप्त कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : ७ मिनट नहीं, २ मिनट में समाप्त कर दें।

श्री लादूराम सुलाणिया : तो मैं यह

(श्री लादूराम सुलाणिया)

निवेदन कर रहा था कि जो लोकसेवा आयोग के सदस्य हैं उनमें कोई भी हरिजन सदस्य नहीं है और उसके नहीं होने के कारण क्या होता है, वह हम सब स्पष्ट जानते हैं। यह प्रिसीडेन्ट का प्रश्न है....

श्री उपाध्यक्ष : यहां प्रेसीडेन्ट का प्रश्न कहां से आ गया ?

श्री लादूराम सुलाणिया : मैं यही कह रहा था कि उसमें प्रेसीडेन्ट का सवाल है, जब वह आयेगा........

श्री उपाध्यक्ष : प्रेसीडेन्ट तो दिल्ली हैं, यहां नहीं आ पायेंगे।

श्री लादूराम सुलाणिया : राजस्थान में परिगणित जाति का एक भी गजटेड ऑफिसर नहीं है। मेरा सुझाव है कि नौकरियों में उनको अधिक प्रोत्साहन दिया जाये और जो उनको फायदा मिलने वाला है वह मिले। इसके अलावा मैं एक विशेष अर्ज यह करना चाहूंगा कि कमिश्नर फोर अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति ने १६५६-५७ और १६५७-५८ की रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट को किसी मंत्रालय के सुपुर्द कर दिया जाये जिससे कि विमुक्त जातियों का ठीक तरह से कल्याण हो सकेगा। परन्तु खेद है कि राजस्थान सरकार ने इस विषय में अपनी कोई रिपोर्ट पेश नहीं की है। रिपोर्ट पृष्ठ संख्या २१ भाग (२) में साफ लिखा है कि ऐसा किया जाता। हो सकता है कि उस कार्यालय से जितने भी पिछड़े हुए लोग हैं उनको अधिक प्रोत्साहन मिले। आज यह देश के ऊपर सबसे बड़ा कलंक का टीका है, यह मिट जाये और भविष्य में ऐसा होता कि यह कलंक मिट जाता। मैं निवेदन करूंगा कि विमुक्त जातियों को फायदा नहीं मिला और भविष्य में भी ऐसा नहीं है कि मिल जायेगा।

जिस प्रकार आज तक कि हमारे सामने यह रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के जितने भी छोटे-मोटे पेजों के अन्दर उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है उसके अन्दर मैं तो यह कहूंगा कि वह एक जगह बैठ कर अपने ऑफिसों में तमाम राज्यों से जानकारी प्राप्त करके और एक दो उस पर क्लर्क लगा कर लिखवा कर प्रकाशित कर दी और जो विशेष मौका माननीय मंत्री महोदय ने आज हमें इस पर विचार करने के लिए यह पहला मौका दिया, शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पर जो अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया........

श्री उपाध्यक्ष : अब आप स्थान ग्रहण करें।

श्री लादूराम सुलाणिया : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह कहना चाहता हूं ...

श्री उपाध्यक्ष : आप अब स्थान ग्रहण करें।

(कई माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

डॉ० बहादुरसिंह ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कमिश्नर फॉर दी

(डॉ० बहादुरसिंह)

शिड्यूल्ड कास्ट की जो रिपोर्ट सदन के समक्ष है उसके सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने के लिए मैं दो भाग रखता हूँ। एक इसकी आलोचना और दूसरा इसकी समालोचना। जहां तक समालोचना का प्रश्न है इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता चाहता हूं कि जहां तक राजस्थान सरकार का सम्बन्ध है जो उसका काम है वह वाकई तारीफ के काबिल है क्योंकि अगर आप जो रिपोर्ट है १६५७-५८ की उसके अन्दर एजुकेशन की मद में जो व्यय होता है उसको आप देखेंगे तो पहले शुरू में २,७०,०००) रु० रखा गया और उसके बाद २,८४,०००) रु० रखा गया और फिर ३,५२,०००) रु० रखा गया। इस प्रकार से बराबर जो टैक्स पेयर्स का पैसा है वह इस वैलफेयर पर सरकार खर्च कर रही है और यह निश्चय ही स्वागत के योग्य है कि सरकार वेलफेयर के लिए इस प्रकार का खर्चा करे। इसके लिए मैं और भी सदन का ध्यान आकर्षित करूं कि आप कॉटेज इन्डस्ट्रीज की बात को ले लीजिए। इसके बारे में भी १६५६-५७ की रिपोर्ट के अन्दर बताया गया है कि पहले २४,२००) रु० दिया गया और उसके बाद में ३६ हज़ार और फिर ५५ हज़ार रुपया दिया गया। इस प्रकार दिन प्रतिदिन सरकार ने इसमें रकम बढ़ाई है। इसके लिए उसको बधाई है। इसी प्रकार स्वास्थ्य और चिकित्सा का प्रश्न ले लीजिए शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए इस मद में बराबर वृद्धि हुई है। इस मद में करीब ५३,०००) रु० का व्यय किया गया है। मैं इस सम्बन्ध में और भी आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, हाउसिंग के प्रश्न की ओर। उसके बारे में भी काफी रकम खर्च की गई है क्योंकि पिछली रकम और अभी की रकम को मिला कर टोटल रकम १,५३,०००) रु० खर्च किए गए हैं। इसी तरह दूसरे खर्चों में भी रकम बढ़ाई गई है, काफी बड़ी गुंजाइश की गई है। जहां तक हाउसिंग का प्रश्न है उसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करूं पेज़ २६१ पर कि सरकार ने म्युनिसिपैलिटीज़ के लिए ३.५ लैक्स की रकम रखी गई है। तो यह इस प्रकार की रिपोर्ट स्टेट वेलफेयर के बारे में है जो समर्थन के योग्य है और इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय को जो कि शिड्यूल्ड ट्राइब को बिलोंग नहीं करते लेकिन फिर भी उनका ध्यान इस ओर है और बराबर इस वेलफेयर की ओर लगे हुए हैं इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं।

लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है...

श्री उपाध्यक्ष : बिलोंग करते तो ज्यादा ध्यान देते।

डॉ० बहादुरसिंह : जो दूसरा पहलू है उस पर भी हमें विचार करना चाहिये। बात यह है कि जो शिकायत है और जिसकी ओर हमें ध्यान देना है और वह शिकायत कुछ वाजिब भी है कि जैसे शिड्यूल्ड कास्ट वैलफेयर डिपार्टमेंट है उसके अन्दर उनके पर्सेन्टेज की कमी की बात कही जाती है यह बिल्कुल सोचने की चीज़ है और हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि कोई विभाग और वह भी इसी कार्य के लिए विभाग हो, खास तौर से इसी कार्य के लिए हो, उसके अन्दर अगर तरक्कियां आदि दी जायं और उसमें इनका पर्सेन्टज न हो तो यह विचार करना चाहिये कि इस विभाग के पर्सेंटेज की कमी पूरी हो। लेकिन इसके अलावा जो शिडयुल्ड कास्ट और शिडयुल्ड ट्राइब्स के बीच के झगड़े की

(डॉ० बहादुरसिंह)

जो बात हमारे सामने आती है इसके सम्बन्ध में जहां तक शिड्ल्ड ट्राइब्स का सम्बन्ध है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिडयुल्ड कास्ट और शिड्युल्ड ट्राइब्स वैलफेयर डिपार्टमेंट अलग अलग कायम करने चाहिये और इसके लिए जो बोर्ड है वह तो है ही लेकिन जो मौजूदा विभाग हैं उससे शिड्युल्ड-ट्राइब्स को पूरी तरह से सुविधा नहीं होती क्योंकि शिड्युल्ड-ट्राइब्स की जो आबादी है उसकी आबादी, में पोपुलेशन में वृद्धि हुई है और उस वृद्धि के अनुसार भारत के अन्य प्रदेशों में, जैसे उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश के अन्दर जो शिड्युल्ड-कास्ट और शिड्युल्ड-ट्राइब्स के वैलफेयर डिपार्टमेंट है उनको पृथक कर दिया गया है, उसी प्रकार यहां पर भी पृथक डिपार्टमेंट शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कायम करना चाहिये । एक माननीय सदस्य ने भी इस सदन में यह शिकायत की थी कि हमारे साथ इस तरह का और दूसरे लोगों के साथ दूसरी तरह का व्यवहार किया जाता है । तो मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस प्रकार हिन्दुस्तान में अनेक चीजों में हमारी स्टेट ने लीड किया है तो इसके सम्बन्ध में भी पीछे नहीं रहेंगे और जिस तरह दूसरी स्टेट ने किया है; उडीसा, बिहार और मध्य प्रदेश ने किया है उसी प्रकार राजस्थान के अन्दर भी एक अलग विभाग होना चाहिये । अब एक सवाल विभाग में तरक्कियों और उनके अपोइन्टमेंट का है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दिनांक २७. २. ५८ को लोक सेवा आयोग को यह आदेश दिया गया कि यदि शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट के लिए स्थान सुरक्षित न हो तो वे अपने आप, स्वत: ही स्थान सुरक्षित कर दें। लेकिन शिड्यूल्ड ट्राइब्स वाले इस बात की शिकायत करते हैं और उनकी यह शिकायत वाजिब भी है क्योंकि आज पुलिस विभाग है या दूसरे जो विभाग हैं उनके सम्बन्ध में भी शिकायत है । आयुर्वेद विभाग के अन्दर भी शिकायत है । आयुर्वेद विभाग के अन्दर इस बात की सबसे बड़ी शिकायत है, वहां के जो डाइरेक्टर हैं उनके प्रति शिकायत है और वह है अनटचेबिलिटी के बारे में । मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा स्वीकार करता हूं कि उनके अन्दर जो इस बात की भावना है कि वे अनटचेबिलिटी में विश्वास करते हैं उसको दूर करने के लिए उनको आदेश मिलना चाहिये और उनको इस बात के आदेश मिलने चाहिये कि आयुर्वेद कॉलेज के अन्दर जहां जहां भी शिड्यूलकास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के विद्यार्थियों का प्रश्न है, इस बात के लिए उनको बाध्य करना चाहिये कि उनके लिए जो साढ़े बारह पर्सेन्ट हैं वह आयुर्वेद कॉलेज में उनको स्थान देंगे । जयपुर के आयुर्वेद कॉलेज में जो कोटा है उनको पूरा किया जाय । मैं उपद्यो के बारे में, जहां कि डाइरेक्टर स्वयं जिम्मेदार है और वे उनको रख सकते हैं, उनको बराबर स्थान देना चाहिये और जब तक उसकी पूर्ति न हो दूसरे लोगों की भर्त्ती बन्द कर देनी चाहिए ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : यदि पूर्त्ति न हो तो,उनको शिड्यूल्ड कास्ट घोषित कर देना चाहिये ।

डॉ० बहादुरसिंह : इसी प्रकार पुलिस विभाग के अन्दर जो स्थान हैं, जितने डी. वाई. एस. पीज़. औरएस. पीज़. हैं उन लोगों

(डॉ० बहादुरसिंह)

को तरक्कियां दी गई हैं उनके सम्बन्ध में भी शिकायतें हैं और इसलिए भी आवश्यक है कि दोनों की जनसंख्या को देखते हुए शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए अलग विभाग कर दिया जाय। इसके अतिरिक्त वेलफेयर डिपार्टमेंट के अन्दर एक कोऑर्डिनेशन ऑफिसर होना चाहिये। उस कोऑर्डिनेशन ऑफिसर की यह देखने की जिम्मेदारी होनी चाहिये कि कितनी वेकेंसीज़ हैं, कितनी वेकेंसीज़ किस चीज़ की हैं, हमारे पास कितनी है और उन्हें हम किस प्रकार से सेटअप कर सकते हैं ; किस विभाग में कितने लोगों की जरूरत है और कितने स्थान रिक्त हैं; तो इस प्रकार का समन्वय करना है और इसके लिए एक कोऑर्डीनेशन ऑफिसर कायम करने की जरूरत है। और अगर वह अधिकारी इस विभाग के अन्दर कायम कर दें तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की जो शिकायत है कि किस विभाग के अन्दर जगह हैं और किस विभाग के अन्दर जगह नहीं हैं वह शिकायत दूर हो जायगी।

मैं, माननीय मंत्री महोदय का सदन का ज्यादा समय नहीं लेते हुए ध्यान दिलाना चाहता हूँ और यह आशा करता हूं कि जिन विभागों के अन्दर इन चीजों की कमियां है और जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स वैलफेयर डिपार्टमेंट के अन्दर कोऑर्डीनेशन ऑफिसर हो और जो दूसरे इस विभाग के हैं उनके अन्दर १२ पर्सेन्ट स्थान हों वे रहें। मंत्री महोदय इस बारे में गम्भीरता से विचार करें और सदन को इस बात का विश्वास दिलायें कि भविष्य में कोई भी, वे मंत्री महोदय आयुर्वेद विभाग के नहीं हैं जो कि स्वयं शिड्यूल्ड ट्राइब्स में से आते हैं....

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : आयुर्वेद विभाग पर गम्भीर चार्ज माननीय सदस्य लगा रहे हैं कि आयुर्वेद विभाग के डाइरेक्टर अनटचेबिलिटी को मानते हैं, उस संबन्ध में मंत्री महोदय को आश्वासन देना चाहिये और अगर ऐसी बात है तो उसकी जांच करवायें।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (समाज कल्याण मंत्री) : मैं जानकारी करके बता सकूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने ज्यादा जोर दे दिया है वे अगर नहीं भी ऐसा करते हैं तो अब करेंगे।

(विराम)

डॉ० बहादुरसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो सुझाव सदन के समक्ष रखे हैं उन पर माननीय मंत्रीजी विचार करेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं।

श्री दलपतसिंह (आबू) : माननीय उपाध्यक्षजी, या श्री श्रीकान्तजी की ओर से रिपोर्ट शिड्युल्डकास्ट्स और शिड्युल्डट्राइब्स के लिए प्रस्तुत की गई है, उनके बारे में विचार-विमर्श हो रहा है। हमें सबसे पहले यह देखना है कि स्पेशली इन दोनों जातियों के लिए क्या क्या डेवलपमेंट के वर्क्स राजस्थान के अन्दर हुए हैं इन नौ सालों के अन्दर। अगर नहीं हुए हैं तो आइन्दा सरकार उनके ऊपर किस तरीके से डेवलपमेंट करेगी ; जैसी कि श्री कान्तजी ने अपनी रिपोर्ट के अन्दर सबसे पहले शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट में यह

(श्री दलपतसिंह)

रिकमन्डेशन दी हैं ।

"In order to convince the country that they are allotting agricultural lands to landless backward class/tribe persons and also giving these communities due representation in services, the State Governments should collect and maintain up-to-date data concerning these two important problems."

इसके अन्दर उन्होंने, श्री कान्तजी ने उनके रिहेबिलिटेशन और उन्नति के लिए लैण्ड की प्रोब्लम को बताया है । उन्होंने आगे भी लिखा है :

"Land is the only solution for the Scheduled Caste people to free themselves from the yoke of superior classes or castes and, therefore, agricultural land should be made available to them by giving them first preference."

तो इसके बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह अर्ज करना है कि उनकी तरक्की के वास्ते शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के पास में एलॉटमेंट करते समय कितनी लैण्ड राजस्थान के अन्दर दी जाती है ।

फर्स्ट प्रिफरेन्स दें, उसमें कोई शक नहीं हाउसिंग वगैरह बनाने में सबसे पहला फुटिंग यह होगा कि उनको जमीन दे दी जाय तो उनके लिए सबसे ज्यादा उन्नतिशील कदम होगा । लेकिन मैं वास्तव में देखता हूं कि मैं, बांसवाड़े में, डूंगरपुर में सिरोही क्षेत्र में आदवासी और शिड्युल्ड कास्ट्स के लोगों के पास २।। ३ बीघे से ज्यादा जमीन नहीं है इसलिए केवल फर्स्ट प्रिफरेन्स दें, यह किताबों के अन्दर लिख देने से काम नहीं चलेगा । अगर वास्तविक रूप से हम देखते हैं तो आगे भी कितनी कोशिश करेंगे जैसा कि राजस्थान गवर्नमेंट सीलिंग लाई, लेकिन सीलिंग होने के बाद में भी बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सिरोही की वह स्थिति नहीं है कि सीलिंग के बाद भी उनको जमीन मिल सके, अन्यथा मैं तो मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि जब इतनी भूमि नहीं है और आप एलॉटमेंट नहीं कर सकते हैं तो आगे उन्नति के लिए उपाय करने पड़ेंगे ता कि वे अच्छी तरह से रीहेबिलिटेट कर सकें, अच्छी तरह से डेवलपमेंट कर सकें। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि भूमि एलॉट करते हैं, भूमि के ऊपर बसाना है तो आसपास के बड़े-बड़े झाड़ हैं जहां कि आदिवासियों को जमीन दी जाय । बड़े-बड़े झाड़ हैं, घास वगैरह कटवा कर जमीन एलॉट की जाय तो झाड़ के अन्दर एग्रीकल्चर सोसाइटी बना कर उनको रीहेबिलिटेट कर दिया जाय, तो यह प्रश्न हल हो सकता है कि खेती के लिये कुछ साधन मिल जायं । बांसवाड़ा, डूंगरपुर, आबू क्षेत्र में पहाड़ों की तलहटी से पहाड़ को खन करके उसमें थोड़ी बहुत मक्की बो लेते हैं । उस मक्की के बोने में प्रोडक्शन इतना नहीं होता है कि वह फेमिली को इकोनोमिकली पुल ओन कर के उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारें । यानी उनको कुछ न कुछ एम्प्लॉयमेंट के अन्दर जगह मिलनी चाहिये ताकि वह अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारें । आज इस मामले को जहां तक हम देखते हैं कि आदिवासी और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग कमजोर किसलिए हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी हुई नहीं है । अगर आप उनको वास्तव में उठाना चाहते हैं तो सिर्फ सिनेमा

(श्री दलपतसिंह)

बता दें या कार्टून बता देने से डेवलपमेंट वर्क के अन्दर कोई उन्नति नहीं हो सकती है, जैसे कि इन ६ सालों में जीरो पर्सेन्ट की उन्नति हुई है। जब तक इनका इकोनोमिक प्लेटफार्म अच्छा नहीं होगा तब तक जिस तरह से वीक सोसाइटी, बैकवर्ड सोसाइटी, वीक सेक्शन्स हैं उसी तरह से यह वीक सेक्शन आयन्दा भी १० साल के लिये रहेगा। इसलिये वास्तविक रूप से इनको बसाना चाहते हैं तो इनको एम्प्लॉयमेंट दीजिये। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए उनके पास बांसवाड़ा, डूंगरपुर, आबू क्षेत्र में जहां कि शिड्युल्ड कास्ट्स और शिड्युल्ड ट्राइब्स की बहुत ज्यादा पर्सेन्टेज है, वे लोग बहुत ज्यादा बसे हुए हैं; उनके पास में कोई साधन नहीं हैं, उनके लिए साधन जुटायें। कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ में वहां पर इन्डस्ट्रियल एस्टेट करके कागज़ के कारखाने, दियासलाई के कारखाने, ऐसे कारखानों की वर्षा करें ताकि उनको लेबर मिल सकें। आपने वैलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा उद्योगों की ट्रेनिंग दी। थोड़ा बहुत कार्पेन्ट्री का वर्क सीखा, थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज प्राप्त की, लेकिन आगे कोई साधन नहीं रहता है कि आगे जाकर इन्डस्ट्री के अन्दर अपना एम्प्लॉयमेंट लेकर अपनी टेक्निकल नॉलेज जो कि आपने सिखाई है उसका सदुपयोग कर सकें। इसका कारण मैं फिर कहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है। बांसवाड़ा, आबू रोड वगैरह में जितने आदिवासी शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं वे अहमदाबाद में कोयले लड्डी उठाते हैं। आज आप अहमदाबाद में लड्डी उठाने वालों के सेन्टर पर चलेंगे तो कम से कम २०-२५ हज़ार आदिवासी राजस्थान के मिल सकेंगे। इसलिये राजस्थान गवर्नमेंट के सामने उनको एम्प्लॉयमेंट दिलाने और रीहेबिलिटेट करने का सबसे बड़ा प्रश्न है। तो मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कि उनका आज हमारे सामने एम्प्लॉयमेंट का प्रश्न है, वह उनका प्रश्न हल होना चाहिये।

आप देखेंगे कि आबू क्षेत्र के अन्दर ७० प्रतिशत आदिवासी हैं वहां उनके पास कोई इन्डस्ट्री के साधन नहीं हैं। फोरेस्ट की सोसाइटीज़ हैं तो उन फोरेस्ट सोसाइटीज़ से कान्ट्रेक्टर्स फायदा उठाते हैं। अगर उन्हीं सोसाइटीज़ में २०-३० शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के आदिवासी अगर सोसाइटी बनायें और वह कोयला वगैरह बनायें तो उनको बोनस वगैरह अच्छी तादाद में मिलेगा और उनकी आर्थिक दशा उठेगी। सबसे पहला प्रश्न यह है उनकी आर्थिक दशा को ऊपर उठाना। अगर उनकी आर्थिक दशा गिरती हुई होगी तो झोंपड़ी के बजाय आप एलॉट करें या न करें, एक हज़ार के बड़े बड़े बंगले से क्या मतलब है, अगर उनका फन्डामेंटल इकॉनामिक प्लेट फॉर्म नहीं है। अगर वह बढ़ जायगा तो बंगले भी ठीक लगेंगे वर्ना बंगले को चाटने से मतलब हल नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्टर्स लोग फायदा उठा रहे हैं वहां पर तो कान्ट्रेक्टर्स के बजाय अच्छी सोसाइटीज़ बना कर कोयला वगैरह काटते हैं। वहां पर सोसाइटी बनायें ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके और आदिवासी अपनी इकोनोमिक पोज़ीशन को ज्यादा अच्छी तरह से सुदृढ़ कर सकें।

इसके अलावा यह भी एक टेक्निकल

(श्री दलपतसिंह)

पोइन्ट है कि आप सोसाइटी बना देंगे, आपका प्रोपेगेन्डा भी है, आप एडवर्टाइज़मेंट भी करते हैं कि सोसाइटी बनाओ, लेकिन सोसाइटी बना लेने के बाद टेक्निकल हैण्ड नहीं मिलता है ! टेक्निकल हैण्ड नहीं मिलता है तो क्या होता है कि आदिवासी सोसाइटी बना कर कुछ इस प्रकार के रूप में आगे बढ़ते हैं तो फेल्योर हो जाता है, और फेल्योर होने का मतलब यह है कि उनके पास में टेक्निकल हैण्ड नहीं है । इसलिये मैं मन्त्री महोदय से अर्ज करूंगा कि उनके पास में एक एक सोसाइटी के साथ में एक टेक्निकल हैण्ड लगा दें ताकि वे सक्सेसफुल हों और टैक्निकल नॉलेज के द्वारा वह सोसाइटी कुछ फायदा प्राप्त कर सके और उनको कुछ ज्यादा बोनस मिल सके । नहीं तो कोयला जितना होता है, उसका जितना फायदा होता है वह महाजन या अच्छा आदमी जो कि केपिटल इन्वेस्ट करता है, वह उठा ले जाता है, बाकी मेम्बर्स को बोनस वगैरह का फायदा नहीं मिलता है । यह फायदा उन लोगों को मिल जाता है क्योंकि वे शिक्षा में बिल्कुल बैकवर्ड हैं । ऐसी हालत में मैं निवेदन करूंगा कि टेक्निकल हैण्ड रखें । उनके हाथ में देंगे तो उनको ज्यादा बोनस मिलेगा, और आदिवासी अपनी आर्थिक दशा को ऊपर उठायेंगे ।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करूंगा कि आप २०-२० के बीच में एक-एक सेन्टर ऐसा खोलिये जिससे ऐसा होगा कि सस्ता अनाज और सस्ता कपड़ा मिले । कम से कम १०० गांवों के बीच में एक कस्बा होता है वहां पर ये लोग जाते हैं और इनको मंहगा कपड़ा और मंहगा अनाज मिलता है । आगे भी उनकी आर्थिक स्थिति खराब है और वे इतने पिछड़े हुए हैं कि भाव-ताव का इनको पता नहीं रहता है इसलिये ज्यादा दाम देने पड़ते हैं । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि २०-२५ गांवों के बीच में सस्ते अनाज की दूकानें खोल दी जायं और यह भी व्यवस्था कर दी जाय कि वहां पर इनको सस्ते भाव पर एग्रीकल्चरल इम्पलीमेंट्स, लोहा, कपड़ा और अनाज मिलता रहे ताकि इनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके और इकोनोमिक सहायता मिलने पर ये लोग और आगे बढ़ सकें ।

तीसरी बात यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि मेरा एरिया जो पहले बम्बई राज्य में था उसमें कई जातियों की गिनती बैकवर्ड क्लासेज़ में नहीं की गई है : जैसे सरगरा और कोलीज़ । उनको जो फेसिलिटीज़ देना चाहते हैं उनसे वे महरूम रह जायेंगे । सरगरा और कोलीज़ इम्पोर्टेन्ट जातियां हैं । उनको भी लिस्ट में एड करना चाहिये ताकि जो फैसिलिटीज़ आप देना चाहते हैं उसका फायदा वे उठा सकें ।

अब मैं थोड़ा अनटचेबिलिटी के बारे में कहना चाहता हूं । वह इम्पोर्टेन्ट बात है । कई लोगों ने कहा कि पुलिस को उनके साथ रखना चाहिये, डाइरेक्टर को जाकर देखना चाहिये, टेम्पल्स में घुसाना चाहिये । लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि जनता में मोरल अच्छा रहना चाहिये । सबसे पहले तो आप खुद देखिये कि आपकी म्युनिसिपैलिटीज़ क्या कर रही हैं ? यहां पर जो काम स्वीपर्स

(श्री दलपतसिंह)

या मेहतर करते हैं वैसा काम दूसरी कई कंट्रीज़ में नहीं होता । यहां पर वे लोग नाइट सोइल को हैड–लोड (head load) पर इधर से उधर ले जाते हैं। दूसरी जगह ऐसा कहीं नहीं होता है । इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यहां साइन्टिफिक वेज़ जैसे फ्लश लेट्रिन्स वगैरह काम में लानी चाहिये या ट्रक्स वगैरह काम में लानी चाहिये जिसके द्वारा नाइट सोइल वगैरह का मूवमेंट आसानी से हो सके। हम यह चाहते हैं कि उनके साथ भाई के जैसा बर्ताव करना चाहिये लेकिन जब तक एक स्वीपर को नाइट सोइल हैड लोड पर ले जाते देखते हैं तो हरएक उनसे दूर रहना चाहता है। इसलिए आप उनके लिए साधन जुटाइये; ट्रक्स, फ्लश लेट्रिन्स सिस्टम वगैरह; ताकि वे लोग हैड लोड उठाने से बच सकें और उनमें एफिशियेन्सी आवे और उनके स्टेन्डेर्ड पर फर्क आ सके। उनका स्टेन्डर्ड बढ़ेगा तो he will also try to move with others.

इसके अलावा दूसरी बात है difference of quota allotted. जैसा यादव साहब ने फरमाया था कि एक लाख रुपया शिड्युल्ड कास्ट के लिये कर दिया है तो २ लाख आदिवासियों के लिए कर दिया है, इनमें डिफरेन्स नहीं होना होना चाहिये। मुझे इस बात की खुशी है कि शिड्युल्ड कास्ट के लोग खेती पर ज्यादा बसे हुए हैं और उनकी हालत अच्छी है । लेकिन सिरोही, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर में ट्राइब्स के लोग पहाड़ों की तलहटियों में बसे हुए हैं । उनके पास साधन नहीं होने से पैसा नहीं आता है। वे लोग बंदरों की तरह से जंगलों में रहते हैं। वे लोग जंगल से काट कर, लकड़ी लाकर कस्बों में बेचते हैं और जंगल में ही अपना गुजर-बसर करते हैं। शिड्युल्ड कास्ट के लोगों के पास सिरोही, जालोर वगैरह में ५०–५० बीघा से भी अधिक जमीन है । इसलिए जो आदिवासी गांवों में हैं उनके लिए ज्यादा फैसिलिटीज़ होनी चाहिये । आज उनके लिये मेडिसिन्स की कोई फेसिलिटीज़ नहीं हैं। जितनी बीमारियां होती हैं उनका सामना उनको बिना मेडिसिन्स के करना पड़ता है। मैं अपनी टूर के समय देखता हूं कि वे कितने बदनसीब हैं । मैं उन लोगों को देखता हूं कि उनके यहां थोड़ा धान पकता है तो उससे वे महाजन का कर्ज चुकाते हैं। वे लोग महाजनों के कर्ज से डूबे रहते हैं। इसलिये जो कोटा उनके लिये रखा है वह मेरे हिसाब से ठीक है....

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू–सु) : मीणों की बात थी....

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर ! आॅर्डर प्लीज़ !!

श्री दलपतसिंह (जारी) : आदिवासी लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत पिछड़े हुये हैं। पहले आश्रमों की रूपरेखा बनाई गई थी । आज एक आश्रम डूंगरपुर या बांसवाड़ा में खुलता है तो उससे आदिवासियों के पेरेन्ट्स को कैसे फायदा होगा जब कि वहां पर कोइ छात्रावास नहीं है ? बांसवाड़ा या आबू रोड में वे ५ वीं क्लास पास करके आते हैं तो उनके लिये आबू रोड में होस्टल खुलना चाहिये, जिसमें वे रह सकें वर्ना वे

(श्री दलपतसिंह)

पांचवीं कक्षा पास करके ही ब्लोक्ड हो जाते हैं। उनकी आर्थिकस्थिति ऐसी नहीं है कि दूसरी जगह भर्ती हो सकें। इसलिये दूसरी स्कूल्स जो पहाड़ की तलहटियों में हैं वहां होस्टल्स का भी इन्तजाम होना चाहिये ताकि आदिवासी और शिड्यूल्ड कास्ट के लड़के आ जावें तो वे भी उन्नति कर सकें।

शिक्षा के अलावा एक इम्पोर्टेन्ट बात मुझे और कहनी है। सोशियल वेलफेअर डिपार्टमेंट के जरिये तकावी दी जाती है, एग्रीकल्चरल इम्पलीमेंट्स के लिये पैसा देते हैं; लेकिन वे लोग कर्जदार हैं और बहुत बेकवर्ड हैं इसलिये महाजन वगैरह उनसे पैसा ले लेते हैं। तकावी वगैरह का पैसा आप जितना देते हैं वह मिडल मैन लेते हैं और वह पैसा डेवलपमेंट के कार्य में नहीं लगता है। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि सोशियल वेलफेअर डिपार्टमेंट के अन्डर मे कर्जा कमेटी होनी चाहिये जो जाकर २०-३० गांवों के लोगों की हालत देखे और लोगों को बुला कर पूछे कि उनकी हालत आर्थिक दृष्टि से कैसी है। महाजन वगैरह मनी लैन्डर्स से बचाने के लिये स्पेशल कर्जा कमेटी होनी चाहिये, तहसीलदारों और कलेक्टर्स के जरिये नोटिस जारी होना चाहिये कि जितना कर्जा मांगते हैं वे तहसील में क्लेम्स पेश करें। इससे क्या होगा कि आप जो पैसा डेवलपमेंट के लिये देते हैं वह डेवलपमेंट के काम के लिये ही लगेगा, वर्ना जितना पैसा देते हैं वह मिडलमैन ले जाता है। मनी लेन्डिंग बिल सब के लिये इन्ट्रोड्यूस होना चाहिये राजस्थान विधान सभा में, जिससे लोगों को राहत मिल सके।

कर्जा कमेटी के अलावा मैं यह अर्ज करूंगा कि कॉम्युनिकेशन वगैरह की जो हालत है वह बैकवर्ड एरिया में बहुत खराब है। यह बहुत मुश्किल है कि वे लोग ५० पर्सेन्ट श्रम करके कॉम्युनिकेशन के मीन्स ठीक कर सकें; उनके लिये साधन जुटावें ताकि अच्छी व्यवस्था हो सके। मैं अर्ज करूंगा कि जहां ७० पर्सेन्ट से ज्यादा पोपुलेशन है उसको बिल्कुल बैकवर्ड एरिया घोषित करना चाहिये। अभी तक डूंगरपुर और बांसवाड़ा को घोषित किया गया है। उनका इकोनोमिक स्टेन्डर्ड ऊपर उठाना होगा, नहीं तो बुरा असर पड़ेगा। इसलिये अर्ज करूंगा कि आबू का जो एरिया है, जहां नेहरूजी पधारे थे उनके सामने मेमोरेन्डम बना कर पेश किया था कि जहां ८० पर्सेन्ट आदिवासी रहते हैं उस एरिया को शिड्यूल्ड ट्राइब एरिया डिक्लेअर करना चाहिये; लेकिन उसे अब तक डिक्लेअर नहीं किया गया। वहां पर आदिवासियों के लिये जीरो पर्सेन्ट डेवलपमेंट है। इसलिये ऐसे एरियाज़ को जहां ७० प्रतिशत से ज्यादा बस्ती हो, बैकवर्ड एरिया घोषित कर देना चाहिये। आखिर इन सब व्यक्तियों के लिये यदि भूमि के, डेवलपमेंट के साधन नहीं जुटाये जायेंगे, कॉटेज इन्डस्ट्री के साधन नहीं जुटाये जायेंगे तो उनकी जो दशा है वही रहेगी और उनकी आर्थिक पोज़ीशन नहीं सुधरेगी और जब आर्थिक पोज़ीशन नहीं सुधरेगी तो उनकी एफीशियेन्सी नहीं बढ़ेगी और जो एक वीक सेक्शन है वह वीक सेक्शन रहेगी। जो सुपीरियर क्लास है, उसके स्टेन्डर्ड तक आने से वे लोग मजबूर रहेंगे। इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा मुख्य मन्त्रीजी से

(श्री दलपयसिंह)

निवेदन करूंगा कि उनके लिये राइट डेवलपमेंट के साधन जुटायें, कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ के साधन जुटायें और उनकी हालत सुधारने की पूरी कोशिश करें ताकि उनकी हालत सुधर सके ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो एट्थ रिपोर्ट शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की है उस पर हम पहली दफा विचार-विमर्श कर रहे हैं । यह विचार-विमर्श कल से शुरू हुआ है । यह रिपोर्ट जो १६५८-५६ की है इसमें लगभग १८ सेक्शन्स हैं, उन सब सेक्शन्स में तो मैं नहीं जाना चाहता हूं । उसमें से दो-चार सेक्शन्स का मैं थोड़ा बहुत जिक्र करना चाहूंगा । लेकिन उसके पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं । कल इस डिबेट में जिन माननीय सदस्यों ने इनीशियेट किया था उन्होंने कहा था, उनको हरिजन फोबिया हो गया है । फोबिया जरूर हुआ है, लेकिन उनको नहीं हुआ है, फोबिया सवर्णों को हुआ है, हरिजनों को हरिजन मीनिया हो रहा है । सवर्णों के लिये हरिजन फोबिया और हरिजनों के लिये हरिजन मीनिया हो गया है । मैं चाहता हूं कि जब इस रिपोर्ट पर विचार करते हैं और देखते हैं कि हरिजनों के लिये जो रिज़र्वेशन रखा जाता है, जो स्पेशल प्रिविलेजेज़ रखे जाते हैं और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है, इनका मतलब यह नहीं है कि उससे कोई ऐसी भावना पैदा करे कि यह हममें से है, यह फ़लाना आपमें से है, यह मेरा है, यह तेरा है ; इस प्रकार की भावना देश में पैदा नहीं हो, हम यह चाहते हैं । हरिजनों को हम बढ़ाना चाहते हैं, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की ज्यादा से ज्यादा तरक्की होनी चाहिये, जहां कमी रह गई हो उसको दूर करना चाहिये लेकिन साथ ही साथ यह भी ख्याल रखना चाहिये कि 'तेरा-मेरा' की भावना, आज हिन्दुस्तान में दो हिस्से हैं, इस तरह की भावना न बढ़ पाये । इस तरफ ख्याल रखना चाहिये कि इस प्रकार की भावना को प्रोत्साहन न मिले । सबसे पहले, उपाध्यक्ष महोदय, जो रिवीज़न ऑफ लिस्ट्स ऑफ शिड्युल्ड कास्ट्स एन्ड शिड्युल्ड ट्राइब्स है, उसके सम्बन्ध में एक, दो बातें कहना चाहता हूँ । कॉन्स्टीट्यूशन के आर्टिकल ३४१ व ३४२ के अन्दर में शिड्युल्ड कास्ट्स और शिड्युल्ड ट्राइब्स की लिस्ट बनाई जाती है । अब यह जो लिस्ट है । उसमें काफी गल्तियें भी हैं कुछ जगहों पर । इस रिपोर्ट से मालूम होता है कि जो उत्तर प्रदेश है वहां की लिस्ट में धोबी को भी माना गया है, बम्बई में नहीं माना गया है । जालोर से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसे बताया कि माली अजमेर में शिड्यूल्ड कास्ट में आते हैं ......

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : बैकवर्ड क्लास में हैं ।

श्री पी० के० चौधरी : शिड्यूल्ड कास्ट में हैं ।

श्री चन्दनमल वैद : बैकवर्ड क्लास में हैं ।

श्री पी० के० चौधरी : हां, बैकवर्ड

(श्री पी. के. चौधरी)

क्लॉस में हैं। हां, तो एक बात मैं लिस्ट के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था १९५६ में, उसके बाद होम मिनिस्ट्री शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट को कन्सोलिडेट करना चाहती थी और स्टेट गवर्नमेंट से उन्होंने सुझाव मांगे थे कि यह लिस्ट कन्सोलिडेट हो जाय और वह लिस्ट किस प्रकार की होनी चाहिए। हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि हम शिड्यूल्ड कास्ट्स की तादाद बढ़ाते जायं या शिड्यूल्ड ट्राइब्स की तादाद बढ़ाते जायं। आज हमारे डेवलपमेंट और विकास के प्रयत्न हैं, उनका मतलब है कि कम से कम लोग शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स में रहें और ज्यादा से ज्यादा लोग एक से होते जायं और स्पेशल प्रिविलेजेज़ का प्रयोजन नहीं रहे। इस प्रकार की मन्शा थी। इस सम्बन्ध में आज तक स्टेट गवर्नमेंट से कॉम्प्रीहेन्सिव रिपोर्ट नहीं गई है और अगर गई भी है तो उसमें जो प्रपोज़ल्स थे वे डिफेक्टिव थे। अब लिस्ट बनने जा रही है, वह आर्टिकल ३४१ व ३४२, सेक्शन २ के अन्डर में बनने जा रही है और उस लिस्ट को पार्लियामेंट में पास किया जायगा। मैं चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जब शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड कास्ट्स की लिस्ट कन्सोलिडेटेड आज अमेंड होने जा रही है, ऐसी कोशिश की जाय कि उन्हीं कॉम्युनिटीज़ को शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स में रखा जाय, तो वाकई शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की हैं। उससे दो फायदे हैं। एक तो कम से कम लोगों को शरीक करने से जो फंड आप देंगे वह बढ़ जायगा; लेकिन कम से कम लोग उसमें रहेंगे। उससे फायदा होगा कि जितना रुपया शिड्यूल्ड कास्ट्स-शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए प्रोवाइड किया जायगा उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेगा, जिससे वे जल्दी से जल्दी आगे बढ़ सकें। इस सम्बन्ध में स्टेट गवर्नमेंट के कमिश्नर की रिपोर्ट, १९५७-५८ की है, उसमें पेज १७१ की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। कमिश्नर ने कहा है : "A hint was given in my previous report that backwardness has a tendency to perpetuate itself and people have vested interest in it. If the ultimate aim of classless and casteless society has tobe achieved, then the lists of scheduled tribes scheduled castes, and other backward classes will have to be reduced everyyear and they will have to be replaced by such lists which are based on income-cum-merit" और उन्होंने आगे कहा है कि उनकी जो लिस्ट है, वह income cum-merit के बेसिस पर बनाई जाय, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वह Backwardness has a tendency to perpetuate itself. यानी वेस्टेड इन्ट्रेस्ट क्रियेट करता है, इस बात की तरफ मैं स्टेट गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने सुझाव दिया कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स में कौन कौन होने चाहिए, उसमें इस बात पर गौर करें। उसके लिए जैसा कमिश्नर ने कहा है कि सर्वे स्टेट में करके डेफीनिट सजेशन लिस्ट के लिए रहने चाहिए, यह मैं अर्ज करना चाहता हूं।

उसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की जो रिपोर्ट हैं, उसमें पोलिटिकल रिप्रजेन्टेशन या रिप्रेजेन्टेशन ओन पोलि–

(श्री पी. के. चौधरी)

टिकल पोस्ट्स का जिक्र किया हुआ है। राजस्थान में भी, पहले भी जिक्र किया था कि पोलिटिकल पोस्ट्स पर उनका रिप्रेजेन्टेशन हो। वह रिप्रेजेन्टेशन कम से कम सर्विसेज़ की पोस्ट्स पर हो, लेकिन इसका मतलब यह है कि मिनिस्टरी में भी रिप्रेजेन्टेशन हो। आज शिड्यूल्ड कास्ट्स का २५ पर्सेन्ट रिप्रेजेन्टेशन केबिनेट में हैं, लेकिन यह रिप्रेजेन्टेशन डिप्टीज़ में भी मिलना चाहिए..

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : अभी अमृतलालजी बाकी हैं।

श्री पी० के० चौधरी : मेरे हिसाब से मिल गया है, ११ में दो हुए हैं तो २५ पर्सेन्ट हो गया ...

श्री चन्दनमल वैद : नहीं हुआ है।

श्री पी० के० चौधरी : कम हुआ है, अढ़ाई से काम नहीं बन सकता, इसलिए दो भी ठीक मानता हूं। लेकिन जहां तक डिप्टी मिनिस्टर्स का सवाल है उसमें भी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्स को रिप्रेजेन्टेशन जरूर मिलना चाहिए अकोर्डिंग टू दि स्ट्रेन्थ इन दी पार्टी। इस बात को भी हम नजर अन्दाज नहीं कर सकते। जैसा हमारे यहां उनके लिए सर्विसेज़ में है। उसी तरह दूसरी बातों में भी रिप्रेजेन्टेशन देना चाहिए। पोलिटिकल पोस्ट्स में बाकायदा according to their representation मिलना चाहिए, यह मेरा इसमें सुझाव था।

दूसरी बात वेलफेयर स्कीम्स के लिए आती है। वेलफेअर स्कीम्स का जहां तक सवाल है, उसमें प्रोग्रेस ऑफ एक्सपेन्डीचर है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वह अपेन्डिक्स १२ में दिया हुआ है। अब उसमें राजस्थान में प्रोग्रेस ऑफ एक्सपेन्डीचर देखें तो एप्रूव्ड एक्सपेन्डीचर १९५६–५७ में सेन्ट्रल सेक्टर में साढ़े तीन लाख का था, एक्सपेन्डीचर इनका हुआ दो लाख का यानी ६० पर्सेन्ट हुआ है और ४० पर्सेन्ट का शोर्ट फाल हुआ है। इसी प्रकार स्टेट गवर्नमेंट का १९५६-५७ का सात लाख का था उसमें एक्सपेन्डीचर ६ लाख का हुआ है, यह करीब करीब ठीक था। ग्रान्ट–इन–एड लगभग पांच लाख की थी। इसमें से साढ़े तीन लाख का एक्सपेन्डीचर हुआ है, इसमें भी शोर्ट फॉल हुआ है। इसी प्रकार स्टेट सेक्टर १९५८–५९ में एप्रूव्ड एक्सपेन्डीचर कुछ नहीं बताया गया है, १९५८–५९ में शुरूआत में एक्सपेन्डीचर किया नहीं और इस प्रकार नाइन मन्थ्स में एक्सपेन्डीचर ७९ लाख का हुआ है, रिमेनिंग लास्ट मन्थ में २९ लाख का किया है।

३ म० प०

अब मैं आपका शिड्यूल्ड ट्राइब्स की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स का एक्सपेन्डीचर है ६॥ लाख का उसमें से ५० पर्सेन्ट एक्सपेन्डीचर होगा। आप देखेंगे कि ५८–५९ में जब हम देखते हैं तो एक्सपेन्डीचर एप्रूव्ड है सेन्टर एलोकेटेड ८ लाख, ७९ हजार है और पहले ९ माह में वह इन्कर्ड होता है ८४ हज़ार और पिछले रिमेनिंग लास्ट ३ महीनों में लगभग ८ लाख खर्च करेंगे। पता नहीं, यह ८ लाख तीन महीनों में

(श्री पी. के. चौधरी)

किस प्रकार से खर्च करेंगे ? स्टेट सेक्टर में भी इसी प्रकार है, १६ लाख का है ; पहले ६ महीनों में दो लाख और बाकी के तीन महीनों में १४ लाख । यह मेरी समझ में नहीं आया कि पिछले तीन महीनों में ज्यादा एक्सपेन्डीचर किस प्रकार से कर पावेंगे ? नोटिफाइड ट्राइब्स का एप्रूव्ड एक्सपेन्डीचर है २ लाख, ४० हजार । पहले ६ महीनों में उसमें २६ हजार खर्च करते हैं और लास्ट थ्री मंथ्स में खर्च करते हैं २ लाख, ११ हजार । हम देखते हैं कि पहले ६ महीनों में कम खर्च होता है और बाद में खर्च काफी ज्यादा बताया जाता है । इसी प्रकार क हाल अन बेलेन्स्ड एक्सपेन्डीचर का है । इससे मालूम होता है कि लास्ट थ्री मंथ्स में वे अनाप-शनाप खर्च करते हैं । मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इसकी तरफ ध्यान दें कि हर क्वार्टर में इस तरह से खर्च किया जाए कि लास्ट में जाकर हाई एक्सपेन्डीचर न करना पड़े जिससे अनाप-शनाप रुपया खर्च न हो । इसके बाद में एक सेक्शन में ये कई बातें लिखी हैं : "Offences committed under untouchability, temple entry, observance of untouchability and work done for removal of untouchability." यह ६ प्रकार के एक सेक्शन में सब-सेक्शन्स हैं । अब इसमें मेरे दिमाग में एक ही प्रश्न आता है कि आज १० वर्षों में सरकार अन-टचेबिलिटी को मिटाने का बराबर प्रयत्न कर रही है और इसके लिये सरकार ने अनटचेबल्स को टेम्पल एन्ट्री के प्रोग्राम बनाये । मेरे ख्याल से इतना होते हुए भी अनटचेबिलिटी का प्रश्न जहां था वहीं पर है । जितनी प्रोग्रेस होनी चाहिये वह नहीं हुई । अगर हम दिखावे के तौर पर कहें कि काफी प्रोग्रेस हुई है तो जरूर कह सकते हैं, लेकिन फन्डामेन्टल कोई चेन्ज नहीं हुआ, ऐसा मैं मानता हूं । मुझे इसके लिये ख्याल आता है कि इसका कारण क्या है । सिर्फ टेम्पल एन्ट्री से या कोई एक्ट बना देने से यह मिट सकता है, यह उचित नहीं है । हम देखते हैं कि जब बुद्धिज्म हमारे यहां आया था तो बहुत से अनटचेबल्स बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गये । बुद्ध धर्म वालों ने उनको अपनाया । जब वे उस धर्म के अनुयायी हो गये तो उनकी जो भिक्षावृत्ति थी वह बन्द हो गई । They have changed their religion so that they could come at par with the religion of other societies.

फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि वे वहीं के वहीं रह जाते हैं । मेरे दिमाग में यह बात आती है कि अनटचेबिलिटी आज से नहीं हजारों वर्षों से चली आ रही है । इसकी उत्पत्ति बहुत पहले की है । जब हिन्दुस्तान में चार वर्णों का विकास हुआ था तब से है । गीता में भी हमने देखा है; गीता के चौथे अध्याय में, १३ वें श्लोक में लिखा है :

"चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ।
तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम् ॥

भगवान कहते हैं कि गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र; ये चारों वर्ण मेरे द्वारा ही बनाये गये हैं । ये किस प्रकार से बने ? उनके अलग अलग काम का बंटवारा किया गया । मेरे कहने का

(श्री पी. के. चौधरी)

मतलब यह है कि कोई हेरिडेटरी ब्राह्मण या शूद्र नहीं होगा। लेकिन जो काम उनको दिया गया उसके अनुसार चार वर्ण बने।

इसके अलावा गीता के १८ वें अध्याय में ४१ वें श्लोक में कहा गया है:

"ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप ।
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ॥"

ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के भी कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के अनुसार विभक्त किये गये हैं। यानी जो स्वभाव से गंदे हैं उनको शूद्र माना गया है। यानी उनकी नेचुरल एबिलिटी है उसके माफिक उनको काम दिया गया है और काम करने से यह चतुर्थ वर्ग बन गये यानी ये वर्ण भेद बन गये। इसलिये नहीं कि उनको मन्दिरों में घुसने नहीं देते थे इसलिये बना। चार वर्ण बने तब शूद्रों को काम बता दिया गया कि उनका काम दूसरों की सेवा करना है। मैं इस बात को मानता हूँ कि यह जो ऑफेन्स एक्ट है या टेम्पल एन्ट्री है उसको रखने से अनटचेबिलिटी सही माने में रिमूव नहीं होती है। वह तभी दूर होगी कि जो काम वे करते हैं उनसे वह काम हटा लिया जावे। मैंने कमिश्नर की रिपोर्ट में भी पढ़ा है। उसमें लिखा है कि ये लोग जो काम करते हैं उस काम में दूसरे लोगों को भी जाकर पड़ना चाहिये और दूसरे लोगों को भी हिस्सा लेना चाहिये। जब हम उनके काम का तरीका बदल देंगे तभी सवर्ण हिन्दू जानेंगे। आज अमेरिका में एक स्वीपर है। आबिद्अली जो सेन्टर के डिप्टी मिनिस्टर हैं उनकी मुझसे बातचीत हुई थी। वे एक फैक्ट्री देखने गये थे। वहां पर वह भी उसके साथ कार में बैठ कर गया। उसके एक पर लगा हुआ था उसके ऑफिस में एक रेडियो लगा हुआ था। उसने कहा कि मेरे घर पर भी रेडियो लगा हुआ है। वे वहां पर अपना काम करते हैं और उनको गंदे नहीं मानते क्योंकि उनका काम करने का तरीका है वह गंदा नहीं है। हम देखते हैं कि हमारे सदन में भी शिड्यूल्ड कास्ट के सदस्य हैं। वे बहुत साफ रहते हैं। अगर उनसे कहें कि आप जाकर नाइट सोइल उठावें तो वे उठाना पसन्द नहीं करेंगे। यदि आप किसी सवर्ण को भी कहेंगे कि जाकर नाइट सोइल का पोट उठावें तो वह भी उसको पसन्द नहीं करेगा। इसलिये मैं यह कहूँगा कि हमको उनके वर्किंग को इम्प्रूव करना है। रिपोर्ट में यह पाया गया कि कन्ज़र्वेन्सी स्टाफ के लिये क्वार्टर म्युनिसिपैलिटीज़ को बना देने चाहिये लेकिन राजस्थान की किसी भी म्युनिसिपैलिटी ने नहीं बनाये और यह कहा कि फाइनेन्स हमारे पास एवेलेबल नहीं है। मैं समझता हूं कि कन्ज़र्वेन्सी स्टाफ के लिये क्वार्टर बनाना बहुत ज्यादा फायदेमन्द होगा। लेकिन राजस्थान की किसी भी म्युनिसिपैलिटी ने इसको नहीं अपनाया। इसके लिये कई कारण बताये हैं कि finances are not available etc.

मैं यह समझता हूं कि पुराने ढंग की टट्टियें हैं उनको रखना ही नहीं चाहिये। मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा कि गुजरात में (अस्पष्ट) ने एक्सपेरिमेंट किया है और कहा है जहां पर गांवों में पानी के फ्लश नहीं हो सकते वहां पर अलग तरह के पाखाने बनाये जावें। उन्होंने भंगये मुक्ति यानि इस काम को ऐसा बनाया है कि कोई भी कर सकता है।

(श्री पी. के. चौधरी)

तो हमको कम से कम उनके काम को बदलना चाहिये और ऐसा करना चाहिये जिससे कोई भी दूसरा कर सके।

मैं यह कहूंगा कि अगर हमें उनको वास्तव में राहत पहुँचानी है तो सबसे पहले भंगी-मुक्ति कराना है। हमें ऐसे पाखाने बनाना है जहां से, चाहे कोई भी नाइट सोइल को हटा सकता है। चाहे वह भंगी हो चाहे ब्राह्मण हो कोई भी वह काम कर सकता है। पहले कोई भी ब्राह्मण जूते वाले के यहां पर काम करना पसन्द नहीं करता था लेकिन आज हम देखते हैं कि बाटा की दूकानों के मैनेजर हैं वे सभी ब्राह्मण मिलेंगे। मेरे ख्याल से कोई चमार नहीं मिलेगा। आपको बनिये या ब्राह्मण ही मिलेंगे। आज वे लोग भी, ब्राह्मण-बनिये भी जूते बेचते हैं। एक जमाना ऐसा था जब कि जूते की दूकान एक शिड्यूल्ड कास्ट का व्यक्ति या मुसलमान कॉम्युनिटी के कुछ लोग ही करना पसन्द करते थे। लेकिन हिन्दू कॉम्युनिटी में ब्राह्मण-बनिये जूते की दूकान नहीं लगाते थे। लेकिन बाटा ने आपके शू मेकिंग का और सैल्स मैन सिप का तरीका ऐसा बदल दिया है कि अच्छे २ लोग एजेन्सी लेने के लिए तड़फते हैं और सिफारिशें लगाते हैं।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व): माननीय सदस्य से जानना चाहूँगा कि मिनिस्टीरियल जोब के लिए और सैल्समेन शिप के लिए कितने ऐसे सवर्ण लोग हैं जो टेनिंग में काम करते हैं और उनके लिए लालायित रहते हैं?

श्री पी० के० चौधरी : यह तो मैं कह रहा हूं कि टेनिंग फैक्टरी का जोब है उसको सुधारना चाहिये। जितना देखा है वह मैंने बताया।

श्री उपाध्यक्ष : ऊपर से नीचे उतरते जावेंगे।

श्री पी० के० चौधरी : टेनिंग में जितनी बदबू आती है, मैं सांइस का स्टुडेन्ट रहा हूं। लेबोरेटरी में, गंदी बास आती है। उसमें बैठ नहीं सकते। उसमें से इतनी बदबू निकलती है लेकिन फिर भी साइन्स से उसको दूर किया जा सकता है। यह बात नहीं है कि लोग नहीं जावेंगे। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। मैं इस टेम्पल एन्ट्री को केवल आई वाश मानता हूं। जब अनटचे-बलिटी और टेम्पल एन्टरी का सबसे पहले गांधीजी ने स्लोगन दिया था तो उस वक्त उसका इम्प्लीकेशन था। डंडी मार्च का इम्प्लीकेशन था। आज कोई डंडी मार्च करे तो कोई कुछ महत्व नहीं देता। टेम्पल एन्टरी को ज्यादा महत्व देते हैं तो वैसी स्थिति है जैसी डंडी मार्च की, कोई आज उसको महत्व नहीं देना चाहता। फोरमैन है, चाय सब स्टाल पर पीते हैं, दूसरे लोग भी पीते हैं, आज कोई उनको ब्राह्मण के घर ले जावे तो वहां भी चाय पानी मिल सकता है, कोई वैसा भेदभाव नहीं माना जाता। इसलिए लिविंग कन्डीशन और कन्डीशन ऑफ वर्क, उसमें जब तक आप इम्प्रूवमेंट नहीं करते, चाहे कितनी ही टेम्पल एन्ट्री कराइये, कितने ही अनटचेबिलिटी एक्ट को ऑफेंसिव बनाइये, जैसा कि माननीय अमृतलालजी ने कहा, कुछ नहीं हो सकता केवल हृदय परिवर्तन चाहते हैं, पसुएशन नहीं चाहते। तब होगा जब उनमें काम करेंगे, लिविंग कन्डीशन को

(श्री पी. के. चौधरी)

सुधारेंगे । हमारा ध्यान उस तरफ केन्द्रित होना चाहिये बनिस्बत दूसरी तरफ । अनटचेबिलिटी को लेकर पर्सुएशन होता है । एक दूसरे की भावना पैदा होती है, कुछ सवर्णों में होती है और हरिजनों पर जिन पर हमला किया जाता है उनमें होती है, एक सेपरेटिस्ट टेन्डेन्सी दोनों में पैदा होती है । अनटचेबिलिटी एक्ट्स ऑफेन्सिज होकर, टेम्पल एन्ट्री होकर, सैपेरेटिस्ट टेन्डेन्सी पैदा करती है बनिस्बत कोई वह कॉन्क्रीट फायदा पहुंचाये । जहां पर कॉन्क्रीट काम कर रहे हैं वहां तो फायदा पहुँचता है ।

उसके बाद आगे वर्किंग कन्डीशन की ग्रान्ट थी उसमें एपेन्डिक्स देखें । बराबर एन्जाई नहीं किया । पेज १२६ पर अपेन्डिक्स १६ है ; ग्रान्ट सेन्क्शन्ड बाई दी सेन्टर एन्ड दी स्टेट्स । ५७–५८ की ग्रान्ट सेन्क्शन हुई ६७,००० व ग्रान्ट युटिलाइज़ किया ४०,०००, ५८–५६ निल । ५७–५८ में जो ग्रान्ट सेन्क्शन हुई ५ प्रतिशत से कम युटिलाइज़ कर पाये । इसके बाद लीगल एड के लिए है । जिसका जिक्र माननीय अमृतलालजी ने भी किया था । फीगर्स लीगल एड में मौजूद हैं, उनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करता चाहता हूँ । जो सैंक्शन्ड अमाउन्ट है प्लान प्रोविजन में वह यह था : शिड्यूल्ड कास्ट के लिए ४० हजार और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए ४५ हजार । एक्सपेन्डीचर ५७–५८ में हुआ, शिड्यूल्ड कास्ट ५ हजार और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कुछ नहीं हुआ। दो–चार केसेज़ मैंने देखे हैं । दर्ख्वास्तें देने के बाद भी लीगल एड नहीं मिलती है। रूल्स डिफरेन्ट हैं, एडवोकेट पसन्द नहीं करते । सीनियर वकील को भी एम्पलॉय नहीं कर सकता । ६० हजार के करीब प्रोविज़न रखा है, उसमें से पांच हजार रुपया शिड्यूल्ड कास्ट को प्राप्त हुआ, शिड्यूल्ड ट्राइब्स को एक पैसा भी नहीं मिला । लीगल एड का इम्प्लीमेंटेशन है वह भी डिफेक्टिव है । उसके बाद इनलैंड एजुकेशनल डेवलपमेंट का है उसमें स्कॉलरशिप का युटिलाइज़ेशन है, उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में शिड्यूल्ड कास्ट की पोपुलेशन है उसमें हिन्दुस्तान के प्रोपोर्शन से राजस्थान में ४.५ शिड्यूल्ड कास्ट में रहते हैं जो सेन्ट्रल स्कॉलरशिप मंजूर होगी वह १.० पर्सेन्ट है । राजस्थान शिड्यूल्ड कास्ट पोपुलेशन के बेसिस से, प्रोपोर्शन टू ऑल इन्डिया बेसिस जो मिलना चाहिये वह ? पर्सेन्ट होगा । गलती किसकी है ? या तो स्टेट गवर्नमेंट ने ज्यादा ध्यान न दिया हो कि ज्यादा स्कॉलरशिप को युटिलाइज किया जाय और ज्यादा प्रार्थना–पत्र मांगे जांय । शिड्यूल्ड कास्ट की यहां टोटल पोपुलेशन है ७.८८ पर्सेन्ट । लगभग ८ पर्सेन्ट राजस्थान में रहते हैं । स्कोलरशिप होगी ३ पर्सेन्ट । ५० स्कोलरशिप्स युटिलाइज़ हुई । यह स्टेट गवर्नमेंट की कमजोरी है । सिर्फ हम यह कह दें कि दर्ख्वास्तें बराबर नहीं आ रही थीं, यह भी बात मानने जैसी नहीं है । दर्ख्वास्तें बराबर नहीं आई तो उसकी व्यवस्था करना चाहिये थी. और तरीका करना चाहिये ! दरख्वास्तें नहीं आती हैं तो दूसरा तरीका अपनाना चाहिये जिससे कि दर्ख्वास्तें आ जायं । स्वत: न भेजें तो एजेन्सी रख कर, बुला कर दरख्वास्तें ले सकें । मैं चाहूंगा कि कम से कम आइन्दा साल में पोपुलेशन बेसिस पर स्कॉलरशिप का हो ।

(श्री पी. के. चौधरी)

फर्स्ट मैट्रिकुलेशन स्कोलरशिप ऑल इन्डिया स्कोलरशिप भी मिल जाय । यह कोशिश करनी चाहिये । मैं आपका ध्यान उस पेज पर चार्ट है उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं । उस चार्ट को देखने से मालूम होता है, शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स एन्ड अदर बैकवर्ड क्लासेज़ का चार्ज लीजिये ।

तो इसमें जो स्कॉलरशिप्स के लिये लिखा गया है उसमें अन्डर ग्रेजुएट्स के लिये सबसे ज्यादा स्कोलरशिप मिली है और प्रोफेशनल एजुकेशन के लिये कम से कम लोगों को स्कोलरशिप मिली है । मैं इस तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भले ही अन्डर ग्रेजुएट को कम स्कोलरशिप दें, लेकिन प्रोफेशनल एजुकेशन के लिये आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोलरशिप देनी चाहिये । इस चार्ट को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का जो रेश्यो है उसमें अन्डर ग्रेजुएट का जो रेश्यो है उसमें शिड्यूल्ड कास्ट का कम है । प्रोफेश्नल एजुकेशन के लिये शिड्यूल्ड कास्ट के लोग कम जाते हैं । बैकवर्ड क्लास के लोग प्रोफेश्नल एजुकेशन में ज्यादा जाते हैं । मैं चाहता हूं कि कम से कम स्कोलर-शिप्स का डिस्ट्रिब्यूशन इस प्रकार का हो जिससे शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के लोग प्रोफेशनल स्कोलरशिप्स को ज्यादा युटिलाइज़ करें । इसके लिये कुछ तरीका गवर्नमेंट को अपनाना चाहिये । इससे उनको ज्यादा फायदा पहुंच सकता है । अन्डर ग्रेजुएट होने पर इकॉनोमिक हालत तो सुधर नहीं सकती इसलिये इनका प्रोफेशनल लाइन पर जाने से इनकी आर्थिक हालत सुधर सकती है । बी० ए० पास होने पर कोई क्लेरिकल जोब मिल सकती है, इन्टर पास होने पर कोई क्लेरिकल जोब मिल सकती है लेकिन प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्राप्त करने पर ज्यादा तरक्की करने की गुंजाइश रहेगी। प्रोफेशनल एजुकेशन का स्कोलरशिप का कंटम कम होने से, उसका अलॉटमेंट कम होने से कम मिली है । यह सरकार जांच करके देख ले । अगर उसके लिये ज्यादा दख्वास्त नहीं मिलती हैं तो उसके लिये कोशिश की जानी चाहिये और इसके साथ साथ प्रोफेशनल एजुकेशन के लिये जो अलॉटमेंट कम है उसमें भी बढ़ोत्तरी करनी चाहिये ।

इसके बाद इकॉनोमिक डेवलपमेंट का सवाल है । इसके सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं कि इसके लिये फोरेस्ट, लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होनी चाहिये । खास तौर से ट्राइब्ज़ के लिये, जो ज्यादातर उदय-पुर डिवीजन में हैं और फोरेस्ट वेल्थ भी इस डिवीजन में ज्यादा है, उसके लिये इन्हीं लोगों की सोसाइटी होनी चाहिये । मैंने बम्बई में देखा है, ऐसी संस्था देखी है, लालकान्त और श्रीकान्त सोसाइटी को देखा है । वहां वे लाखों रुपयों का बिज़नेस करते हैं । राजस्थान में इस प्रकार की चार सोसाइटीज़ हैं, यह कहा जाता है । उसमें यह नहीं बताया कि ये सारी सोसाइटीज़ शिड्यूल्ड ट्राइब्ज की हैं । फोरेस्ट लेबर सोसाइटीज़ जो बता रखी हैं वे दो हैं । यह रिपोर्ट से जाहिर नहीं होता है कि ये सोसाइटी शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ की हैं । शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के लिये लिख दिया है कि फीगर्स नोट अवेलेबल । कम से कम जो आदिवासी

(श्री पी. के. चौधरी)

लोग हैं उनकी एक भी फोरेस्ट कोआॅपरेटिव सोसाइटी नहीं है । जो आदिवासी लोग जंगलों में रहते हैं उनकी आर्थिक हालत को सुधारने के लिये फोरेस्ट कोआॅपरेटिव सोसाइटी इनकी होनी चाहिये । क्योंकि इनको यदि जंगलों का ठेका दिया गया तो जो फोरेस्ट कूप्स हैं उनका जो गैर कानूनी फायदा आज तक ठेकेदार उठाते आये हैं वे इस तरह का फायदा नहीं उठायेंगे । आदिवासियों की सोसाइटी को रूप दिया गया तो रूल्स-रेगुलेशन के मुवाफिक उसका मेंटीनेन्स करेंगे, ट्री-फेलिंग आदि कानून के माफिक करेंगे ।

जहां तक इनके इकोनोमिक डेवलपमेंट का सवाल है मैं चाहता हूं कि इस साल या अगले साल कम से कम ट्राइबल एरिया है वहां पर आदिवासी लोगों की संख्या है उनकी फोरेस्ट लेबर कोआॅपरेटिव सोसाइटी बना दी जाय । सिरोही के माननीय सदस्य ने वहां के आदिवासियों के टेक्निकल एड के लिये कहा । मेरा उसके लिये निवेदन है कि गवर्नमेंट को एक सेक्रेटरी अपने खर्चे से मुकर्रर कर देना चाहिये ।

मेडिकल और हैल्थ का जहां तक शिड्यूल्ड कास्ट का सवाल है वे चिकित्सा सहायता अन्य लोगों की तरह प्राप्त कर सकते हैं लेकिन शिडयुल्ड ट्राइब्ज के लिये स्पेशल व्यवस्था होनी चाहिये । हैल्थ मिनिस्टरों की जब १९५८ में कॉन्फ्रेन्स हुई थी उसमें इसका जिक्र किया गया था । उस समय कहा था कि इस योजना काल में तो यह हो नही सकता, लेकिन थर्ड प्लान के पहले वर्ष में कम से कम जहां तक इनके हैल्थ की प्रोब्लम है इस बात की सर्वे हो जाय कि उनको हैल्थ की नीड्स क्या हैं ताकि हम उसके माफिक व्यवस्था कर सकें ।

हाउसिंग का जहां तक सवाल है इसके लिये तो मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि स्केवेन्जर स्टाफ के लिये कम से कम क्वार्टर तो नेक्स्ट प्लान तक हो जाने चाहिये । स्केवेन्जर स्टाफ के लिये गवर्नमेंट क्वार्टर की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

ट्राइबल एडवाइज़री कौन्सिल राजस्थान में है । जहां तक उसकी मीटिंग का सवाल है सन् ५६ में एक मीटिंग हुई, ५७ में कोई नहीं, ५८ में एक । ट्राइब्ज़ एडवाइज़री कौन्सिल जिसकी सलाह से सरकार इनकी सुख सुविधा के लिये काम करना चाहती है, लेकिन जिसकी मीटिंग साल में एक भी न हो, समझ में नहीं आता कि यह कौन्सिल यूज़फुल पर्पज़ क्या सर्व करती है । मैं समझता हूं कि जो ट्राइब्ज़ एडवाइज़री कौन्सिल है उसकी मीटिंग कम से कम साल में चार दफा तो होनी चाहिये । यह तो अफसोस की बात है कि ५७ में एक भी मीटिंग नहीं हुई । ५९ में कोई मीटिंग हुई भी या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता ।

अब मैं माननीय गवर्नर की रिपोर्ट की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह इस रिपोर्ट के पेज १७४ पर है । उसको देखने से यह पता चलता है कि शिड्यूल्ड एरिया के लिये कॉन्स्टीट्यूशन में प्रावधान है, उसके अनुसार गवर्नर अपनी रिपोर्ट उस एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में प्रेसीडेन्ट को भेजता है, यह रिपोर्ट पेज १७४ पर दी हुई है । रिपोर्ट में जो स्टेटमेंट

(श्री पी. के. चौधरी)

दिया गया है उसके अन्दर एजुकेशन, बॉयज़ और गर्ल्स एजुकेशन के लिये क्या क्या किया गया है, उसमें उन्होंने डिस्सेटिस-फेक्शन जाहिर किया गया है। एजुकेशन होस्टल्स में लड़के लड़कियों की तादाद में किसी प्रकार की प्रोग्रेस नहीं हुई है। एग्रीकल्चर लैन्ड सैटलमेंट में भी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है, मेडिकल और पब्लिक हैल्थ में भी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। सन् ५८–५६ की रिपोर्ट के पेज १७४ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एडमिनिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में जाहिर होता है कि प्रोग्रेस कुछ नहीं हुई, लगभग स्टेग्नेन्ट कन्डीशन है, कोई तरक्की नहीं हुई है। जो ५८ की रिपोर्ट पेश हो जाती तो उसमें जिक्र होता, पर इसमें जिक्र नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ५६–५७ की ही रिपोर्ट पेश हुई है, तो इसमें भी तरक्की का जिक्र नहीं है।

जहां तक रिक्रूटमेंट का सवाल है इसमें पेज २०२ पर इसका जिक्र है। रिक्रूटमेंट में उपाध्यक्ष महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब का एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेन्ज में रजिस्ट्रेशन तो बढ़ता जा रहा है, पर प्लेसमेन्ट होरीजेन्टल लाइन पर ही चल रहा है। जो रेश्यो इसका ५२ में था उससे आगे तरक्की नहीं कर रहा है। रजिस्ट्रेशन हर साल लीप्स और बाउन्ड्स से बढ़ता जा रहा है, पर प्लेसमेंट उस प्रकार से नहीं बढ़ रहा है। यह आप लिस्ट देखेंगे तो मालूम हो जावेगा। रजिस्ट्रेशन पर पेन्डीकुलर है और अपॉइन्टमेन्ट होरीजेन्टल चल रहा है। इस तरफ ध्यान देना चाहिये कि आया इसका कारण क्या है? ५२ से ५७ में पोज़ीशन गिर गई है। ५२ में पचास हजार आदमी सारे हिन्दुस्तान में थे नौकरी पर, अब ५८ में जाकर ३५॥ हजार रह गये। यह कमी हो गई। इसी प्रकार शिड्युल्ड ट्राइब्ज़ ५२ में ६॥ हजार नौकरी में थे और ५८ में जाकर छः हजार से कम हो गये, जब कि इसके विपरीत ५२ में एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेन्ज में रजिस्ट्रेशन १५ हजार था और प्लेसमेंट हो गया पांच हजार और ५८ में रजिस्ट्रेशन २६१ हजार हो गया और प्लेसमेंट हुआ ३॥ हजार ही। तो यह प्रोपोर्शनेट कम हो रहा है। जहां रजिस्ट्रेशन पर्पेंडीकुलर से है वहां अपॉइन्टमेंट होरीजेन्टल चल रहा है। यह पर्सेन्टेज कम क्यों हुआ या होता जा रहा है? बाकायदा प्रोसेस में जाना चाहिये और मैं चाहूंगा कि स्टेट गवर्नमेंट इसके अन्दर जावेगी।

और जैसे एक सदस्य ने कहा कि क्लास फोर में तो १२॥ से १५ पर्सेन्ट कर दिया, पर हायर पोस्टों और गजटेड पोस्टों में तो शायद एकाध भी नहीं होगा। सोश्यल वेलफेयर में भी प्रोपोर्शन से अपॉइन्टमेंट नहीं मिला है। यह जरूर कहता हूं कि जो कोई आदमी जिस काम के लिये बिल्कुल काबिल है, यह नहीं कहूंगा कि टेक्निकल पोस्ट है और शिड्युल्ड कास्ट का आदमी क्वालिफाइड नहीं है तो लेने की बात नहीं कहूंगा, इन्जीनियर की जरूरत है उसके लिये तो इसके लिये नहीं कहूँगा कि आप उसे इन्जीनियर की जगह पर ले लें; पर जहां सिमिलर क्वालिफिकेशन का आदमी है उसको वह पोस्ट रिज़र्वेशन की हैसियत से मिलनी चाहिये और इस सम्बन्ध में कमीशन ने भी सिफारिशें की है कि स्टेट को एक ऐसी मशीनरी सैट–अप करनी चाहिये जो जांच करे कि

(श्री पी. के. चौधरी)

आया उनको जो पर्सेन्टेज से अपॉइन्टमेंट का मिलना चाहिये वह बराबर मिल रहा है या नहीं, और नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है। इसकी व्यवस्था और देखभाल करने के लिये एक हाई पॉवर कमेटी स्पेशल मशीनरी सैट–अप करने की कमीशन ने सिफारिश की है। वह यहां भी की जानी चाहिये। यू० पी० ने ऐसा किया है। उनका सुझाव है कि इसमें दिलचस्पी रखने वाले एम० एल० ए०, एम० पी० जो हों वे ऐसी हाई पॉवर कमेटी में हों और हर साल इस बात को स्क्रुटिनाइज़ करते रहें, एनेलाइज़ करते रहें कि प्लेसमेंट हिसाब से इनको मिला है या नहीं मिला है; इसकी जांच करते रहें।

श्री उपाध्यक्ष : हम इस प्रश्न पर विचार चार बजे समाप्त कर रहे हैं।

श्री पी० के० चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खत्म कर रहा हूं। खत्म करने से पहले इस कमीशन की रिपोर्ट के जो शब्द हैं वे कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। रिपोर्ट में कहा है, उसको मैं दोहराना चाहता हूं क्योंकि मैं उसको बड़ा उपयोगी समझता हूं :

"Affter all that is said and done, let us admit that much has to be done still and a long way has to be covered. One should not feel self-complacent or have smug self satisfaction about the small achievements made so far."

With these words, Sir, I conclude my speech.

श्री मोगजी भाई (बांसवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में आदिवासी हरिजन कमीशन की रिपोर्ट पर जो बहस चल रही है मैं भी उसी सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। इस पर काफी माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला है। इस रिपोर्ट में इनकी प्रगति के साथ साथ यह नहीं कहा गया है कि इनको ऊंचा उठाने के लिए सरकार ने बहुत कम ध्यान दिया है। इसका उल्लेख नहीं है।

प्रगति का सवाल है शिक्षा से, सामाजिक उन्नति से और आर्थिक उन्नति से। दूसरा एक छुआछूत भी है जो देश के समाज में, जाति–जाति में ऊंच नीच का फर्क पैदा करके आपस में फूट डालने का, बैर विरोध करने की मंशा से पैदा किया गया है। उसको मिटाने के लिए भी एक सवाल हमारी सरकार के सामने है।

लेकिन मैं तो समझता हूं कि सरकार ने इन आदिवासी हरिजनों या पिछड़े वर्ग के उद्धार के लिए जो कदम उठाये हैं आज तक उनका उद्देश्य तो उनको बाकी के दूसरे समाज के बराबर लाने का है; पर इसके लिए सरकार ने जो विभाग खोले हैं उन विभागों ने किस प्रकार से आज तक काम किया; इसको अगर देखें तो राजस्थान में आदिवासी और हरिजनों की हालत जो पहले दीखती थी वैसी की वैसी आज भी है। इसका कारण हमारी समझ में नहीं आया कि सरकार ने जो करोड़ों रुपया उनके नाम से खर्च किया या करती है उसका लाभ उनको क्यों नहीं मिलता ? इसका कारण क्या है ?

सरकार ने इसके लिये बीच में जिलेवाइज़ एडवाइज़री कमेटी बनाई थी जिसके एम.-

(श्री मोगजी भाई)

एल. ए., एम. पी. उन क्षेत्रों के समाज के सेवक सदस्य बनाये गये पर उनकी किसी प्रकार की आज तक कोई भी मीटिंग नहीं की व न सुझाव लिये गये। डिपार्टमेंट ने हमेशा इस प्रकार की कोशिश की है। इस प्रकार के अधिकारियों ने और मंत्रि मण्डल ने साधन बना लिया इसको कि जब चाहे तब उसका इस प्रकार से उपयोग किया जाय कि चुनाव में उनको फायदा मिले। उन्हें किसी प्रकार से फुसलाकर, लोभ-लालच देकर, प्रलोभन देकर वोट ले लें और अपनी मिनिस्टरी बन जावे और इसी प्रकार से एम. एल. ए. और दूसरे लोग आ जावें। पर उनकी उन्नति की ओर ध्यान नहीं दिया। मैं तो यह कहूं कि अगर सरकार उनके उन्नति के ध्येय को मानती है और हम उस उद्देश्य पर जावें कि देश में जो समाज है, हमारा हिन्दू समाज है उसमें अलग अलग तरह के वर्ग रहते हैं उन सबको एक रूप से सरकार देखे, ऊंच-नीच के नाम पर, वर्ग विशेष के नाम पर अलग अलग अधिकार बना कर सहायता देकर किसी को उठाना चाहे तो इस प्रकार की कानून बनाने को जरूरत नहीं है। पर सरकार जब यह समझती है कि यह ज्यादा पिछड़ा वर्ग है तो उसके लिए इस प्रकार की अलग व्यवस्था ठीक है। पर यह व्यवस्था जो है, आज ठीक नहीं है। जिनको खेती के लिये आवश्यक जमीन चाहिये उनको नहीं देते, जिनको धन्धों के लिए मदद करनी चाहिये उनको मदद नहीं करते। जिनमें शिक्षा का कोई साधन नहीं है सरकार वहां इस प्रकार के साधन दे फीस न ले; अस्पताल खोल कर, सहायता देकर आगे बढ़ाने की व्यवस्था करे। पर वहां पर सरकार ने जितना करना चाहिये था कुछ नहीं किया है। मैं तो इसके लिए उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर इलाकों में जो आदिवासी पहाड़ में खेती करते हैं उनमें बहुत सों के पास इस प्रकार की जमीन दो बीघा, तीन बीघा से ज्यादा नहीं है अपने परिवार के भरण-पोषण का पूरा साधन नहीं है और जंगलों में फल-फूल खाकर अपना भरण-पोषण करते हैं या दूसरा धन्धा करके। पर वहां ऐसा कोई साधन नहीं जो सरकार उनको दे रही हो। शिक्षा का प्रश्न तो दूर रहा, पर पहले पेट पालने का आज जो साधन उनको चाहिये ऐसा उनके पास कोई साधन नहीं।

तो उनके पास सिर्फ खेती का ही धंधा है और वे खेती पर ही निर्भर करते हैं। इसके अलावा दूसरे उद्योग-धंधों में ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन मिलना चाहिये। शिक्षा के बारे में सरकार ने वहां जो कोशिश की हैं और उससे जो फायदा वहां के लोगों को होना चाहिये था वह नहीं हुआ है क्योंकि उस एरिया में मैं १० वर्ष से देखता हूं कि वहां एक ईसाई मिशनरी के द्वारा गांवों में किस प्रकार से लोगों को प्रलोभन देकर बालक और बालिकाओं को पढ़ाते हैं और उनको शिक्षा देते हैं। इस प्रकार से वे अपने धर्म का प्रचार करते हैं और लोगों को ईसाई बना लेते हैं। उन्होंने गांव गांव में गिर्जे बनाये हैं और हर एक गांव में स्कूल खोले हैं। उन गांवों में मैं देखता हूं कि जहां ईसाइयों ने अड्डे जमा रखे हैं वहां समाज कल्याण विभाग की ओर से कोई स्कूल नहीं है। बांसवाड़ा में जिन जिन गांवों में इस प्रकार की ईसाई मिशनरी ने अपना प्रभाव जमा कर स्कूल खोले हैं वहां

(श्री मोगजी भाई)

सरकारी तौर से कोई स्कूल नहीं हैं और न ही समाज कल्याण विभाग ने उनकी ओर ध्यान दिया है। असल में जो धंधा है,सुथारी का काम है या जंगल की कोई सोसाइटी बना कर लोगों को धंधा दिया जाये तो वहां लोगों को धंधा देने के बजाय दो सोसाइटीज़ बनाई थी; लेकिन लोग उन्हें खत्म करने की ही कोशिश में रहते हैं। इसलिए अच्छे आदमियों को मदद देकर उद्योग-धन्धे बढ़ाये जायें और प्रोत्साहन दिया जाये। इसमें सरकार की नीति बहुत ही अवैधानिक रही है।

दूसरे, वहां की जो पोज़ीशन है उसमें समाज व्यवस्था ऐसी है कि अपनी अपनी जातियों के अन्दर एक शादी–व्यवहार और दूसरे रीति-रिवाज के बारे में कानून बनाना चाहिये। वहां के लोग कर्ज में फंसे हुए हैं और सेठ–साहूकारों के जन्म भर तक कर्जदार बने रहते हैं। इनके लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार राज्यपाल महोदय को है। राज्यपाल महोदय एक ऐसा कानून बनायें कि जिससे लोगों को राहत दी जा सके। ऐसा कानून हमारी राजस्थान सरकार ने नहीं बनाया जिससे वहां के लोग अभी तक अपने रस्म रिवाजों में पिछड़े हुए हैं। उनके जो कर्ज के मामले में झगड़े हुए हैं उनसे छुटकारा पाने के लिये गवर्नमेंट की तरफ से एक विशेष कानून बना कर राहत मिलती तो ज्यादा अच्छा रहता। इससे लोग आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन एक तरफ तो एक विभाग उनका हाथ पकड़ कर ऊंचा उठा रहा है और दूसरे विभाग के द्वारा उनको कुचला जा रहा है, उनको लूटा जा रहा है और जो लूटनेवालों की आदत हजारों वर्ष से पड़ी हुई है वह नहीं छुटाई जाती है। वहां पर सरकार का इस तरह का कानून है कि कर्ज से जो लोग दबे हुए हैं उनकी जमीन को कोई भी नहीं ले सकता। पर बहुत से लोगों ने अपनी जमीन गिरवी रख दी। वहां पर सरकार ने कानून बनाया कि आदिवासियों की जमीन कोई दूसरा नहीं ले सकता, लेकिन मैंने बांसवाड़ा में देखा है कि दूसरे लोगों ने लालच देकर उनसे जमीन खरीद ली है और लोगों को भूमिहीन कर दिया है। तो दिन ब दिन जो इस प्रकार की कठिनाइयां बढ़ रही हैं। चित्तोड़ जिले में प्रतापगढ़ और दरियावर तहसील में समाज कल्याण विभाग से कोई फायदा नहीं हुआ है। वहां के लोगों में पुलिस का आतंक फैला हुआ है। अगर आप वहां के लोगों को कानूनी राहत देना चाहते हैं उनको ऊंचा उठाने के लिए तो आपको यह काम जल्दी करना चाहिए। उनको कानूनी राहत देना बहुत जरूरी है। तो मेरा तो इसके लिए सुझाव यह है कि सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करे कि सरकार की ओर से रस्म–रिवाज को खत्म करने के लिए शादी–विवाह का कानून बनाया जाये जिससे कि वे आगे बढ़ सकें।

दूसरे, मैं वहां के उद्योग–धन्धों के लिए कहना चाहता हूं कि सिर्फ खेती ही वहां पर लोग करते हैं। जंगलों के ठेके देकर सरकार दूसरे लोगों को ही फायदा देती है। यदि वह फायदा वहां के आदिवासियों को मिले तो उससे उन लोगों की हालत सुधरेगी। साथ ही उनको जमीन दी जाये और जमीन के साथ ही साथ उनको ऐसे साधन भी दें और उनके लिए विशेष कोशिश की जाये। मगर मैं देखता हूं कि सरकार विदेशों से सहायता लेती है और लोगों को ऊंचा उठाने का जो

(श्री मोगजी भाई)

प्रयत्न कर रही है वह काफी नहीं है। जो हरिजन हैं और जिनके पास १५ बीघा जमीन है उनसे लगान नहीं लिया जाये, इस प्रकार की सहूलियत उनको दी जाये और उनसे कोर्ट फीस भी नहीं ली जाये। ऐसे प्रावधान रख कर सरकार उन आदिवासियों को राहत दे सकती है। इसके लिए कानून में ही ऐसा प्रावधान किया जाये जिससे उनको बहुत राहत मिल सकती है। साथ ही मैं आपको बताऊं कि हरिजन लोग एक तीर्थ स्थान पर गए, जहां नाला बहता है और पानी है। वहां पर सवर्णों ने मारपीट की....

श्री उपाध्यक्ष : कुछ उदाहरण दीजिए।

श्री मोगजी भाई : पुलिस से मांग की थी कि वहां व्यवस्था करें लेकिन उन लोगों को मारा गया, पीटा गया और सुनवाई नहीं की। अगर दूसरा विभाग उनकी सुनवाई नहीं करता है तो उसकी तरफ गौर करना चाहिए। उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाये, यह भी मेरा एक सुझाव है।

श्री गोरधनसिंह केन (बयाना–सु०) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के अन्दर रिपोर्ट फोर शिड्युल्ड कास्ट एन्ड शिड्युल्ड ट्राइब्स पर विचार...

श्री उपाध्यक्ष : आज चार बजे वाद-विवाद को समाप्त करेंगे।

श्री गोरधनसिंह केन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम उन मानवों की चर्चा कर रहे हैं जो कि पहाड़ के अन्दर, गड्ढे के अन्दर, झोंपडियों के अन्दर रहते हैं। उन मानवों की दशा आज हम देखें कि क्या दशा वे उनकी और उनके ऊपर हमारी सरकार ने तथा भारत सरकार ने एक विभाग नियुक्त किया है और उस विभाग का नाम समाज कल्याण विभाग है; लेकिन जब हम देखते हैं कि उनकी दशा आज किस तरह की है, ये लोग अपने तन को किस तरह से ढकते हैं और किस तरह अपनी उदर-पूर्ति करते हैं। इसके ऊपर हमारी सरकार को जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान नहीं दिया है। सरकार का जो ध्यान है वह एक प्रकार के ऊपर ध्यान है, बोर्ड लगा दिए गए हैं, अखबारों में छपवा दिया गया है, पैम्फलेट बंटवा दिए गए हैं, लेकिन आज तक कभी इस बात की जांच नहीं की गई है कि उनकी उदरपूर्ति किस प्रकार होती है, उनके पास उद्योग-धन्धे किस प्रकार के हैं, किस प्रकार का उनका धन्धा है जिससे वे जीविकोपार्जन कर सकें और अपनी उदर पूर्ति कर सकें। इसीलिए मैं यह कहूंगा कि समाज कल्याण विभाग के ऊपर इसको देखने की जिम्मेदारी है। जो नौकरियों का सवाल है मैं अर्ज करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि नौकरी किस प्रकार दी जाती है और किस तरह शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ बर्ताव किया जाता है। जो आंकड़े आप देखेंगे कि १७,२११ में से सिर्फ ४८२ आदमियों को नौकरी दी जाती है जब कि हमारे कम से कम दो हजार आदमी उसमें आने चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि १७हज़ार के करीब स्थानों में से चार सौ, साढ़े चार सौ आदमियों को नौकरी दी गई है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे वेलफेयर का कार्य किया जा रहा है। हम तो यह

(श्री गोरधनसिंह केन)

मानते हैं कि हमारे साथ जो दुर्व्यवहार होता है वह जान-बूझ कर किया जाता है। जब कि सरकार के इस प्रकार के आदेश कर दिए हैं कि साढ़े बारह प्रतिशत और पन्द्रह प्रतिशत लोग लिए जायं, उनकी जगह सिर्फ आधा आदमी लिया जाता है या एक आदमी लिया जाता है...

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : आधा किस प्रकार लिया जाता है ?

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : अभी तक तो ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि आधा आदमी लिया गया हो।

श्री गोरधनसिंह केन : मेरा मतलब पर्सेन्टेज़ से है। ७ के करीब आता है इसलिए मैंने कहा कि आधे आदमी लिए जाते हैं। वास्तव में जहां तक हृदय परिवर्तन का सवाल होता है....

डॉ० बहादुरसिंह : यह गलत बात है....

श्री उपाध्यक्ष : Will not interrupt please.

श्री गोरधनसिंह केन : इस तरह हमारे हृदय परिवर्तन का सवाल पैदा नहीं होता। जब सरकार उसके पीछे प्रतिबन्ध लगाए, जैसे मंदिर प्रवेश के लिए प्रतिबन्ध लगाया गया है, नाइयों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है कि यदि तुम हजामत नहीं बनाओगे तो तुम्हें सजा दी जायेगी, इसी तरह से समाज के अन्दर जो योग्य संस्था हो उनके अन्दर इस प्रकार प्रतिबन्ध लगाकर उन्हें आगाह किया जाय कि तुम्हें ऐसा करना है, उसके बिना हमारा अपना हृदय परिवर्तन किस प्रकार कर सकते हैं। यह चीज़ है, जिस पर उनको अपने दिलों में विचार करना चाहिए। तो यह समाज कितना भिन्न है। एक तरफ कहते हैं सेवा करने वाले हैं वे साफ रहते हैं और आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं तो उनको पीछे धकेला जाता है। श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं भरतपुर स्टेट का प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं। वहां पर जो नौकरी दी गई है उनका विवरण आप देखेंगे और वहां के जो असिस्टेंट डाइरेक्टर हैं उन्होंने अपने परिवार वालों और रिश्तेदारों को ही भरा है। अछूतों के लिए सिवाय फोर्थ क्लास के और कोई व्यवस्था नहीं है। वे पार्टी के दल-दल में फंसे हुए हैं और कल्याण के कोई कार्य नहीं हो रहे हैं। आज तक वे किसी गांव में गए नहीं है, भरतपुर स्टेट ऐसी है जिसमें अछूतों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हुए हैं, उन गांवों में वे कभी गए नहीं हैं, कभी देख-भाल नहीं की है। इस सम्बन्ध में काफी शिकायतें समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में दी हैं, कई दर्ख्वास्तें दी गई, लेकिन उससे किसी प्रकार का संतोष मिलना जाहिर नहीं होता। इस तरह की वहां की स्थिति है। राजस्थान के अछूतों की स्थिति लें तो वह शोचनीय हो सकती है। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि हाउसिंग के बारे में, घरों के लिए बताया गया है, उनके लिए जो सहायता दी जाती है तो उसके बारे में निवेदन है कि उन्हें फ्री जमीन दी जाय। मैं भरतपुर के बारे में बताऊं, भरतपुर म्युनिसिपैलिटी के बारे में कि वहां जो

(श्री गोरधनसिंह केन)

नजूल की ज़मीन है पहले स्टेट के समय में वहां नजूल का महकमा था वह महकमा म्युनिसिपैलिटी के अन्दर चला गया है। कोई भी हरिजन अपने मकान बनाना चाहे तो उससे कहा जाता है कि पहले जमीन को खरीदो, इसके पहले मकान नहीं बना सकते। आज सैकड़ों ऐसे केसेज़ पड़े हुए हैं जिनको नोटिस दिए गए हैं कि पहले जमीन को खरीदो, उसके बाद मकान बना सकते हो। इसी तरह से आप देखें कि मोहल्लों की क्या हालत है, क्या दशा है; तो ये चीजें हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय जिनके बारे में मैं राजस्थान सरकारका ध्यान और हमारे समाज कल्याण विभाग का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। जो धन म्युनिसिपैलिटीज़ को देते हैं उसका उपयोग होता है या नहीं; इसको देखने वाला नहीं है। इस तरह की वहां की जो दशा है वह शोचनीय है।

अब जो उद्योग-धन्धों का सवाल है, बड़ी खुशी की बात है कि समाज कल्याण विभाग जो है वह हमारे जो उद्योग मन्त्री हैं, वे ही इस विभाग के भी मंत्री हैं। मैं तो मानता हूं और मंत्री महोदय से भी प्रार्थना करूंगा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अन्दर दो-चार सोसाइटीज़ बना कर उद्योग धन्धे खोल दें हरिजनों और आदिवासियों के लिए, जिससे कि वे उन्नति कर सकें और इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हमारे इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर और समाज कल्याण मंत्री एक ही हैं। जो आज तक कभी नहीं हुआ तो इससे फायदा उठा सकते है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे समस्या हल हो सकती है। मैं माननीय मंत्री जी से यह आश्वासन चाहूंगा कि अपने जवाब में वे ऐसी घोषणा करेंगे कि इस तरह की स्थिति कायम करने को तैयार हैं।

इसके अलावा जो मुकदमेबाजी का प्रश्न है, उनको लीगल एड दी जाती है। वैसे पहले काफी रकम रखी थी लेकिन इस ५८-५६ में सिर्फ चार हजार रुपया रखा है जो कि राजस्थान भर के लिए पर्याप्त नहीं है। अधिकतर मुकदमे सक्सेसफुल नहीं होते, उसका कारण है कि न्याय अदालतें एक-एक दो-दो, तीन-तीन साल तक ले जाते हैं फैसला करनेमें और इससे वे लोग परेशान हो जाते हैं। एक गरीब आदिवासी का मुकदमा है, तो हर सातवें-आठवें दिन या महीने, दो महीने में उसको अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं जिससे वह परेशान हो जाता है और उसको हार कर राजीनामा करना होता है, उनके गवाह बिगड़ जाते हैं। तो फिर वे कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं? इसलिए मेरा ख्याल है कि कम से कम छः महीने में निर्णय कर दें ऐसा आदेश अदालतों को दिया जाय कि हरिजनों के केस, अनटचेबल्स के जो केस हों वे कम से कम छः महीने के अन्दर समाप्त कर दिए जायं, तभी इन गरीबों को सस्ता नियम मिल सकता है।

आवास के सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन और करना है कि अभी जैसा कहा गया था कि जो आदमी बसे हुए हैं उनको वहां से नहीं हटाया जाय। मैं आपके समक्ष बापू बाजार की बात रखना चाहता हूं, वहां पर एक दो खटीकों के मकान हैं, लेकिन म्युनिसिपैलिटी जो है उनको हटाना चाहती है। तो इस तरह से कहीं भी कोई आदमी अच्छी जगह पर बसा हुआ है, उसके पास झोंपड़ी

(श्री गोरधनसिंह केन)

है, हमारे समाज कल्याण विभाग का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि इस तरह की स्थिति पैदा हो जाय तो वह उसे रोकें। जिन लोगों के पहले से ही मकान थे और आज वे अच्छी जगह बन गई हैं, तो आज उन्हें जबरन वहां से हटाया जाता है और उनको वहां से हटा कर दूसरी जगह ले जाना हमारे साथ न्याय नहीं हो सकता है।

(४ म० प०)

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

कई माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! समय निश्चित हो चुका है कि चार बजे मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

एक माननीय सदस्य : बड़े अफसोस के बाद २ दिन का समय मिला....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़ !!

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष, कम से कम........

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! मैं आपको स्थिति बतला देता हूं। यह आसन समय को आगे बढ़ाने की स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में निरर्थक होगा इस आसन से निवेदन करना। समय निश्चित हो चुका है। पूर्व निश्चयानुसार ४ बजे मंत्री महोदय उत्तर देंगे। मैं इस समय में परिवर्तन नहीं कर सकता हूं।

श्री हीराभाई : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हाउस जो है वह कुछ मिनिट्स और बढ़ा दे........

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़ !! बस, मंत्री महोदय।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (समाज कल्याण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, सन् १६५७-५८ और १६५८-५६ की कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर इस सदन में दो रोज से विचार हो रहा है। माननीय सदस्यों ने भिन्न विचार अपने जो प्रकट किये हैं और जो सुझाव दिये हैं कि किस प्रकार से हम हमारे इस कार्यक्रम में जो कि आज पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए राजस्थान में कर रहे हैं उसमें सुधार करें, उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ।

मैं, जैसा कि यह है, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि १६५७-५८ और १६५८-५६ के बाद में ५६-६० का साल गया और ६०-६१ का साल यह जा रहा है। चुनांचे करीब करीब एक साल बाद या पौने दो साल बाद यह रिपोर्ट हमारे पास में प्रस्तुत हुई है। उसमें उस वक्त का जिक्र है जिस वक्त राजस्थान के अन्दर भिन्न भिन्न कार्यक्रम जो कि इस विभाग के द्वारा चलाये गये, उसकी क्या स्थिति रही है। इसलिए जब कि हम दोनों रिपोर्टों के ऊपर विचार कर रहे हैं तो जैसी कि इस सदन के अन्दर बहुत सी बातें रखी गई हैं और कैसे २, कितने २ कार्य हुए और कहां तक हम, जो कि हमारे पास इस कमीशन की यह रिपोर्ट आई उसके ऊपर हम अमल कर सके, यानी उन्होंने जो सुझाव दिये उनको हम कार्यान्वित कर सके, इसके बारे में, मैं आपके सामने कुछ बातें रखूंगा,

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

क्योंकि अगर वे तथ्य नहीं रखे जायं तो कुछ गलतफहमी हो सकती है, यानि कहां विभाग ने ठीक कार्य किया है और कहां ठीक नहीं किया है, यह स्थिति इस सदन के सामने आनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो उससे एक गलतफहमी हमेशा बनी रहती है।

आज अभी बताया गया है और कुछ मुद्दों के ऊपर विचार भी हुआ कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियां जो कि हमारे विधान के अन्दर दिया हुआ है उसके ऊपर यह कमीशन मुकर्रर हुआ है, और उन्होंने हर स्टेट के अन्दर जा-जा कर जो कुछ भी कार्य अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और बैकवर्ड क्लासेज़ के सिलसिले में राज्य सरकारें जो कुछ भी कार्य कर रही थीं उनका विश्लेषण करते हुए एक रिपोर्ट हमारे सामने प्रस्तुत की है।

पहली बात जो इस सदन के अन्दर कही गई है वह अनटचेबिलिटी के बारे में है। राजस्थान में अनटचेबिलिटी के बारे में या सारे देश भर के अन्दर अनटचेबिलिटी के बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ताकि अन-टचेबिलिटी को अलग कर सकें, दूर कर सकें। इस सिलसिले के अन्दर बहुत सारे सुझाव भी आये। दो-चार सुझाव आज इस सदन के अन्दर लाये गये, वे इस प्रकार के थे कि हमें पोस्टर्स लगा देने चाहिए, मन्दिरों में एन्ट्रीज़ होनी चाहिए, जो सार्वजनिक कुएं हैं उनके ऊपर हरेक आदमी, चाहे वह शिड्यूल्ड ट्राइब का हो, चाहे शिड्यूल्ड कास्ट का हो, चाहे बैकवर्ड क्लाजेज़ का हो, चाहे सवर्ण हो, वे सब साथ में पानी भरें और इस तरह से और भी सुझाव आये कि इस तरह से हम अनटचेबिलिटी को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे कानून बना दें, चाहे और प्रकार से ये सारी बातें हम अपनायें, लेकिन आखिर में उसमें परिवर्तन उसी वक्त ला सकते हैं जब कि हमारे दिलों के अन्दर वह परिवर्तन हो और उसको लाने के लिये कोई आसान बात नहीं हैं, क्योंकि सदियों की रूढ़ियों के अन्दर हमारा समाज पड़ा हुआ है। जो पहले व्यवस्था थी समाज के अन्दर उसके अन्दर पला हुआ है, हमारे बुजुर्ग उसके अन्दर पले हुए हैं, उनके मानस को बदलना कोई आसान बात नहीं हो सकती है। इस वास्ते इसमें काफी कठिनाई आती है। जहां तक राज्य सरकार का सवाल है वह भी इस दिशा के अन्दर कानून बना सकती है, उसके अन्दर एन्फोर्स करा सकती है, लेकिन आखिर में जो प्रेक्टिकल डिफिकल्टीज़ हैं वे बराबर कायम रहती हैं, और इस वास्ते इसमें तेजी के साथ कोई परिवर्तन लाया जा सकता हो, यह मैं निश्चित तौर से समझता हूं कि शायद सम्भव नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि आजादी प्राप्त करने के पहले और उसके बाद में काफी परिवर्तन भी हुआ है, और उस दिशा के अन्दर हमने कदम भी उठाये हैं ; कुछ लोगों का मानस भी बदला है और आज वह स्थिति है कि इसको हम बराबर आगे बढ़ाने की कोशिश करते जा रहे हैं। वैसे कार्यक्रम के बारे में अगर यह सदन कुछ जानकारी चाहता है तो वह मैं देने को तैयार हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हरिजन डे भी मानया जाता है और उस

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

रोज सब लोग इकट्ठे होते हैं, एक रस्मी तौर पर ही आप मान लें, लेकिन आखिर में कोई न कोई कार्यक्रम तो जरूर रखा जाता है सरकार की ओर से जब कि एक स्थान पर मिलते हैं, सवर्ण भी मिलते हैं और हरिजन भी मिलते हैं और एक दूसरे से मिलकर, और वहां पर बैठकर एक साथ में चाय पीते हैं या चाहे और कोई मिठाई खाते हैं, इस प्रकार का कार्यक्रम उसके साथ में चलता है।

इस तरह से पोस्टर वगैरह का जहां तक ताल्लुक है, पंचायत समिति के अन्दर-पंचायतों के अन्दर तथा और दूसरे इम्पोर्टेन्ट जगहों पर इस प्रकार के पोस्टर्स भी लगाते हैं जिसमें हम अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिये भिन्न २ प्रकार की बातें बतलाते हैं और इसके बाद में जैसे कुए वगैरह हैं, सार्वजनिक कुंए है उनके ऊपर सरकार की ओर से यह बात है कि हरेक आदमी जाकर पानी भर सकता है। उसमें किसी प्रकार की छुआछूत नहीं हो सकती है....

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : लेकिन वह इफेक्टिव नहीं है । श्रीमान्, सरकार की तरफ से कानून बन गये लेकिन कानून का अमल नहीं हो रहा हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जब सरकार की तरफ से कहते हैं तो जनता की तरफ से दूसरा प्रश्न है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने भी यही निवेदन किया है कि कानून बन जाते हैं, लीगल शेप दी जा सकती है, लेकिन अमल कितना होता है वह हम देखते आये हैं। आखिर में यह सोश्यल लेजिस्लेशन है जिसमें हमको यह देखना पड़ेगा कि हम कितने आदमियों का हृदय परिवर्तन करके इस अनटचेबिलिटी को रिमूव कर सके हैं। ये सारे के सारे प्रयास जारी हैं और जो आदमी इसमें विश्वास नहीं करते हैं उनको कुछ भी कहें; चाहे आप कानून बना दें, वे उससे डिगेंगे नहीं जो कि रूढ़ियों में पड़े हुये हैं। इस प्रकार की मनोवृत्ति बन गई है उसको बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है....

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू सु०) : मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि....

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर ! आॅर्डर प्लीज़ !!

श्री लादूराम सुलाणिया : जैसा कि माननीय मन्त्रीजी ने कहा....

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर ! आॅर्डर प्लीज़ !! पहले मन्त्री महोदय को समाप्त करने दें। उसके बाद में कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजियेगा। बीच में डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं निवेदन करूंगा कि वैसे हरिजन एन्ट्री के विषय में कहा गया। हमारे एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि हरिजन सेवक संघ ने करीब २, ४, ५ मन्दिरों में एन्ट्री कराई। वह दरअसल में ठीक बात थी, गलत थी या क्या थी यह सीधा इस कमीशन की रिपोर्ट के अन्दर मौजूद है। कमीशन की रिपोर्ट के अन्दर जो फेक्ट आये हैं उसके ऊपर जांच इस वक्त नहीं कराई जा सकती है कि दरअसल में तथ्य सही हैं या नहीं

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

हैं या गलत है या क्या हैं ! इस तरह की वॉलन्टरी एजेन्सीज़ जो बराबर इसमें विश्वास रखती है, जो इस प्रोग्राम को आगे चलाती हैं; वे आगे आयें। सिर्फ राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार के नियन्त्रण में जो मन्दिर हैं उनमें प्रवेश करा देने से ही अनटचेबिलिटी रिमूव हो जायगी, यह कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। हो सकता है कि इससे थोड़ा बहुत परिवर्तन ज़रूर होता है। वैसे जगदीशजी का मन्दिर जो कि उदयपुर में है उसमें प्रवेश हुआ है। घनश्यामजी का मन्दिर जो कि जोधपुर के अन्दर है उसके अन्दर सरकार ने किया है। बहुत सी जगह मैंने खुद ने देखा है कि राज्य सरकार के नियन्त्रण में जो छोटे छोटे मन्दिर थे बहुत सारे उन सब को ओपन कर दिया गया है । इसलिए मन्दिर एन्ट्री कराने की भी कार्यवाही की है।

इसी तरह से प्रचार के लिये सिनेमागृहों के अन्दर स्लाइड्स वगैरह भी चलाई जा रही हैं, और जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि पंचायत समिति के हैडक्वार्टर्स पर और अलग अलग स्थानों पर इसको दूर करने के लिए बराबर कार्यवाही की जा रही है। फिर कुछ मण्डलियां भी कायम की हैं समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो कि इस प्रकार का बराबर प्रचार करती हैं और प्रचार करके उनके मानस को बदलने की कोशिश करती हैं। इस प्रकार से अनटचेबिलिटी के सम्बन्ध में कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं जिसमें यह बताया है कि जो भी कानून बनाये गये हैं उसके अन्दर भी केसेज चले हैं और इसमें अलग अलग प्रकार के केसेज़ थे। सन् ५७-५८ में जो केसेज़ रजिस्टर हुए वे १०४ थे, ५८-५९ में ७० और ५९-६० में ६६ रजिस्टर हुए। उनमें से चालान ५७-५८ में २१ केसेज़ में हुआ, ५८-५९ में ५२ में हुआ और ५९-६० में ४५ में चालान हुये। इसके अलावा जिन केसेज़ में चालान नहीं हो सके वे अगल हैं उनमें से कुछ में सजाएं हुई और कुछ छूटे हैं । तो जो कुछ सरकार की तरफ से....

श्री तेजपाल (वैर) : सजाएं कितने केसेज़ में हुई ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : एक बार ११ को. एक बार ४ को, एक बार ८ को; इस प्रकार से अलग अलग हुई । इसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया हरिजन सेवक संघ और दूसरी वेलफेअर एजेन्सीज़ भी काम कर रही हैं; तो मुझे यह निवेदन करना है कि जहां तक सरकार के कार्य करने का सवाल है, सरकार की ओर से जो कुछ करना होता है वह बराबर किया जाता है । इसमें आगे जाकर क्या होगा, यह देखना है । ५७-५८ में हरिजन योजना में २६,५०० रुपये और ५८-५९ में भी इतने ही रुपये खर्च हुए। आदिवासियों के लिये ३१ हज़ार और ३४ हज़ार दोनों सालों में खर्च हुए और इसी प्रकार से कार्य किया गया।

इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बेकवर्ड क्लासेज़ के उत्थान के लिये, दरअसल में किस प्रकार से उनको आर्थिक दृष्टि से उठा सकते हैं, किस तरह से उनका आर्थिक जीवन ऊंचा हो सकता है ताकि जो दूसरा अंग

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

उनसे अच्छा है, उनसे ऊपर है उसके मुकाबले में आकर ठहर सकें, इसकी क्या योजना है ? मैं सदन की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां तक सरकार का तालुक है उनकी एज्युकेशन पर खर्च किया जाता है तथा उनका इकोनोमिक स्तर या आर्थिक दशा सुधारने की योजना है; जैसे कृषि। कृषि के बारे में सरकार की तरफ से बजट का प्रावधान है और इस ओर कार्य भी किया गया हैं। मैं थोड़ा विश्लेषण में जाना चाहूँगा। आदिवासियों को सिंचाई के लिये कूओं आदि के लिये सहायतार्थ पहले ५०० रुपये दिये जाते थे, उनको बढ़ा कर १००० रुपये कर दिये गये हैं और ५७-५८ में ३,१२,००० रुपया खर्चा हुआ और कूओं की संख्या १४७६ थी। ५८-५९ में २,०५,००० रुपये खर्च किये गये और कूओं की संख्या १०२० थी। ५९-६० में ५,२४,६२१ रुपये खर्च किये गये थे। इस साल में कम खर्च इसलिये हुआ कि बाकी कुए पंचायत समितियों को ट्रान्सफर कर दिये गये।

इसी तरह से तालाबों और छोटे २ बांधों के निर्माण के लिये भी उन एरियाज़ में जहां सिंचाई के साधन मिल सकते हैं, यदि कोई तालाब है और वहां सिंचाई हो सकती है तो अच्छा और यदि सिंचाई नहीं हो सकती तो कम से कम आसपास के जो कुए हैं उनका पानी ऊंचा आ सके इसके लिए भी सरकार ने रुपये खर्च किये हैं। ५७-५८ में १,६८,००० रुपये ७५ तालाबों और बांधों के लिए रखे गये थे उनमें से १,७६,००० रुपये खर्च हुये और ५८-५९ में ५,६६,००० रुपयों का प्रोविज़न था और तालाबों व बांधों की संख्या १२७ थी जिनमें से ५,८६,००० रु० खर्च हुए। ५६-६० में ५,२५,००० रुपये १२० तालाबों और बांधों के लिये रखे गये थे जिनमें से ४,८१,००० रुपये खर्च हुये। तो इस तरह से ५७-५८, ५८-५६ और ५६-६० में रकम खर्च की गई है। और भी योजनाएं आगे की जा रही हैं। इस क्षेत्र में, मैं निवेदन करूंगा कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को फायदा देने के लिये तालाब और कुओं के लिये अलग सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर है और उनके अंडर में तीन-चार असिस्टेन्ट इंजीनियर्स वगैरह हैं। पूरा सरकल है, जो जगह जगह ऐसे तालाबों और बांधों के लिए बराबर प्रयास करते हैं ताकि उन लोगों को सुविधा मिल सके। कहने का मतलब यह है कि जो कुए वगैरह हैं उनसे और तालाब व बांध बंधवाकर उनसे कृषि के लिए पानी दिया जा सके....

श्री रामचन्द्र : उन सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर महोदय का हैड क्वार्टर कहां पर है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उदयपुर में।

श्री तेजपाल : वे सभी जिलों में जाते हैं या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : खाली हैड क्वार्टर से ही मतलब नहीं है। सवाल है काम करने का....

श्री तेजपाल : राजस्थान में सब जगह उनको जाना चाहिये !

Page No.92

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया था कि आप बताइये कि कहां काम नहीं हुआ है, वहां हम उनको भेज सकते हैं..

श्री रामचन्द्र : कोटा में कुछ नहीं हुआ है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से....

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्रीजी किसी पोइन्ट का उत्तर नहीं देना चाहें तो आप बाद में पूछ सकते हैं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार से प्रगति लाने के लिये हम खाली पी. डब्ल्यू. डी. के ही आश्रित नहीं रहें, बल्कि अलग सरकल या डिविज़न कायम करके इस काम को अच्छी तरह से चलाने के लिये रुपया खर्च कर रहे हैं। इसकी तहत में यह भी निवेदन करूंगा कि तृतीय पंच वर्षीय योजना में और भी ज्यादा विस्तृत कार्यक्रम है जिसकी रूपरेखा कुछ समय बाद सदन के सामने आयेगी।

कृषि का इस तरह से साधन देने के बाद बैल उपलब्ध हो सकें, उसके लिए प्रावधान रखा है। सन् ५७-५८ में ५०,००० रुपये २०० बैलों की जोड़ियों के लिए खर्च किये गये। ५८-५९ में ७१,००० रुपये २८४ बैलों की जोड़ियों के लिए खर्च किये गये और ५९-६० में ७४,७५० रुपये पंचायत समितियों को दिये गये और विभाग की तरफ से ३२,९५० रुपये खर्च किये गये। इस प्रकार से बैल उपलब्ध हो सकें, इस आधार से विभाग की ओर से सहायता दी गई।

इसके बाद मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भूमि वितरण का सवाल है उस बारे में इस सदन के सामने कुछ बातें आई थीं कि समाज कल्याण विभाग की ओर से, पिछड़ी जातियों को ठीक प्रकार से भूमि का वितरण नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं यह कहूँगा कि भूमि का वितरण समाज कल्याण विभाग के अधिकार में नहीं है। गवर्नमेंट ने समय समय पर सर्क्युलर निकाले हैं और उन्होंने स्पेसिफिकली यह बात कही है कि उनको शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिये जमीन दी जाय। उसके लिए अलग कायदे बनाये हैं और उनके अनुसार वितरण हुआ करता है। अलग अलग वर्षों में भूमि वितरण के सिलसिले में भूमिहीन रह गये थे, उनके बारे में इस सदन के सामने शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में ५७-५८ के बारे में कुछ कहा गया था। मैं यह निवेदन करूंगा कि जो एपेन्डिक्स ३० है उसमें ७,६५,१४० एकड़ जमीन इस रिपोर्ट में दर्ज है, लेकिन अगर वे माननीय सदस्य थोड़ा सा नीचे की जो टिप्पणी है उसको देखने की कृपा करते तो यह स्पष्ट हो जाता कि यह जो कुछ ऊपर लिखा हुआ है, लैन्ड अलॉटेड इन एकोर्डेंस टू शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स; किन किन शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स को वह लैन्ड अलॉट किया गया है, उसमें साफ लिखा गया है :

"(o) This information does not pertain to the State and the period for which the information has been

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

made available is not uniform for all the districts.

(p) This information is for the year 1958-59 and for eight districts only. The land was made available through abolition of intermediaries, reclamation schemes and Bhoodan. The number of families who benefitted was 493. Only 32 acres of land came through Bhoodan. The land which remains unallotted is 2, 19,607 acres. Scheduled Castes received 15, 384 acres of land in these eight districts during the year 1958-59 and the number of families who benefitted was 2, 968" मेरा निवेदन करना यह है कि जो जमीन इन एट डिस्ट्रिक्ट्स को वितरित की गई है, उनका उतना ही एकड़ था। उस वक्त ठीक आंकड़े नहीं आये थे, इसलिये ये फिगर्स बताये गये हैं। इसमें गलतफहमी हो सकती है कि आया कितने आदमियों को जमीन वितरित हुई और क्या एवरेज है। जो जानकारी मुझे दी गई है, उसके अनुसार मैं सदन के सामने जानकारी रखना चाहूंगा। इसमें यह बताया गया है कि १९५७–५८ में करीब करीब २०,८५७ एकड़ जमीन १०४० परिवारों में वितरित हुई और १९५८–५९ में २८,७६५ एकड़ जमीन ४०३९ परिवारों में वितरित हुई। मेरा अर्ज करना यह है कि भूमि के वितरण में भी संख्या बढ़ी है और ज्यादा परिवारों को दी गई है।

इसके बाद भूमि के वितरण का जो कुछ कानून बना हुआ है, वह स्पष्ट है। उसमें राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट आदेश दिये गये हैं और उनके अनुसार उनको भूमि वितरित की जाती है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं, चाहे शिड्यूल्ड कास्ट्स के हों, चाहे शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हों, चाहे बैकवर्ड क्लासेज़ के हों; उनमें से अधिकांश वे हो सकते हैं जो कि खेती से अपना जीवन उपार्जन करते हों लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो उद्योगों में भी टिके हुए हैं, जिसे कि मैं सदन के सामने रखना चाहूँगा। तीसरे, जो उद्योगों के बारे में कहा गया कि कुटीर उद्योगों के अन्दर दर असल में ज्यादा सहायता नहीं दी गई। ऐसा कुछ महानुभावों ने यहां कहा था, उनकी जानकारी के लिए मैं निवेदन करूंगा कि अगर इस सिलसिले में कुछ तथ्यों के ऊपर हम विचार करते तो ऐसी स्थिति नहीं है। दरअसल में ग्रामोद्योग हैं, या कुटीर उद्योग हैं, या हाथ कर्घा उद्योग हैं, या इन्डस्ट्री है, इसके अन्दर ज्यादा आदमी इस पिछड़े वर्ग के लगे हुए हैं और उनको काफी फायदा ऋण के रूप में और अन्य रूपों में दिया गया है....

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर–सु०) : कहां कहां ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह मैं अभी निवेदन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर। आॅर्डर! आॅर्डर!!

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह मैं अभी निवेदन करूंगा, जिससे आपको मालूम हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप आरम्भ रखिये।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आदिवासी और हरिजनों के लिये कुटीर उद्योग, आदिवासी क्षेत्र के अन्दर, खादी, तेल, चावल, कूटे हुए चावल, चमड़े का काम आदि है। दो लाख ४८ हजार रुपया ऋण दिया गया। और एक लाख २८ हजार रुपया सहायता के रूप में दिया गया। इस तरह से ३ लाख ७६ हजार रुपयों की इनको सहायता मिली और हरिजनों के चमड़े उद्योग को १६५५ से लेकर १९६० तक इस प्रकार का लाभ पहुंचता रहा। मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि वैसे एक मांडल में टेनरी सेन्टर, ट्रेनिंग सेन्टर, बोन क्रशिंग सेन्टर, नये गड्डे खोदने का कार्य है, यह शेअर कैपीटल के रूप में है, इस प्रकार ७, ८७, २१६ रुपया वितरित किये गये, लेकिन....

श्री रामचन्द्र : सारे राजस्थान के लिये मांडल एक नमूना मान लिया है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : एक मांडल नहीं है ...

श्री रामचन्द : आपने फर्माया मांडल

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मडांल नहीं, मांडल। आप मांडल समझ गये क्या ?

(विराम)

इस प्रकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बुनकर, जो कि ज्यादातर पिछड़े वर्गो से आये हुये हैं, उनको भी काफी सहायता दी गई। इन्डस्ट्री विभाग से काफी सहायता दी गई और हैंड लूम का जो बजट है वह करीब करीब इनके फायदे के लिये है। शेयर केपीटल के रूप में सहायता देना, सहायता के रूप में देना, ऋण के रूप में देना, अच्छे हाथ कर्घे देना, हैंड लूम देना, हैंड लूम को पॉवर लूम में तब्दील करना, व्यवस्थित बनाना, ये सारे के सारे कार्य इन्डस्ट्री विभाग की तरफ से चलते हैं। इसके अन्दर पिछड़े वर्गों के आदमी ज्यादा काम करते हैं, इसलिये मैं उनकी जाति के नाम बताना जरूरी नहीं समझता। आप इस बात को जानते हैं कि ज्यादातर हमारे पिछड़े वर्गों के आदमी इसमें लगे हुये हैं। यह जो अम्बर चर्खे का कार्यक्रम है इसमें बुनकर भी लगे हुये हैं और यह भी जानना चाहें तो आपको देने के लिए तैयार हूं कि १६५७-५८ के अन्दर ३ लाख ६२ हजार रुपये के करीब दिये गये, जिसमें दस हजार को बेनिफिट हुआ। १६५८-५९ में ६ लाख ५६ दिये गये, जिसमें करीब-करीब अधिक आदमी ....

श्री रामचन्द्र : किनको दिया गया, आदिवासियों को या हरिजनों को या और जातियों को ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि इसकी व्यवस्था में जाना तो बहुत मुश्किल होगा। आप कल पूछने लग जायेंगे कि किन किन आदमियों को दिया गया। क्या उनकी जाति है, तो वह मैं नहीं बता सकता, लेकिन इसमें सभी प्रकार के आदमी लगे हैं; कोली, चामर और दूसरी प्रकार के आदमी हैं....

श्री हरिप्रसाद यादव : जो सेन्टर्स खोले गये हैं उनको उद्योग के लिये क्या रुपया मिला है और कितना रुपया मिला है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आप बैठे तो।

श्री हरिप्रसाद यादव : आपने अपने भाषण में बताया कि ६ लाख के करीब रुपया मिला ...

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी खत्म नहीं किया है ।

श्री हरिप्रसाद यादव : यह पैसा किसको दिया है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आप अधीर क्यों हो रहे हैं ? मैं जवाब दे रहा हूँ, आप सुन लीजिये और उसके बाद कहिये ।

इसके साथ साथ इन्डस्ट्री विभाग से, मैं निवेदन करूं कि काफी रुपया, जो हमारी चर्म समितियां बनती हैं, सहकारी समितियां बनती हैं, उनको हर साल लोन के रूप में देते हैं । इसमें दो बातें हैं, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड उनको वर्किंग केपीटल के लिये रुपया नहीं देता, खादी एन्ड ग्रामोद्योग बोर्ड उनको सेल्फ सफीशियेन्ट बनाने के लिए सहायता देता है । इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट लोन के रूप में लैदर के कारखाने के सिलसिले में रुपया देता है । मैं मेरी जानकारी से बता सकता हूं कि गये साल इन्डस्ट्री विभाग से करीब चार लाख, पांच लाख रुपया दिया गया और यह सब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को दिया गया, इन्डीविजुअल को नहीं दिया गया । इसके अलावा भी यदि आप चाहते हैं कि कहां कहां क्या है, तो यह निवेदन कर दूँगा कि औद्योगिक विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण के अतिरिक्त २१ प्रशिक्षण केन्द्र अनुसूचित जनजातियों के, ४७ केन्द्र अनुसूचित जातियों के और विमुक्त जातियों के १२, इस प्रकार कुल ८० केन्द्र चल रहे हैं....

श्री रामचन्द्र : कहां कहां चल रहे हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : नाम बताऊं, बहुत बेहतर । नाम जरा लिख लीजिये

(विघार)

जोधपुर, धरियावद, अम्बा, माई, सेवारी, ब्यावर, देलवाड़ा....

श्री रामचन्द्र : लिस्ट दे दीजिये ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : दे दूंगा ! कोटा, डीग, सवाई माधोपुर, बीकानेर, नोखा, सीकर, बहुत सारे हैं । जो ८० केन्द्र हैं, उनमें इस प्रकार कार्य चल रहा है जो अनुसूचित जाति के भी हैं, अनुसूचित जन जाति के भी हैं और बैकवर्ड क्लासेज़ के भी हैं ।

इसके बाद में हमने यह भी निर्णय लिया है कि इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के सेन्टर चल रहे हैं उनको चालू रखा जावे ताकि जो दूसरी इन्डस्ट्रीज़ चल रही हैं उनको भी कोऑर्डिनेशन से ज्यादा लाभ मिल सके ।

इसके अतिरिक्त ट्रेनिंग इन्सटीट्युट भी खोले गये हैं और इसके लिए सरकार ने दो लाख रुपयों का प्रावधान किया है । जिसमें ४०) रु० मासिक ट्रेनिंग पानेवालों को स्टीपेन्ड दिया जावेगा । इसका कार्य जैसलमेर और उदयपुर में प्रारम्भ किया गया है ।

मैंने आपको निवेदन किया कि इस प्रकार के छोटे छोटे उद्योगों का जहां तक सवाल है जैसे कुटीर उद्योग है वे तो चल रहे हैं जो चमड़े आदि के उद्योग हैं और जिनकी सहकारी समितियें बनाई हुई हैं उनको ही लोन दिया गया है । इसी तरह से हैंडलूम इन्डस्ट्रीज़ के लिए भी कहूंगा कि इसमें भी काफी डेवलपमेंट राजस्थान में किया

Page No.96

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

गया है और इसमें काफी लोग लगे हुए हैं और उनको काफी रुपया सहायता के रूप में मिला है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि कोई भी व्यक्ति इन्डस्ट्री डेवलप कर सकता है, चाहे वह सवर्ण हो, चाहे कोई हरिजन हो। इसके लिए कोई भेद-भाव और भिन्नता नहीं है। इन्डस्ट्री में लगने के लिए काफी अवसर इन लोगों को हैं। कोई भी चाहे वह इसमें अग्रसर हो सकता है और जो इसमें अग्रसर होना चाहते हैं उनको चाहिये कि वे ट्रेनिंग सेन्टर से प्रशिक्षण लें, जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा इन्डस्ट्रीज़ में लगाया जा सके।

तीसरी बात, सहकारिता के बारे में कही गई और यह कहा गया कि उनके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने की तरफ सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस पर मैं थोड़ा सा आपके सामने प्रकाश डालूंगा। जहां तक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का प्रश्न है, मैं यह कहूंगा कि हम उन लोगों को कोई लोन नहीं देते जब तक वे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नहीं बनाते। हैंडलूम में जब तक कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बनी थी हमने उनको लोन नहीं दिया। हमने कहा कि जब तक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नहीं बनायेंगे तब तक हम लोन नहीं देंगे। फोरेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनीं हुई है। इसके बारे में यह कहा गया है कि इसमें कितने अनुसूचित जाति के लोग और कितने दूसरी जाति के लोग है। मेरे पास आंकड़े हैं। फोरेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है उसमें काफी प्रगति हुई है और काफी काम हुआ है। सहकारिता के सम्बन्ध में मैं इतना और निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें हमने बस्तियों के निर्माण के लिए भी सहकारिता को प्राथमिकता दी है और ५६-५७ में ३२,५०० रु० की सहायता दी। ५८-५६ में २८५ परिवारों के लिये १४,२५० रुपये दिये गये व १६५६-६० में १३१ परिवारों के लिये ६,५५० रुपयों की सहायता दी गई। यह उनको समितियों द्वारा ही दी गई और यह कार्य समितियों द्वारा ही किया गया।

आप देखेंगे कि ५८-५६ में केवल १५ से १६ समितियें ही थी, ५६-६० में ६२ हुई और आज ८,००० के करीब हैं और उन पर १,२०,६३६ रुपया खर्च किया गया हैं। इसी तरह से शाहबाद पाटरा और दूसरे जंगलों आदि की आदिवासियों की सहकारी समितियें हैं। आदिवासियों की अम्बादइया सोसाइटी ने इस दिशा में काफी अच्छा काम किया है और उनको इससे काफी प्रोफिट भी रहा है। एक तो कत्था बनाने की इन्डस्ट्री है। उन्होंने इस ओर काफी काम किया है और काफी रुपया भी उनको सहायता के रूप में दिया गया है।

इसी तरह से कोऑपरेटिव फार्मिंग और सर्विस कोऑपरेटिव के सम्बन्ध में भी मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ११५ कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़ बनी हैं जिनमें सदस्य संख्या ३,०२८ है और सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटज़ हैं उनकी संख्या २२२ है और उनकी सदस्य संख्या ७,४५३ है। इसलिये जो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी है और कार्य कर रही हैं उनकी तरफ सरकार ने बराबर ध्यान दिया है और हर प्रकार से सरकार उनको सहायता देती है।

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

दूसरी बात जो रीहेबिलिटेशन के बारे में कही गई है। यह चर्चा की गई कि जहां पर हरिजन आदि लोग रहते हैं वह उनकी निजी सम्पत्ति नहीं है और उनकी मिल्कियत में वह शुमार नहीं होती है और जहां पर उनके लिये मकान बने हुए हैं उनकी हालत भी अच्छी नहीं है। इस तरह से हाउसिंग प्रोब्लम पर बहुत जोर दिया गया है। इस सिलसिले में यह बता देना चाहता हूँ कि सरकार की ओर से जो काम किया गया है वह इस प्रकार है कि अनुसूचित जन-जातियों और गाड़ोलिया लुहारों को पुनः बसाने के लिये एक योजना हाथ में ली गई और आदिवासियों का बसाने का जो कार्यक्रम चलाया गया वह सिर्फ भवन निर्माण के सिलसिले में ही न था बल्कि और भी प्रोग्रेसिव था ! मकानों की सहायता के साथ साथ सहकारी संगठन, पंचायत घर आदि बनाने और उनके लिये बस्तियों का विकास आदि ये सभी बातें जो रीहेबिलिटेशन के लिये जरूरी होती हैं उनके लिये प्रोग्राम किये गये। जो म्युनिसिपैलिटिज़ हैं वहां पर क्वार्टर बनाने के लिये व मकानों के लिये राहत की बात कही गई। उसके लिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने पहले कहा कि वे म्युनिसिपैलिटीज़ जिनकी आबादी १०,००० या अधिक की हो वहां पर मकानों के लिये राहत नहीं दी जावे। इसलिये पहले तो उनको कोई राहत नहीं मिली लेकिन बाद में राजस्थान सरकार ने सेन्ट्रल गवर्नमेंट को बराबर लिखा और यह कहा कि उनको राहत मिलनी चाहिये और अब हम इस स्थिति में हैं कि हम बड़ी २ म्युनिसिपैलिटीज़ में भी इस प्रकार की सहायता दे सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अब म्युनिसिपैलिटीज़ में जहां तक हरिजनों की बस्तियों का प्रश्न है या उनके मकानों को ठीक कराने का प्रश्न है उसमें समाज कल्याण विभाग सहायता दे सकता है।

श्री रामचन्द्र : कहां कहां देते है, वह भी फरमा देवें।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जोधपुर को ही ले लें।

श्री रामचन्द्र : वह तो जयपुर के लिये भी है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अब सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने मंजूरी दी है इसलिये इसमें कोई बाधा नहीं हो सकेगी। ऐसी सूरत में हम आइन्दा करेंगे उसमें हमें सोचना है। वैसे तो ग्राम पंचायत एक्ट में भी यह दिया हुआ है।

श्री रामचन्द्र : इससे तो इसके अधिकार जो हैं वे भी चले जाते हैं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह प्रश्नोत्तर का समय नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिये तो आप ही जिम्मेदार हैं, आप ही उत्तर देने लग जाते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उत्तर बनता है तो दे देते हैं और जहां लाचार होते हैं तो यह कह देते हैं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं यह निवेदन कर रहा था कि इसके अलावा बस्तियों को बनाने का कार्यक्रम है। कुछ जगह पर हमने अच्छी बस्तियें बनाई हैं और जिन पर काफी रुपया खर्च सरकार की तरफ से किया गया है; जैसे अमृतपुरी, जोधपुर आदि में बस्तियें बसाई गई हैं....

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : यह अमृतपुरी क्या है ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : यह तो अमृत देनेवाली है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ५७-५८, ५८-५६ और ५६-६० इन तीन सालों में २४,३५,३८१ रुपये खर्च हुए।

एक प्रश्न यह भी था कि जो हरिजनों के मकान बनाने के लिये ७५० रु० दिये जाते हैं पहले ३५० रु० ही रखे गये थे। इसलिये इस सम्बन्ध में कुछ सदस्यों ने आपत्ति की थी कि कहीं कहीं ३५० रुपये और कहीं ७५० रुपये दिये गये। मेरा यह निवेदन था कि पहले तो ३५०) रु० ही था देने को और बाद में उसको बढ़ा कर ७५०) कर दिया। यह सही है। पहले कम था; बाद में बढ़ाया है। मैं यह भी इत्तिफाक करता हूं कि यह रकम वाकई कम है। लेकिन यह रकम सब्सिडी के रूप में दी जाती है। उनकी भी सीमा होती है, उनका भी कुछ रुपया होता है। यह लोन के रूप में नहीं दिया जाता है। इस रूप में यह रुपया मिल जाता है, कहीं कम भी आ सकता है; क्योंकि यह रकम कम है। देखा यह गया है कि जितना मकान बनाना चाहिये लोग उससे ज्यादा बना लेते हैं। रकम की मांग आती है तो फिर दिक्कत रहती है देने में क्योंकि रकम कम है।

श्री रामचन्द्र : सहायता के साथ कन्डीशन्स क्या हैं, उनके ऊपर भी तो थोड़ा प्रकाश डाल दीजिये ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं हूं।

श्री अमृतलाल यादव (जालोर-सु०): जवाब तो देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : At the end of the speech. Not by interrupting him.

श्री अमृतलाल यादव : If some important information is required, and the Hon'ble Minister does not reply ?

श्री उपाध्यक्ष : He is not bound to reply.

Yes, will resume please.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उनकी जो बस्तियां बनाई गई उनके लिए अर्ज करूं कि बहुत बस्तियां कम्पलीट हो गई हैं व कुछ कम्पलीट नहीं हुई हैं, जिनको कम्पलीट कराया जा रहा है। मैं इस विवेचन में नहीं पड़ना चाहता कि कौनसी कम्पलीट हो गई और कौनसी नहीं हुई है। लेकिन यह निश्चय है कि जो कम्पलीट नहीं हुई हैं उनको कम्पलीट कर देंगे। हो सकता है कि किसी बस्ती में एक-दो मकान गिर गये हों। उस विवेचन में जाने की जरूरत नहीं है। जो बस्तियां

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

बनाई गई हैं उनमें काफी रुपया खर्च हुआ है। जहां तक हाउसेज़ का ताल्लुक है, कॉलोनीज़ बनाई हैं, हर एक को रुपया दे देना और मकान बना देना, यह सम्भव नहीं है। इतना रुपया भी नहीं है।

शिक्षा के लिए अर्ज करूंगा कि यह ठीक है कि यह पिछड़ा वर्ग है, यदि यह अशिक्षित रहता है तो दूसरे वर्ग के मुकाबले में नहीं आ सकता है; जो दूसरों को सुविधायें हैं स्थितियें हैं, वे उन पर नहीं पहुँच सकते। राज्य सरकार ने जो शिक्षा का कार्यक्रम रखा है वह उचित है और राज्य सरकार द्वारा कार्यक्रम रखा गया है वह यह है कि ५७-५८, ५८-५६ और ५६-६० तक बेसिक स्कूल्स थे उनमें लड़के और लड़कियां पढ़ती थी उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। जानकारी लेना चाहते हैं तो इसकी काफी लम्बी चौड़ी लिस्ट है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हायर सेकन्डरी और सेकन्डरी में छात्र-छात्राओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : भाषण को समय से पूर्व समाप्त करने की कोशिश करेंगे जिससे कि अन्य सदस्य प्रत्युत्तर में बोल सकें।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : वॉलन्टियर एजेन्सी चलायी जा रही है। मैं यह निवेदन करूंगा कि राजकीय छात्रालय हैं। १३ अनुसूचित जाति, २३ अनुसूचित जन-जाति और ८ अन्य पिछड़ी जातियों के लिए कुल ४४ छात्रालय चलाये जा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में ६१ छात्रालय चलाये जाते हैं। उनकी यह मांग है कि अधिक से अधिक छात्रावास उनके हों और उनमें विद्यार्थी पढ़ सकें। इसी तरह से हमने ऊंची क्लासेज़ में जाने के लिए स्कॉलरशिप्स दी हैं। इस सदन के सामने यह सवाल आया था कि स्कॉलरशिप उनको दे दी गई हैं जो पिछड़ी जाति के नहीं हैं और शिड्युल्ड कास्ट से बिलोंग नहीं करते। माननीय सदस्य को मालूम नहीं था कि अजमेर लिस्ट में जाट भी पिछड़ी जाति वर्ग में शुमार हो चुके हैं। दूसरा राजपूत का नाम लिया गया। वे ब्राह्मण, राजपूत ओ० बी० सी० की लिस्ट में दर्ज हैं।

श्री अमृतलाल यादव : On a Point of Order- मैंने यह नहीं कहा था ....

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : That is not a Point of Order. It is a matter of information which you can seek from him after he has concluded his speech.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इस वास्ते राजपूत या जाट या सवर्ण जाति के आदमी हो गये हैं उनको यह शायद कुछ गलतफहमी की वजह से मालूम हुआ हो।

आई० ए० एस० में पढ़ रहे शिड्युल्ड कास्ट के छात्रों को सहायता दी है, मदद दी है। पब्लिक सर्विस में जाते हैं उनको भी दी जाती है। स्कॉलरशिप के बारे में इतना निवेदन करना चाहूंगा कि छात्र-वृत्ति दी है उसके अनुसार ५७-५८ के छात्रों की संख्या २६.७२८ और धन राशि जो दी गई है वह है ५,२७,२०६)। ५८-५६ में छात्र संख्या ४८,१४७ और धन-राशि जो दी

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

गई है वह है। ६,४२,८३६) इस प्रकार से काफी तादाद बढ़ी है। स्कॉलरशिप दी गई है उसकी धन राशि की संख्या भी बढ़ी है।

इसके बाद म्युनिसिपैलिटीज़ के बारे में कुछ कहा गया था। म्युनिसिपैलिटी के अन्दर, उनके जो नाइट सोइल रिमूव करने का तरीका है उसको माननीय सदस्य ने सदन के सामने रखा कि वह तब्दील होना चाहिये। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि जो पूर्व तरीका है उसमें तब्दीली होनी चाहिये। हमने म्युनिसिपैलिटीज़ को रुपया भी दिया है और म्युनिसिपैलिटीज़ से कहा है कि म्युनिसिपैलिटीज़ में जो नोकर हैं उनको मेकेनिकल एप्लायेन्सेज़ देकर उनसे काम लेना चाहिये। किस हद तक वे कर सकी हैं, समाज कल्याण विभाग हर एक डिटेल में नहीं जा सकता। हो सकता है कि किसी म्युनिसिपैलिटी ने सही उपयोग किया हो और किसी ने गलत उपयोग किया हो। जहां तक समाज कल्याण विभाग का ताल्लुक है हमने ऐसी सहायता म्युनिसिपैलिटी को जरूर दी है और कहा है कि एप्लायेन्सेज़ यूज़ करें। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती हैं कि जो पूर्व का तरीका है सिर पर टोकरी रख कर ले जावें, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि वह तरीका बहुत इनह्युमन है। वह दर असल इनह्युमन है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। जहां तक समाज कल्याण विभाग का ताल्लुक है जिस तरह से होगा जांच करने के लिए तैयार है।

श्री रामचन्द्र : विभाग द्वारा जांच तो नहीं कराई कभी।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जहां तक जल-कष्ट निवारण का सवाल है यह मैं आपसे निवेदन कर दूं कि सार्वजनिक कुओं के लिये रुपया दिया गया है समाज कल्याण विभाग द्वारा उसके आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं किन्तु समयाभाव के कारण वे सब तो आपके सामने नहीं रख सकता। सन् १९५७-५८ में २१७ कुए बनवाये गये। सन् ५८-५९ में कुओं के लिये १,५८,४५० रुपयों का अनुदान दिया गया। इस तरह से और भी प्रकार से सहायता दी जाती है; जैसे बाढ़ आ जाय, आग लग जाय तो इस सिलसिले में भी प्रावधान है। लीगल एड के सिलसिले में कुछ रूल्स इस प्रकार के बने हुए हैं जिनसे दरअसल सहायता नहीं मिल सकती, वह मिलनी चाहिये, इसके लिये हम उनमें कुछ चैन्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनमें कुछ इम्प्रूवमेन्ट हो सके और लीगल एड ठीक प्रकार से लोगों को मिल सके; यह हम कोशिश कर रहे हैं।

हैल्थ के बारे में, चिकित्सा के बारे में इस विभाग द्वारा डिस्पेन्सरीज़ चल रही हैं; इसमें भी काफी रुपया दिया गया है; चिकित्सा के लिये जो सहायता दी गई है १९५७-५८ में ६७,६२६) रु. हैं। ५७-५८ में ७०,८४२ व्यक्तियों की चिकित्सा हुई और उनको सहायता दी गई है। इसी प्रकार रोड्स वगैरह के सिलसिले में अनुसूचित क्षेत्र के अन्दर जहां यातायात साधनों की कमी है उस क्षेत्र के अन्दर जहां सड़कें बनाने का ताल्लुक है विभाग की ओर से काफी रुपया दिया गया है। इस तरह से इस क्षेत्र में भी प्रगति हुई है। इन क्षेत्रों में सुविधा मिल सके इसके, लिये यातायात के लिये सड़कों का निर्माण कर रहे हैं ताकि तिजारत

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

वगैरह की सुविधा मिल सके ।

इसके अलावा एक प्रश्न यह भी आया कि कुछ क्षेत्र ऐसे रह गये हैं जिनको अनुसूचित क्षेत्र घोषित करवाया जाना चाहिये। इस सिलसिले में यह निवेदन कर दूँ कि जहां यह घोषित करने का सवाल है यह केन्द्रीय सरकार पर निर्भर करता है। राज्य सरकार समय समय पर उन क्षेत्रों को जिनको अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिये उसके लिये सुझाव देती रही है और अब जो कमीशन इस बारे में आ रहा है उस सिलसिले में सरकार द्वारा प्रयत्न किया जायगा । कुछ ऐसे स्थान जरूर हैं कि आबादी जहां पचास प्रतिशत तो नहीं फिर भी जहां के लोगों का जीवन-स्तर, रहन-सहन इतना लो है कि उस क्षेत्र को अनुसूचित करार दिया जाना चाहिये । इस विभाग की ओर से कार्यवाही की जा रही है । मैं सदन को यह विश्वास दिलाऊं कि सरकार अपनी तरफ से बराबर प्रेस करेगी ।

यह भी कहा गया कि जहां तक सर्विसेज़ का सवाल है सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट के अन्दर भी इन लोगों का कोटा पूरा नहीं है ....

एक माननीय सदस्य : डाइरेक्टर के दफ्तर में तो मेहतर भी पानी पिलाने वाला नहीं है ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इस विभाग में गजटेड पोस्ट्स १४ हैं; इनमें १६ पर्सेन्ट एप्रोक्सीमेटली लिये गये हैं इन क्लासेज़ में । मिनिस्टीरियल स्टाफ के अन्दर ६१० व्यक्ति हैं, इनमें ६१ का रिप्रेज़ेन्टेशन हो गया । इसमें भी करीब १० पर्सेन्ट के आता है । यह कुछ कम है । २४० क्लास फोर्थ सर्वेन्ट्स हैं जिनमें से ८१ इनमें से लिये गये हैं । इसमें ३३ पर्सेन्ट लिया गया है । इस तरह से इस डिपार्टमेंट पर इस प्रकार का आरोप लगाना दुरुस्त नहीं है । इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरे विभागों के अन्दर जो रिज़र्वेशन होना चाहिये वह उतना पर्सेन्ट नहीं है जितना इनको दिया गया है । इसके लिये विभाग की ओर से कोशिश कर रहे हैं । सदन की जानकारी के लिये निवेदन कर दूँ कि इसके लिये एक कमेटी का निर्माण कर दिया गया है । इस कमेटी के चेयरमैन इर्रिगेशन मिनिस्टर हैं जो अलग अलग विभागों के अन्दर जो रिजर्वेशन मुकर्रर किया गया है उसमें कमी क्यों रही, किन कारणों से रही और उसको पूरा करने के बारे में क्या कार्यवाही की जानी चाहिये; इस बारे में अपनी राय देगी । जहां तक सरकार का सम्बन्ध है सरकार इस ओर काफी जागरूक है और बराबर कोशिश कर रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे समय हो रहा है और कुछ महानुभाव कुछ सवालात भी करना चाहते हैं इसलिये अन्त में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट जो सदन के समक्ष प्रस्तुत की गई है वह सन् ५७-५८ व ५८-५६ की रिपोर्ट है । इसके बाद डेढ़ साल का अर्सा गुजर चुका, इसके बाद भी विभाग की ओर से सुझाव सुझाये गये हैं, उस पर विचार किया गया है । उसमें भी सरकार ने इस सामान्य नीति को अपने सामने रखा है । इसके अलावा मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि विभाग इस बारे में काफी सक्रिय है और इन जातियों

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

के उत्थान के लिये जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है उसको बराबर पूरा करने की कोशिश की है और आइन्दा भी इसको पूरा करने की कोशिश की जायेगी । कहीं कहीं अड़चनें जरूर हैं, उसमें गल्तियां भी हुई हैं इसको मैं स्वीकार करता हूं । जहां तक सरकार का ताल्लुक है हर प्रकार से, हर दृष्टि से इस पिछड़े हुए वर्ग के उत्थान के लिये कोशिश करेगी और बराबर करती रहेगी ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा सुझाव यह है कि....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

डॉ० चन्द्रकला : मैं इस रिपोर्ट के बारे में कुछ कहना नहीं चाहती लेकिन इस विभाग की जो रिपोर्ट है वह तो हम सदस्यों को मिल जाय ।

श्री रामचन्द्र : माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा निवेदन यह है कि माननीय मन्त्री महोदय ने जो फीगर्स का कोम्बीनेशन दिया है उसके आधार पर अगले सेशन से पहले जिलेवार हमें इस विभाग की रिपोर्ट मिल जाय तभी हमको सन्तोष होगा। राजस्थान में पिछले पांच सालों में इस विभाग द्वारा जो जो कार्य हुआ डिफरेन्ट सेक्टर्स में उसकी रिपोर्ट हमें अगले सेशन से पहले मिल जानी चाहिये ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, साल भर की रिपोर्ट बराबर विभाग की ओर से वितरित होती रही है । कमीशन के जो ५७-५८ के सुझाव थे उसके सम्बन्ध में मैंने जानकारी प्राप्त करके आपके सामने आंकड़े रखे हैं ताकि मालूम हो सके कि दर असल हम कुछ आगे हैं या कहीं कमी रही है और अगर कमी रही है तो किस जगह रही है ।

श्री रामचन्द्र : विभागीय रिपोर्ट अलग है...

श्री रिखबचन्द धारीवाल : हर साल की रिपोर्ट निकलती है जो विभाग की ओर से वितरित की जाती है ।

श्री रामचन्द्र : हमें तो विभाग की तरफ से किसी प्रकार की रिपोर्ट नहीं मिली है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (आमेर-सु०): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इतना सा निवेदन करना है, मैंने एक बार सदन के समक्ष रखी थी : कुछ एरिया ऐसा है जो शिड्यूल्ड कास्ट एरिया होने से रह गया है; जैसे अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर ऐसा क्षेत्र है उसको अनुसूचित एरिया घोषित करवाने के लिये क्या सरकार द्वारा प्रयत्न किया जायगा ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इसका जवाब दे दिया था उस समय आप मौजूद नहीं थे। इस सिलसिले में हमारे यहां से रिप्रेजेन्टेशन हुआ था । अब भी इसके लिये जो कमीशन बैठा हुआ है वह राजस्थान में आयेगा उसके द्वारा क्वेश्चनेयर भी भेजे गये हैं । सरकार इस पर विचार करके अपना व्यू पोइन्ट रखेगी ।

श्री अमृतलाल यादव (जालोर): उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मन्त्री महोदय ने बताया था कि समाज कल्याण विभाग में १४ गजटेड ऑफिसर्स हैं, उनमें से दो शिड्यूल्ड कास्ट के हैं। मैं कहता हूं एक भी नहीं है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने यह कहा था कि गजेटेड ऑफिसर्स में दो व्यक्तियों को लिया गया है वे शिड्यूल्ड कास्ट के हैं या शिड्यूल्ड ट्राइब्स के या बैकवर्ड क्लास के, यह मैंने नहीं कहा; लेकिन जिनके लिये रिज़र्वेशन है उन्हीं में से है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : टाइम हो गया है।

श्री अमृतलाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह जानकारी दे दूँ कि एक शिड्यूल्ड कास्ट का गजटेड ऑफिसर सोशयल वेलफेयर डिपार्टमेंट में नहीं है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : शिड्यूल्ड कास्ट के लिये कोई अलग से रिज़र्वेशन नहीं है। शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेज़ इनमें से किसी से भी लिया जा सका है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): एक तो है श्री गोपालदास।

श्री अमृतलाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आंकड़े सदन के समक्ष रखते हुए डिटेल्स में बतलाया था कि शिड्यूल्ड कास्ट की आबादी २८ लाख के करीब है। यह जो गजटेड ऑफिसर्स लिये गये हैं उनमें से एक भी हरिजन नहीं है। यह जो मैंने फर्क बतलाया था उसका कोई जबाब नहीं दिया गया है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे कि जिनके कि बारे में....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : एम०एल०ए० भी तो गजटेड ऑफिसर हैं। यहां ५७ बैठे हैं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जो कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट से रुपया दिया गया है वह शिड्यूल्ड ट्राइब का २।३ है और शिड्यूल्ड कास्ट का १।३ है और इसी प्रोपोर्शन से इसके सारे स्केल बनते हैं। क्योंकि शिड्यूल्ड ट्राइब की सबसे बड़ी रेस्पोन्सिबिलिटी राष्ट्रपति की है और इनमें जो स्कीमें हैं कुछ उनके लिये भी हैं और उसी अनुपात से रुपया खर्च किया जाता है जो केन्द्र सरकार हमें देती है। इसमें अब राज्य सरकार क्या करे ?

श्री अमृतलाल यादव : इसमें बहुत बड़ी गलतफहमी है ....

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल ११ बजे प्रात: तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही पांच बज कर २ मिनिट पर दिनांक अगस्त, १९६० के प्रात: ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

———

संक्षिप्त-विवरण

(सोमवार, २६ अगस्त, १९६०)

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	स्कम		स्कम
जोधपुर की फिदूसर की पत्थर की खानों को अलॉट करने से पूर्व ठेकेदारों से जमा कराई जाने वाली धनराशि की वापसी ।	९९५	में दी जाने वाली छूट का मामला ।	
अनुसूचित जाति के काश्तकारों को शेरगढ़ तहसील के अन्तर्गत काश्त योग्य बेकार पड़ी भूमि का आवंटन ।		बांसवाड़ा जिले में कार्य करने वाले मैट्रिक की ग्रेड वाले अध्यापकों का फिक्सेशन ।	
तहसील देवली और उनियारा में भूमिहीन काश्तकारों को किया गया भूमि का अलॉटमेंट ।		सुरसरा ग्राम, तहसील रूपनगर में अलॉटमेंट कमेटी द्वारा प्रदत्त भूमिहीन काश्तकारों को अधिकार दिलाना ।	
सांचोर हायर सेकन्डरी स्कूल भवन का शीघ्र निर्माण ।		जिला जालोर की भाव ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये खसरा नं० १०१ व १०६ को आबादी में परिवर्तित करने के सुझाव पर की गई कार्यवाही ।	
आंतेला, तहसील बैराठ में हायर सेकेन्डरी स्कूल खोलना ।		महाराजा कॉलेज, जयपुर में एक क्लर्क श्री राधेश्याम केडिया द्वारा गबन किया जाना ।	
कस्बा दूनी से ग्राम आवा, तहसील देवली तक सड़क निर्माण ।		सरूपगंज-कोटड़ा सड़क का निर्माण-कार्य ।	
अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के व्यक्तियों को नौकरी हेतु वसूल किये जानेवाले परीक्षा शुल्क		सांचोर तहसील के केरिया पटवार सर्कल में गैर खातेदारी की भूमि काश्त करनेवाले काश्तकार ।	

शिक्षा विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र जल्द प्रदान करना।

बीकानेर डिविज़न में पट्टा प्रणाली समाप्त करने की, की गई घोषणा पर पुनर्विचार करना।

विजय सागर ब्रह्मचर्याश्रम संस्कृत पाठशाला तलावगांव (लालसोट) के अपूर्ण भवन को शीघ्र पूर्ण करवाना।

जिला जालोर के नमक के मुआवाजे के पेन्डिंग बिल्स का शीघ्र भुगतान कराना।

जयपुर-पूर्व में सिलेक्शन ग्रेड से सम्बन्धित एरिया की रकम का अध्यापकों को भुगतान।

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन १०३२

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने कार्य सलाहकार समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन किया।

विधायी कार्य।

पुरः स्थापित किये गये विधेयक १०३२

निम्नांकित विधेयक, सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् पुरःस्थापित किये गये :-

१. राजस्थान स्मारक, पुरातत्व सम्बन्धी स्थान तथा प्राचीन वस्तु विधेयक, १९६०।

२. राजस्थान कृषि उपज विपणि विधेयक, १९६०।

३. मारवाड़ विवाह-निधि प्रशासन विधेयक, १९६०।

४. राजस्थान सरकार विद्युत प्रतिष्ठान (प्राप्त-राशियों की वसूली) विधेयक, १९६०।

(अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण को भी प्रभारी मन्त्री द्वारा सदन की मेज पर रखा गया)।

५. राजस्थान न्यायालय शुल्क तथा वाद-मूल्य निर्धारण विधेयक, १९६०।

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार १०३५

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सदन द्वारा स्वीकार किया गयाः-

"यह सदन कार्य सलाहकार

स्कम्भ स्कम्भ

समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।"

आयुक्त, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिवेदन, १९५७-५८ १०३५

श्री रिखबचन्द धारीवाल, मन्त्री, समाज कल्याण विभाग द्वारा दिनांक २५ अगस्त, १९६० को प्रस्तुत किये गये निम्नांकित प्रस्ताव पर आज भी विचार किया गया:—

"अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट १९५७-५८ व १९५८-५९ को, जहां तक उनका राजस्थान राज्य से सम्बन्ध है, विचारार्थ लिया जाय।"

बहस में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:—

१. श्री अमृतलाल यादव
२. श्री लादूराम सुलाणिया
३. डॉ० बहादुरसिंह
४. श्री दलपतसिंह
५. श्री पी० के० चौधरी
६. श्री मोगजी भाई
७. श्री गोवरधनसिंह केन

श्री रिखबचन्द धारीवाल, मन्त्री, समाज कल्याण विभाग, ने बहस का उत्तर दिया।

सदन की बैठक ५ बज कर २ मिनट पर मंगलवार दिनाक ३० अगस्त, १९६० को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

मंगलवार, ३० अगस्त, १९६० की कार्य-सूची

(१) राज्य के भूमि आयोग के प्रतिवेदन पर विचार।

(२) कार्य सलाहकार समिति के १९वें प्रतिवेदन का उपस्थापन।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २०३ का उत्तर देखिए)

OFFICE OF THE COMMISSIONER, BIKANER DIVISION, BIKANER.

No. 11469 Dated the 1st. June, 1960.

Collector Ganganagar/Churu/Bikaner.

The question of considering the Malmandi cases had been examined in detail in this office and it had been found that the present work in connection with the Malmandi applications issue of fresh Mohar Chhap Pattas wherein alteration is sought in the measurement of and or price, or in the owener's name, caste or description of adjacent house etc. etc. or cancelling a Mohar Chhap Patta. This is being done in accordance with the powers conferred in Appendix IX Department Powers-I Revenue Department II Malmandi at item No. 1 in the Schedule of Powers sanctioned by the erstwhile Bikaner State. With the coming into force of Stamps and Registration Act and the existing law of Transfer of Property Act, the practice of granting Mohar Chhap Chithis by the Revenue Department in lieu of old pattas could not be justified. In view of the above circumstances it is hereby ordered that no fresh application for Malmandi cases to entertained be anywhere and action be taken to dispose of the pending cases. The Tehsildars may kindly be asked to comply with this direction. The pending cases should be put up by each Tehsildar for final orders with in a month's time. Any delay on the part of Tehsildar will not be appreciated.

Sd. G. S. Mehta,
Commissioner,
Bikaner Division, Bikaner.

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक २६ अगस्त, १६६०)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१००२	१०	toolscape	foolscap
,,	१५	श्री लच्मीचन्द	श्री लक्ष्मीचन्द
१०१२	१८	श्री मैरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
१०१५	४	सकल में	सर्कल में
,,	२४–२५	क्या नहीं दिया मया	क्यों नहीं दिया गया
,,	अन्तिम	बहरहराल	बहरहाल
१०१८	शीर्षक	स्थगन प्रस्ताव	तारांकित प्रश्नोत्तर
,,	अन्तिम	डॉ० चन्कद्रला	डॉ० चन्द्रकला
१०२०	२५	ऑथरिटी	ऑथोरिटी
१०३१	२१	fideprocedural	fide procedural
१०३२	शीर्षक	प्रतिवेयन का	प्रतिवेदन का
१०३६	२	एड अदर	एंड अदर
१०३६-४०	शीर्षक	२५ अगस्त	२६ अगस्त
१०४२	१५	भी जबाये	भी जब ये
१०४६	१४	श्री अमूतलाल	श्री अमृतलाल
१०५१	अन्तिम से४	प्रोजेटक्ट्	प्रोजेक्ट्स
१०५५	२६	संक्षेप मैं ही	संक्षेप में ही
,,	२७	टेम्पली एन्ट्री	टेम्पल एन्ट्री
१०५७	३–४	आप आप दृष्टि	दृष्टि
१०६६	६	inviting tendors	inviting tenders
,,	२०	shoul	should
,,	अन्तिमसे२-१	Goveernment	Government
१०७५	अन्तिम से४	से मिलेगी।	से मिलेगी
१०६८	अन्तिम से६	यहां पर	वहां पर
१०६६	५	वे भपोड़ियों नें,	वे झोंपड़ियों में
११०३	३	अन्धेर नहीं	अन्धेर नहीं
११०४	१६	बुआ था	हुआ था
१११२	२	दैंखे और यह दैंखे	देखें और यह देखें
११२०	अन्तिम से४	पर्सेन्टज न	पर्सेन्टेज न
११२३	अन्तिम	श्रौर एस	और एस.
,,	२२	का सदन का	का, सदन का
११२५	३	ciass/	class/
,,	अन्तिम से५	कि में,	कि
,,	,, ,, ३	२॥	२॥–

१	२	३	४
११२६	११	पड़ेगेता कि	पड़ेंगे ताकि
११३०	अन्तिम से४	जतता में	जनता में
११३२	१०	जेसिलिटीज़ नहीं	फेसिलिटीज़ नहीं
११४४	अन्तिम से४	फलश नहीं	फ्लश नहीं
११४६	७	मैं सांइस	मैं साइंस
,,	अन्तिम से२	पसुएशन नहीं	पर्सुएशन नहीं
११४६	२०	ट्राइस का	ट्राइब्स का
११५१	१७	सासाइटी बना	सोसाइटी बना
११५५	२४	"Affter all	"After all
११५६	प्रथम	: उ	:उपा--
११७०	अन्तिम	मानयां जाता	मनाया जाता
११७८	अन्तिम से७	कास्ट्सब	कास्ट्स व
११८०	१७	ग्रामोधाग	ग्रामोद्योग
११८०	१२,१८,१६ २१, २३ व२४	मांडल	मॉडल
,,	२२	मंडाल	मॉडल
११८४	३	(विधार)	(विराम)
११८५	अन्तिम से७	बनीं	बनी
,,	,, ६	हुई है।	हुई हैं।
,,	,, ४	लोग है	लोग हैं
११८६	,, ८	हैं जिकमें	हैं जिनमें
११८७	११	का बसाने	को बसाने
१२००	अन्तिम से२	दिनांन अगस्त,	दिनांक, ३० अगस्त
१२०४	११	(प्राप्त-राशियों	(प्राप्य राशियों
१२०७	१८	to entertained be	be entertained